रिपोर्ट

एकल सदस्यीय निमेष जांच आयोग

द्‌वारा श्री आर डी निमेष

(से.नि.जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

विषय वस्तु

लोक महत्व के विषय अथवा मुकदमा अपराध संख्या 1891/2007 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मोहम्मद खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जगीर मुजाहिद एवं मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद के उपरोक्त अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तर दायित्व की जांच।

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. को संबोधित पत्र	1
	आयोग की जांच की विषय वस्तु	2
	विषय सूची	3
	आयोग के गठन की अधिसूचना	4

अध्याय

प्रस्तावना	5-8
विधिक कार्यवाही	09-14
निष्कर्ष के बिन्दु	15-17
साक्ष्य एवं निष्कर्ष	18-235
सुझाव	236-237

अध्याय-1

प्रस्तावना

दिनांक 22-12-2007 को सुबह 6.15 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति पकड़े गये, जिनमें से एक खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद के कब्जे से 9 अदद जिलेटिन राड पैक शुदा, तीन अदद स्टील कलर डेटोनेटर, एक अदद नोकिया मोबाइल व सिम कार्ड तथा दूसरे तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद के कब्जे से 3 अदद डेटोनेटर, पालीथिन में लिपटा हुआ आर.डी.एक्स., एक अदद नोकिया मोबाइल व सिमकार्ड बरामद होना बताया जाता है। जबकि तारिक कासमी का कहना है कि दिनांक 12-12-2007 को वह अपने अजहर यूनानी दवाखाना स्थित शंकरपुर रानी की सराय चेक पोस्ट से आगे सराय मीर की तरफ अपनी स्पेलेंडर मोटर साइकिल यू.पी.50एन/2943 से जा रहा था, तो सफेद रंग की टाटा सूमो गाड़ी ने ओवरटेक कर रूकने व मरीज देखने को कहा। टाटा सूमो गाड़ी से 9-10 लोग कूद कर उसके पास आये उसे मोटर साइकिल से उठाकर सूमों में डाल दिया और दो लोगों ने उसकी मोटर साइकिल पकड़ लिया। शोर मचाने पर टाटा सूमो वालों ने उसे मारापीटा, मौके पर बहुत लोग आ गये और टाटा सूमो की तरफ दौड़े और इस बीच एक रोडवेज

बस भी आयी। उसे टाटा सूमो सवार लोग बनारस के खामोश इलाके में ले गये एक कमरे में रखा और शाम तक वहीं रखने के बाद उसे टाटा सूमो से लखनऊ लाये, जहां उसे एक मकान में बंद रखा। उसे आतंकवादी बताया, उसे मारा-पीटा व आखिर में रचे गये षड़यंत्र के अनुसार उसे और मोहम्मद खालिद मुजाहिद को एक गाड़ी में बैठाकर उसे लखनऊ से सुबह 4 बजे रवाना हुए व ऐसी जगह ले गये जहां ट्रेनों की आवाज आ रही थी, जिससे लगा कि रेलवे स्टेशन है। लगभग सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां 5 मिनट उतारने के बाद फिर गाड़ी में बैठा कर एक सरकारी गेस्ट हाउस में जाया गया और सादे कागज पर हस्ताक्षर कराये व हाथ पैस के निशान लिये गये। इसके अतिरिक्त मोहम्मद खालिद मुजाहिद का कथन है कि उसे दिनांक 16-12-2007 को जब वह मुन्नू चाट वाले की दुकान पर गया उसकी मां ने बुला लिया क्योंकि उसकी पोती को नजर लग गई थी वहां एक गाड़ी आकर खड़ी हुई उसमें से कुछ लोग निकले जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे लखनऊ ले आये। उसे मारा-पीटा और कहा कि कचेहरी बम ब्लास्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लो नहीं तो तुम्हारी मां-बीबी को उठा लायेंगे व तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। उसे मजबूरन वह सब कुछकरना पड़ा फरि उसकी वीडिया फिल्म बनायी गई और अलग से रिकॉर्ड भी किया गया। उसकी आँख पर पट्टी बांध कर कुछ चीजें हाथ में पकड़ायी गयी। उसका यह भी कहना है कि दिनांक 22-12-2007 को बाराबंकी ले जाया गया हाथ पैर के उंगलियों के निशान लिये। गलत इल्जाम लगाया गया और गिरफ्तारी दिखाई गयी।

यह भी कहा गया कि खालिद मुजाहिद एक शिक्षक है और 16 दिसम्बर 2007 तक उसने पढ़ाया है और उसे उसके बाद टाटा सूमो में सवाल लोगों ने जबरदस्ती असलहों के बलपर उठा लिया है। भीड़ थाने पर पहुंची थी उसके चचेरे भाई मोहम्मद शाहिद ने थाने पर एफआईआर दर्ज करानी चाही परन्तु एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 16 दिसम्बर 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और डीजीपी उत्तर प्रदेश को फैक्स किया। 17 दिसम्बर, 2007 को एक डेलीगेशन लगभग 30-40 की संख्या में चेयरमैन मडियाहू के साथ थाना मडियाहूं गये थाना प्रभारी नहीं मिले दारोगा से बात हुई। दिनांक 17.12.2007 को तमाम अखबारों में खालिद की गिरफ्तारी का समाचार छपा। 17.12.2007 को माननीय मुख्यमंत्री, डीएम जौनपुर, गवर्नर, मुख्य सचिव को फैक्स किये तथा एस.एस.पी. जौनपुर को रजिस्ट्री की व 18-19.12.2007 की रात तीन गाड़ियों में सवाल कुछ लोग खालिद के घऱ आये कुरान मजीद और कुछ किताबें ले गये। दिनांक 19.12.2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री, डी.जी.पी., डी.एम. जौनपुर को रात की घटना का फैक्स किया गया व अखबार में समाचार छापे गये। उसके उपरान्त दिनांक 22-12-2007 को उसे कोतवाली बुलाया गया और बताया गया कि खालिद को बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है।

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी तारिक कासमी ने लिए दिनांक 12-12-2007 से 21-12-2007 तक लगातार धरना व आंदोलन के जरिए जिला से सचिवालय व गवर्नर हाउस तक लिखित फरियाद की गई परन्तु किसी अऑरिटी ने हकीम तारिक के पुलिस कस्टडी में होने की बात स्वीकार नहीं की। उससे अपहरण की सूचना अखबारों में छपी। 14 दिसम्बर 2007 को स्थानीय थाना रानी की सराय में तारिक कासमी की गुमशुदगी रिपोर्ट तारिक के दादा अजहर अली ने दर्ज करायी। दिनांक 15.12.2007 को मोहम्मद अरशद खान अध्यक्ष नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी व पूर्व विधायक व उनके सहयोगी ने एस.एस.पी. व डी.एम. आजमगढ़ से मिलकर

हकीम तारिक के संबंध में जानकारी चाही और तहरीर दाखिल की। एस.एस.पी. व डी.एम. से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर दिनांक 16.12.2007 को कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर उसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। दिनांक 17.12.2007 को कस्बा सराय मीर में धरना दिया। तारिक का मोबाइल दिनांक 15-12-2007 से 17-12-2007 तक कभी ऑन होता तो कभी ऑफ होता इसकी जानकारी एस.एस.पी. जौनपुर को दी और कहा मोबाइल को सर्विलांस पर डाल कर ढूंढा जाये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की हुई। दिनांक 16/17.12.2007 को मो. अरशद खान ने हकीम तारिक के परिवार के साथ लखनऊ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, गृह सचिव उ.प्र., पुलिस महानिदेशक उ.प्र. को घटना की सूचना रजिस्ट्री द्वारा दी। दिनांक 18.12.2007 को कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर फिर धरना दिया। दिनांक 18.12.2007 को तारिक के दादा अजहर अली ने डी.एम., एस.एस.पी. को हकीम के अपहरण किये जाने की रजिस्ट्री द्वारा सूचना दी। दिनांक 20.12.2007 को कलेक्ट्रेट पर फिर धरना दिया और पूर्व विधायक अरशद खां ने चीफ जस्टिस, होम सेक्रेटरी उ.प्र. के समक्ष हकीम के परिवारवालों को पेश करके हकीम की रिहाई की गुहार लगायी। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौ.चरण पाल सिंह ने मा. मुख्यमंत्री व महामहिम राज्यपाल के दफ्तर में इस आशय का ज्ञापन प्राप्त कराया। यदि हकीम तारिक कासमी को 22.12.2007 तक पुलिस बरामद नहीं करती है तो पुलिस व सरकार की इस उदासीनता के खिलाफ अपरण स्थल पर 23.12.2007 को आत्मदाह कर लेंगे। इस चेतावनी के एक दिन बाद 22.12.2007 को सुबह पुलिस व एस.टी.एफ. ने हकीम तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद जिसको 16.12.2007 को पकड़ा था बाराबंकी से गोलाबारूद के साथ आतंकवादी बताकर पकड़ा दिखाया।

पुलिस ज्यादती के विरोध में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी चरण पाल सिंह व प्रदेश के प्रवक्ता मजहर आजाद ने फरवरी की पहली तारीख से विधान सभा लखनऊ के सामने आमने सामने अनशन शुरू किया परन्तु 6 दिन बाद हड़ताल तुडवा दी। उपरोक्त दोनों कथित आरोपियों मोहम्मद तारिक कासमी व मोहम्मद खाली मुजाहिद की इस गिरफ्तारी की न्यायिक जांच की मांग लगातार जारी रही।

श्री विक्रम सिंह आई.पी.एस.तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. ने दिनांक 14 मार्च 2008 को प्रमुख सचिव, गृह, उ.प्र.शासन, लखनऊ को यह तथ्य अवगत कराते हुए पत्र लिखा कि-

प्रिय महोदय,

श्री ए.के.जैन, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन के पत्र संख्या सीए-आईजी-एलजेड/2007 दिनांक 14.03.2008 द्वारा मु.अ.सं. 1891/2007 धारा 121/121ए/122/124ए/332भ.द.वि.,16/18/20/23 आतंकवादी गतिविधि निरोधक अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी में दिनांक 22.12.2007 को मोहम्मद खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37, महतवाना मोहल्ला,थाना मडियाहूं, जनपद जौनपुर एवं मोहम्मद तारिक कासमी पुसत3 रयाज अहमद निवासी सम्मोपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी के प्रकरण में कई प्रकार की शिकायतें/चर्चाओं की पृष्ठभूमि में न्यायिक जांच का अनुरोध किया गया है।

2. जैसा कि पुलिस महानिरिक्षक लखनऊ जोन ने संस्तुति की है। इस पूरे प्रकरण में इन दोनों अभियुक्तों की आपराधिक संलिप्तता के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के आदेस पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने दिनांक 14-03-2007 गृह (पुलिस) अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या 1301 ख/छ-पु-4-08-17(134)बी-08 दिनांक 14 मार्च 2008 की अधिसूचना द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या 60, 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करके राज्यपाल ने श्री आर.डी.निमेष, जिला न्यायाधीश(से.नि.)को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। विज्ञप्ति निम्न प्रकार है-

अधिसूचना

1.चूंकि राज्यपाल की राय है कि लोक महत्व के विषय अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद, पुत्र स्वर्गीय जमीर मुजाहिद, निवासी 37, महतवाना मुहल्ला थाना मडियाहूँ, जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी, पुत्र रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तर दायित्वों की जांच की जानी आवश्यक है।

2.अतएव अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952(अधिनियम संख्या 60 सन् 1952)की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल श्री आर.डी.निमेष, जिला न्यायाधीश(सेवानिवृत्त) को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

3.आयोग उक्त घटना के संबंध में जांच करेगा और उपरोक्त विषयों पर रिपोर्ट देगा।

4.चूंकि राज्यपाल की राय है कि की जाने वाली जांच के रूवरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त धारा (5) की उपधारा (2),(3)(4) और (5) के उपबंध आयोग पर लागू होंगे।

5.आयोग इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छह मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा। अवधि परिवर्तन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

अध्याय-2

विधिक कार्यवाही

आयोग को सहकारिता भवन पंचम तल लखनऊ में दिनांक 08.11.2008 को कार्यालय हेतु कक्ष उपलब्ध कराये गये। दिनांक 14.11.2008 को सै.मो.हसीब,अपर विधि परामर्शी, उ.प्र. शासन को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। दिनांक 03.12.2008 को गृह विभाग-4 के आदेश पर उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आयोग में नियुक्त हुए। आयोग में संविदा पर 3 कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 14.01.2009 को की गई। आयोग द्वारा दिनांक 21.01.2009 राष्ट्रीय सहारा उर्दू में, दैनिक जागरण हिन्दी में तथा टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी में विज्ञप्ति जारी कर प्रकाशित हुई। जिसमें सभी आमजनों को सूचित किया गया कि उ.प्र.सरकारी की अधिसूचना संख्या 1301ख/छ-पु-4-08-17(134)ख-08 दिनांक 14 मार्च, 2008 द्वारा उ.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त जिला जज श्री आर.डी.निमेष से बने एक जांच आयोग का एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में निम्नलिखित निर्देश संबंधी निबंधनों के साथ गठन किया। मु.अ.संख्या 1891/07, थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद, पुत्र स्वर्गीय जमीर मुजाहिद,

निवासी 37, महतवाना मुहल्ला थाना मडियाहूँ, जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी, पुत्र रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ लिप्त होने की बावत जांच की जा रही है। उपरोक्त के संबंध में ऐसे परिवाद या आरोप या अन्य तथ्य आयोग के संज्ञान में लाने हेतु 16.02.2009 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त विज्ञप्ति के फलस्वरूप आयोग में 2 परिवाद पत्र व 6 व्यक्तियों लक्ष्मण प्रसाद, जहीर आलम, तारिक शमीम, अब्दुल रहमान, जावेद मोहम्मद व सर्फुद्दीन ने शपथपत्र व आस्तियां दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ से 47 शपथपत्र दाखिल किये गये तथा बचाव पक्ष की तरफ से 25 शपथपत्र दाखिल किये गये। आयोग के सम्मुख अभियोजन की तरफ से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए विभिन्न तिथियों में अवसर मांगा गया जो स्वीकृत हुआ और अन्ततः अभियोजन की तरफ से दिनांक 27.10.2009 से लेकर 23.12.2009 तक शपथपत्र दाखिल किये गये शेष शपथ पत्र दिनांक 07.11.2009 से 12.09.2011 तकक दाखिल किये गये।

आयोग की कार्यवाही के दौरान श्री शुऐब अहमद एडवोकेट कथित आरोपी खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी की तरफ से उपस्थित हुए और वकालतनामा दाखिल किया। अभियोजन की तरफ से श्री अजय कुमार सिन्हा अभियोजन अधिकारी दिनांक 27.11.2010 को नियुक्त हुए। उन्होंने दिनांक 09.02.2011 तक कार्य किया तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आयोग में आना बंद कर दिया। उससे उपरान्त दिनांक 27.05.2011 से श्री ब्रजपाल सिंह अभियोजन अधिकार नियुक्त हुए।

आयोग में दिनांक 16.02.2009 को सभी पक्षों को उपस्थित होने के लिए एक सार्वजनिक बैठक की गयी और सभी पक्षों के यह निर्देश दिये गये कि जो पक्षकार अथवा उनके द्वारा नामित अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की तरफ से नामिल अभियोजन अधिकारी आयोग में उपस्थित होंगे, उनको जो गवाह आयोग में उपस्थित होंगे, से जिरह करने का अधिकार होगा। अधिव्क्ताओं व अभियोजन अधिकारियों को जिरह करने की अनुमति इस आधार पर दी गयी, जिससे उनके द्वारा मौखिक बयान की सत्यता जांची जा सके। आयोग द्वारा किसी भी अधिवक्ता किसी भी उपभोक्ता को अलग से नियुक्त नहीं किया गया है। पक्षकारों को किसी भी साक्षी से कोई प्रश्न पूछने के लिए सुझाव के अवसर दिये गये। आयोग की कार्यवाही सहकारिता भवन के पंचम तल पर की गयी। साक्षियों के बयान को दर्ज किया गया व उनसे जिरह करने की अनुमति भी दोनों पक्षों को दी गयी। इस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि साक्ष्य शपथ पत्र पर ग्रहण किया जायेगा और मौखिक साक्ष्य भी ग्रहण किये जायेंगे। पक्षकारों द्वारा दिये गये अन्य अभिलेख भी ग्रहण किये जायेंगे। स्पेशल टॉस्क फोर्स(एस.टी.एफ.) द्वारा दिनांक 22.12.2007 को घटित हुई घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी दाखिल की गयी। व इसी तरह थाना रानी की सराय द्वारा दाखिल जी.डी.12.12.2007 से 23.12.2007 के साथ अली अजहर द्वारा दिनांक 14.12.2007 को थाना रानी की सराय में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गई है। तारिक शमीम ने भी अपने शपथ पत्र में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के पत्र की कारबन कॉपी, अजहर अली द्वारा दाखिल एफआईआर की फोटो कॉपी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिनांक 15.12.2007 को दिये गये ज्ञापन की फोटो कॉपी व हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण दैनिक अखबार में छपी खबरों फोटो कॉपी। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का ज्ञापन दिनांक 20.12.2007 व चौधरी चरण

पाल द्वारा महामहिम राज्यपाल को दिये गये प्रार्थनापत्र की फोटो कॉपी व समाचार पत्रों में छपे समाचार की फोटो कॉपी अपने शपथपत्र के साथ दाखिल की है।

बचाव पक्ष के द्वारा 25 साक्षीगण परीक्षित किये गये जो (सूची-1), अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 46 गवाहों की लिस्टू (सूची-2), इसी तरह आयो द्वारा 45 साक्षीगण परीक्षित किये, जो (सूची-3) निम्न प्रकार है-

सूची-1

सूची-2

सूची-3

जांच कार्यवाही के दौरान दिनांक 13.05.2009 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन घटना स्थल का निरीक्षण किया गया व दिनांक 06.07.2009 को मडियाहूं जनपद जौनपुर तथा दिनांक 07.07.2009 को रानी की सराय सम्मोपुर जनपद आजमगढ़ का भी निरीक्षण किया गया व उपस्थित गवाहों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई।

अध्याय-3

मु.अ.सं. 1891/2007 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में अभियोजन पक्ष का कहना है कि दिनांक 23.11.2009 को उ.प्र. की राजधानी लखनऊ, जनपद फैजाबाद, जनपद वाराणसी में कुछ आतंकवादियों द्वारा सीरियल बम धमाके किये गये थे इस घटना के सम्बन्ध में प्राप्त अभिसूचनाओं को विकसित करने हेतु एस.टी.एफ. को लगाया गया था। मुखबिरान की सूचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मडियाहूँ जनपद जौनपुर व रानी की सराय जनपद आजमगढ़ में पिछले कुछ मांह से बांग्लादेशी व कश्मीरी नागरिकों का आना जाना रहा है। इन सूचनाओं को और विकसित करने हेतु मुखबिरान व एस.टी.एफ. के लोग लगातार कार्य कर रहे थे। श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा क्षेत्राधिकारी चौक, लखनऊ उपरोक्त घटना की विवेचना कर रहे थे और लगातार एस.टी.एफ. कार्यालय पर मुखबिर द्वारा एस.टी.एफ टीम के पुलिस उपाधीक्षक एस. आनन्द व अन्य को सूचना मिली कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास सुबह 6 बजे आने वाले हं, जिनके संबंध आतंकवादी संगठन से है। उपरोक्त सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. श्री मनोज कुमार झा के परिवेक्षण में 4 टीमों का गठन किया गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर गये जहां दो व्यक्तियों को 6.20 बजे पर पकड़ा। जिसमें खालिद मुजाहिद निवासी मडियाहूँ जनपद जौनपुर से 9 अदद जिलेटिन राड पैक शुदा, 3 अदद डेटोनेटर, एक अदद नोकिया मोबाइल व सिम कार्ड बरामद हुए जबकि तारिक कासमी निवासी सम्मोपुर, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ से 3 डेटोनेटर, पालीथिन में लिपटा हुआ सवा किलो आर.डी.एक्स. व एक अदद नोकिया मोबाइल व सिमकार्ड बरामद हुआ। जबकि तारिक कासमी का कहना है कि उसे 12.12.2007 को जब वह रानी की सराय चेक पोस्ट से धार्मिक इजतेमा में जा रहा था तो उसे पकड़ कर टाटा सूमो में डालकर बरारस रखा, उसी दिन दिनांक 12.12.2007 को बनारस से लखनऊ ले आये वहां उससे मारा-पीटा व दिनांक 22.12.2007 को उसे गलत तौरप र खालिद मुजाहिद के साथ बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तरार दिखाकर आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी दिखाई। जबकि खालिद मुजाहिद का कहना है कि उसे 16.12.2007 को पवन टाकीज के सामने मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास से कस्बा मडियाहूँ जनपद जौनपुर से एस.टी.एफ. द्वारा अपहरण किया गया उसे लखनऊ ले जाया गया। उसे मारा-पीटा गया, पूछताछ की गई। यह भी कहा जाता है कि जब उपरोक्त दोनों कथित आरोपियों की बरामदगी के लिए उनके परिजनों,

आम जनता का दबाव पड़ा व नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष चौ.चरणपाल ने यह ज्ञापन दिया कि यदि दिनांक 21.12.2007 को बकरीद से दिन तक मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक को बरामद करके पुलिस उनके परिवार के हवाले नहीं कर पाती तो यह शासन प्रशासन की इस उदासीनता के विरूद्ध दिनांक 22.12.2007 को दिन के 2 बजे कोटला मदरसा के सामने आत्मदाह कर लेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उपरोक्त दबाव के कारण ही कथित आरोपियों को उपरोक्त तिथि व समय से पूर्व दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6.20 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी गलत दिखायी और गलत तौर पर आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी भी दिखाई है।

उपरोक्त तथ्यों से निष्कर्ष हेतु निम्न बिन्दु उत्पन्न होते हैं-

1.यह कि तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को व खालिद मुजाहिद को दिनांक 16.12.2007 को उनके गृह जनपद से उठाया गया और जब धरना प्रदर्शन हुआ, जनता का दबाव पड़ा व नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने दिनांक 22.12.2007 तक उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के बरामद न होने पर 2 बजे दिन में आत्मदाह की धमकी दी, के फलस्वरूप कथित दोनों आरोपियों को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गलत तौर से गिरफ्तार किया गया व गलत तौर से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद दिखायी गयी।

2.यदि उपरोक्त बात सत्य नहीं है तो यह बात सत्य है कि तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद को दिनांक 22.12.2007 को सवा छह बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकट गिरफ्तार किया गया व जिलेटिन राड, डेटोनेटर, आर.डी.एक्स.व मोबाइल फोन बरामद हुए।

अध्याय-4

साक्ष्य एवं निष्कर्ष

अभियोजन का कहना है कि दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकट कथित आरोपों मो. खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी को गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से डेटोनेटर, जिलेटिन राड व आर.डी.एक्स.बरामद हुआ। जबकि अभियुक्तगण व परिवादीगणों का कहना है कि तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व मोहम्मद खालिद को दिनांक 16.12.2007 को शाम 6 बजे कस्बा मडियाहूँ जिला जौनपुर से उठाया व जब जनता द्वारा धरना प्रदर्शन, आत्मदाह की धमकी दी गयी तो उन्हें दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गलत गिरफतार दिखाया व गलत आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होना दिखाया।

इस केस में कथित आरोपी तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद जो जिला जेल में निरूद्ध थे उन्हें आयोग के गठन की सूचना दी गयी था उन्हें अपना कथन प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश किया गया। इस तरह घटना के संबंधित सबई पुलिस व कर्मचारी व अधिकारीगण को भी सूचित किया गया। घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया। सभी पक्षकारों ने अपने-अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा कुछ व्यक्तियों ने परिवादपत्र दाखिल किये।

इस केस में मो. जहीर आलम फलाही ने अपना परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह मो. खालिद के पिता का बड़ा भाई है। मो.खालिद के पिता का देहान्त हो चुका है। केवल उसकी विधवा मां है। वह ही मो. खालिद का संरक्षक और पैरोकार है। यह कि मु. खालिद की नई नेवली दुल्हन 2 दिसम्बर 2007 को

पहली बार ससुराल आई थी और इस समय वह अपने मायके में है। यह कि मु. खालिद मुजाहिद लड़कियों के एक मदरसा आमेंअतुस्सालेहात में एक शिक्षक था उसने दिनांक 16 दिसम्बर 2007 तक मदरसे में पढ़ाया था। रजिस्टर हाजरी की छायाप्रति प्रस्तुत की है। यह कि मो. खालिद दिनांक 16.12.2007 को शाम 6.15 व 6.30 के मध्य शाम को घर से बाजार नील खरीदने के लिए निकला था। कई लोगों के साथ मगरिब(शाम) की नमाज पढ़कर पवन टाकीज के निकट फतह मुहम्मद की बिल्डिंग के सामने मुन्नू चाट वाले की दुकान पर जब वह चाट खा रहा था तभी टाटा सूमो पर सवार लोगों ने उसे जबरदस्ती असलहे के बल पर उठा कर टाटा सूमो में फेंक दिया और जौनपुर की तरफ चले गये। वहां पर मौजूद लोग दौड़ पड़े लेकिन टाटा सूमो में बैठे लोग असलहा लहराते हुए डर का वातावरण पैदा करके भाग गये। गाड़ी बगैर नंबर प्लैट के थी। यह कि भीड़ थाने पर पहुंच गई। मु. खालिद के चचेरे भाई मु. शाहिद ने थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कराने की भरपूर कोशिश की परन्तु एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। यह कि उसमें लड़के मु. शाहिद ने उसे फोन करके घटना की सूचना दी। उस समय वह रायबरेली से इलाहाबाद जा रहा था। रास्ते में ही उसने थाना प्रभारी मडियाहूँ श्री मु. अल्लाफ को अपने मोबाइल नंबर 9450084200 से थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर 9415721657 पर फोन किया और खालिद के अपहरण के बारे में पूछा। थाना प्रभारी ने बताया कि वह मडियाहूँ से बाहर है, वापस आकर देखेगा।

उसने यह भी कहा कि 16 दिसम्बर 2007 को ही उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और डी.जी.पी को फैक्स किया। काफी रात होने की वजह से अन्य अधिकारियों को फैक्स नहीं कर सका। उसने फैक्स की फोटो कॉपी संग्लग्न की है। यह कि वह दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को प्रातः ही मडियाहूँ पहुंच गया। घर पर हिन्दू-मुस्लिम की एक मीटिंग की थी, जिसमें यह तय हुआ कि एक डेलीगेशन थाने जायेगा। लगभग 35-40 लोग चेयरमैन मडियाहूँ की अगुवाई में थाने गये उस समय थाना प्रभारी के बजाय श्री मु.इरशाद खां दरोगा मडियाहूँ से बात हुई उन्होंने कहा कि खालिद को एस.टी.एफ उठा ले गई, लेकिन अधिकारियों के समक्ष वह नहीं बतायेगा। यह कि दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को बहुत समाचार पत्रों ने एसटीएफ द्वारा खालिद की गिरफ्तारी का समाचार छापा जिसकी फोटो कॉपी संलग्न की है। यह कि दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को खालिद मदरसा पढ़ाने नहीं आए गिरफ्तारी के कारम स्कूल कमेटी ने रजिस्टर हाजिरी में कारण लिखकर टीचर्स को सूचना दी। हाजिरी रजिस्टर संलग्न किया है। यह कि दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को मुख्यमंत्री, डी.एम. जौनपुर, माननीय गवर्नर उ.प्र., गृह सचिव वगैरह को फैक्स किया। कापी संलग्न की है। दिनांक 18 दिसम्बर 2007 को एस.पी.जौनपुर को रजिस्ट्री किया। फोटो कॉपी संलग्न है।

उसने यह भी कहा है कि 19 दिसम्बर 2007 को ही उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री , डी.जी.पी., डी.एम.जौनपुर इत्यादि को रात की घटना के बारे में फैक्स द्वारा सूचना दी। अखबार की फोटो कॉपी संलग्न की है। यह कि दिनांक 21 दिसम्बर 2007 को मैंने समाचार पत्रों के नुनाइंदों से कहा कि एस.टी.एफ. ने शायद उसके बच्चे को मार डाला है वह और पूरा कस्बा लाश के इंतजार में बैठा है। यह कि दिनांक 22 दिसम्बर 2007 को उसे कोतवाली बुलाया गया। थोड़ी देर बात करने के बात उससे कहा गया कि आज सुबह मु.खालिद और तारिक को बाराबंकी में गिरफ्तार कर लिया गया है। शायद यही बात बताने के लिए उसे बुलाया गया था।

उसने यह भी कहा कि थाना से बाहर निकालने से पहले मीडिया ने उससे बयान लिया। उसने कहा कि आई.जी. जोन वाराणसी, सिक हैं। मु. अल्लाफ मुसलमान और बाकी अधिकारी हिन्दू हैं. सब किसी न किसी धर्म पर विश्वास रखते हैं, अगर यह लोग हलफिया बनाय दे दें कि खालिद को 16 दिसम्बर को मडियाहूँ से नहीं किया गया है। तो वह कहेगा कि इसी थाने में पेड़ पर खालिद को फांदी दे दी जाए। लेकिन इसके लिए पूरे मडियाहूँ और मीडिया को झुंठलाना पड़ेगा। यह कि एस.पी.जौनपुर का बयान मौजूद है कि खालिद को मडियाहूँ से गिरफ्तार किया गया है। फोटो कॉपी संलग्न है।

उसने यह भी कहा है कि आयोग के समक्ष समाचार पत्रों के अतिरिक्त P.U.H.R.(मानव अधिकार संगठन) की वह सी.डी. पेश की है। जिसमें मडियाहूँ के लोगों ने गवाही दी है। वह आयोग के समक्ष 600 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर सहित पेपर पेश किया है। 20 लोगों के हफलनामे दरखास्त के साथ पेश किये गये हैं। फोटो कॉपी संलग्न है।

उसका यह भी कहना है कि एक पूरा होने पर दिनांक 16 दिसम्बर 2008 को मडियाहूँ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ। उसकी सी.डी. और समाचार पत्रों की फोटो कॉपी संलग्न है।

उसने यह भी कहा कि मो. खालिद और तारिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर, मडियाहूँ में धरना और सभा का आयोजन किया गया। फोटो कॉपी संगल्न की है। जमाअत इस्लामी हिन्द अमीअतुल उलमा मुस्लिम मजिलित नेलोपा और मुसलमानों ने संगठन के लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वगैरह में आम सभा करने की इनकी रिहाई की मांग की है। P.U.H.R.(मानव अधिकार संगठन) ने तीन बार मडियाहूँ में अवान से मुलाकात करने के जानना चाहा कि खालिद की गिरफ्तारी कब हुई। सी.डी. प्रस्तुत की है।

उसने यह भी कहा है कि P.U.H.R.(मानव अधिकार संगठन) और तहलका , कान्ती आतंकवाद मंथन, प्रथम प्रवक्ता वगैरहा ने इस पर लेख लिखा है। फोटो कॉपी प्रस्तुत है। यह भई कहा कि एडवोकेट मो. शोएब और एडवोकेट रणधीर सिंह सुमन ने अपनी किताब आतंकवाद का सच में खालिद और तारिक की गिरफ्तारी का विवरण दिया है। फोटो कॉपी प्रस्तुत की है।यह भी कहा कि एस.पी.जौनपुर ने माना कि खालिद को मडियाहूँ से गिरफ्तार किया गया है। (समाचार पत्र संलग्न किया है)। मो. खालिद को दिनांक 18 दिसम्बर 2007 तक जबरदस्त टार्चर किया गया है। (खालिद और तारिक के खत संलग्न किये गये हैं) यह भी कहा कि एस.टी.एफ ने जबरदस्ती शराब पिलाया,सुअर के गोश्त का कबाब कह कर जबरदस्ती खिलाया। ऐसा करके उसके धर्म इस्लाम का खुल्लम खुल्ला मजाक उठाया । यह भी कहा कि एसटीएफ ने दिनांक 16 दिसम्बर 2007 से दिनांक 22 दिसम्बर 2007 तक टार्चर करके फैजाबाद और लखनऊ कचेहरी बम ब्लास्ट का जबरदस्ती मुलजिम बना। यह कि एसटीएफ ने अपने पास से आरडीएक्स और दूसरे हथियार रखकर बाराबंकी में गिरफ्तारी दिखाकर मुलजिम बनाया है।

यह कि एसटीएफ ने दिनांक 16 दिसम्बर 2007 को गिरफ्ता करकेक दिनांक 22 दिसम्बर 2007 तक अपने पास रखा ऐसा करने संविधान और राष्ट्रीय मानव आयोग के निर्देश का उल्लंघन किया। यह कि उसने तमाम साक्ष्य आयोग के समक्, रख दिया है। मो. खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी के मसले पर ध्यान देने की दरख्वास्त की हैं। यह कि मो. खालिद एक ने शिक्षक है उसका न कोई भाई है और न कोई बहन है सिर्फ

विधवा मां हैं। यह कि खालित की अभी नई नई शादी हुई थी। भय ही वजह से बहू अपने ससुराल नहीं आ रही है। एसटीएफ ने अपने इन कारनामों से न जाने कितने खानदानों को बर्बाद कर डाला है।

मो. जहीर आलम फलाही ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि मो. खालिद मोहजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद साकिन मडियाहूँ उसका भतीजा है। उसके पिता काई साल पूर्व देहान्त हो चुका है। सिर्फ उसकी विधवा मां है। दिनांक 16 दिसम्बर 2007 को लगभग 8.30 बजे उसके पुत्र मो. शाहिद ने बताया कि मो. खालिद का अपहरण कर लिया गया है। कोशिश के बावजूद थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई । उसने तुर्त मड़ियाहूँ थाना प्रभारा जनाब अल्ताफ हुसैन को फोन किया उन्होंने कहा मैं मड़ियाहूँ से बाहर हूँ वह अभी जाकर पता करता है यह भी कहा कि दिनांक 16 दिसम्बर 2007 को ही रात में राष्ट्रीय मानवाधिकार नई देहली और डी.जी.पी उ.प्र. लखनऊ को फैक्स किये। दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को उसने कई अधिकारियों को और शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को फैक्स किया और एस.पी. जौनपुर को रजिस्ट्री किया। उसने यह भी कहा है कि 18/19 दिसम्बर 2007 को मध्य रात्रि में एस.टी.एफ के द्वारा खालिद के घर पर दबिश दी गयी और उसके घर वालों को भी परेशान किया गया। उसने यह भी कहा हैकि रात ही में थाने ले गये और सुबह को इस शर्त पर छोड़ा कि वह मडियाहूँ के बाहर नहीं जाओगे और न ही खालिद की पैरवी करोगे। दो सादे कागज पर जबरन दस्तखत कराये गये। उसने यह भी कहा है कि उसने 19 दिसम्बर को रात की पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री गृह सचिव आईजी बनारस वगैरह को दे दी थी।

मो.तारिक कासमी के पक्ष में तारिक शमीम पुत्र श्री शमीम अहमद डी.डब्ल्यू-1 निवासी फूलपुर आजमगढ़ ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने कहा है कि वह नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महासचिव है।इससे पूर्व वह राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य था। यह कि हकीम मो. तारिक कासमी की गिरफ्तारी के संबंध में उसे जानकारी है तथा उसके द्वारा जो आन्दोलन चलाया गया उसका विवरण वह इस शपथ पत्र में प्रस्तुत कर रहा है।

यह कि 12 दिसम्बर 2007 को हकीम तारिक को रोजानी की तरह रानी की सराय चेक पोस्ट से सरायमीर धार्मिक इजतेमा में जाते समय चेक पोस्ट के समीप लखनऊ-बलिया मार्ग स्थिति ग्राम महमूदपुर से अपहरण कर लिया गया था। यह कि 14 दिसम्बर 2007 को स्थायी थाना रानी की सराय में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने हकीम तारिक कासमी के दादा अजहर अली उम्र 80 वर्ष की तरफ से दर्ज करायी थी उसकी फोटो कॉपी डी.डब्ल्यू-1/Ext.2 दाखिल की है। उसने यह भी कहा है कि दिनांक 15.12.2007 को मो. इरशाद खान अध्यक्ष नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी व पूर्व विधायक तथा उनके सहयोगी प्रार्थी ने एस.एस.पी. और डी.एम. आजमगढ़ से मिलकर हकीम तारिक कासमी के संबंध में जानकारी चाही व प्रार्थना पत्र डी.डब्ल्यू-1/Ext.3 दाखिल किया है। यह कि एस.एस.पी. व डी.एम. का जवाब संतोषजनक न होने के कारण प्रार्थी ने दिनांक 16.12.2007 को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। यह कि मामले में सुनवाई न होने के कारम दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को कस्बा सराय मीर में भी धरना दिया। यह कि 15.12.2007 से 17.12.2007 के मध्य हाकिम तारिक का मोबाइल नंबर 9450047342 जो उसके पास था, कभी चालू हो जाता था और कभी बंद हो जाता था और इसके संबंध में भी एस.एस.पी. आजमगढ़ से निवेदन किया गया था और यह अनुरोध किया था कि मोबाइल को सर्विलांस द्वारा

ट्रेस करवाया जाए पर एस.एस.पी. ने इस संबंध में प्रार्थी से खामोश रहने के लिए निर्देशित किया। यह कि दिनाकं 16/17.12.2007 को मो. अरशद खान ने हकीम तारिक के परिवार के साथ लखनऊ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, गृह सचिव उ.प्र., पुलिस महानिदेशक उ.प्र. को इस घटना की सूचना रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत करके हकीम की बरामदगी की गुहार लगायी थी।

यह कि दिनांक 18.12.2007 को कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर धरना देकर फिर ज्ञापन दिया गया था। यह कि दिनांक 18.12.2007 को हकीम तारिक के दादा अजहर अली ने डी.एम और एसएसपी की हकीम तारिक को अपहरण किये जाने की तहरीर रजिस्ट्री द्वारा देकर दर्ज करायी थी व बरामदगी की गुहार लगायी थी। यह कि दिनांक 18.12.2007 को हकीम के दादा अजहर अली द्वार प्रभारी सूचना अधिकारी आजमगढ़ से तारिक कासमी के बारे में यह जानकारी लिखित रूप से मांगी गयी थी क्या तारिक को पुलिस के किसी विभाग द्वारा किसी विशेष जांच के लिए ले जाया गया है परन्तु इसका भी उत्तर नहीं मिला।

यह कि दिनांक 18/19 दिसम्बर 2007 की रात लगभग 12 बजे स्थानीय पुलिस के साथ करीब तीस की संख्या में सादा ड्रेस में कुछ लोग आये और सीधे हकीम तारिक कासमी के घर में घुस गये और कहा कि तारिक कासमी का कमरा दिखाओ, शायद वहां कोई सुराग मिल जाये जो तारिक कासमी बरामदगी में सहायक होगा। यह कि सुराग तलाश करने के बहाने वह लोग कहीम तारिक कासमी की धार्मिक व मेडिकल की 247 किताबें, घर के दो मोबाइल सेट आदि ले गये और दादा और पिता से सादे कागज पर यह कह कर हस्ताक्षर कराये थे कि आपके घर सिर्फ यही सामान लिया है इसकी लिस्ट बनवा कर सुबह दी जायेगी। इसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों को दी गयी । इस एक सप्ताह के दौरान पुलिस की गतिविधियां और कार्यवाही संदिग्ध होने के कारण दिनांक 20 दिसम्बर 2007 कोक कलेक्ट्रेट में फिर धरना दिया परन्तु इस बार स्थानीय प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। यह कि दिनांक 20 दिसम्बर 2007 को पूर्व विधायक मो. अरशद खान के हकीम के परिजनों को चीफ तथा होम सेक्रेटरी के समक्ष पेश करके हकीम की रिहाई की गुहार लगायी। परन्तु कोई संतोष जनक उत्तर नहीं मिल। यह कि थक हार कर नेशनल लोकंतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौ.चरणपाल सिंह से ने मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल महोदय के दफ्तर में इस आशय का ज्ञापन प्राप्त कराया यदि हकीम तारिक कासमी को 22.12.2007 तक पुलिस बरामद नहीं करती है तो पुलसि तथा सरकार की इस उदानसीनता के खिलाफ वह अपहरण स्थल पर 23.12.2007 को अत्मदाह कर लेंगे। यह कि इसी चेतावनी के 1 दिन बाद दिनाकं 22.12.2007 को सुबह पुलिस और एस.टी.एफ. ने हकीम तारिक और खालिद मुजाहिद जिसको 16.12.2007 को कस्बा मडियाहूँ जिला जौनपुर से उठाया गया था जिसकी खबर 17 दिसम्बर 2007 के अखबारों में छपी थी को बाराबंकी में गोला बारूद के साथ आतंकवादी बताकर पकड़ा गया और डी.जी.पी. उ.प्र.ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।

उसने यह भी कहा कि धयान देने लायक बात यह है कि 12.12.2007 से 21.12.2007 तक लगातार धरना व आंदोलन के जरिए जिले से सचिवालय व गवर्नर हाउस तक लिखित शिकायत की गई परन्तु किसी अथॉरिटी ने तारिक कासमी के पुलिस कस्टडी में होने की बात स्वीकार नहीं की और आत्मदाह की चेतावनी के तुरंत बाद उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया।

उसने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.2007 को 12 बजे दिन में डी.जी.पी. उ.प्र. की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को आतंकवादी घोषित करने के 4 घंटे बाद मो.अरशद खान ने तारिक कासमी के पूरे परिवार के साथ लखनऊ में पत्रकारों के सामने डी.जी.पी. के बयान का खंडन किया तथा झूठ का पुलिंदा बताने की कोशिश भी की थी परन्तु पुलिस के सैकड़ो जवानों और अधिकारियों ने उसे बलपूर्वक उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। यह कि न्याय की मांग करने वालों को आंतकित करने के लिए जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी गई। उसके बाद दिनांक 23.12.2007 की सुबह दो लोगों को चिनहट में आतंकवादी बताकर एनकाउंटर कर दिया गया और अखबारों में पुलिस बयान के अनुसार यह दोनों आतंकवादी हकीम तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद के साथी बताये गये। जबकि इन दोनों का पता नहीं चला कि यह लोग कहां से आये थे और कौन थे।

उसने यह भी कहा कि पूरे अन्याय के खिलाफ न्याय की गुहार करने वाले मो. अरशद व प्रार्थी को पुलिस की तरफ से धमकियां दी जाने लगीं और 13.01.2008 को अरशद खां के दो भाइयों और एक पार्टी कार्यकर्ता को रास्ते में पकड़कर जेल भेज दिया गया साथ ही कई फर्जी मुकदमे लगा दिये गये। जौनपुर में आंदोलन कर रहे तारिक शमीम व अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके शाम को छोड़ दिया गया। यह कि पुलिस की ज्यादती के विरोध में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौ.चरणपाल सिंह और प्रदेश प्रवक्ता मजहर आजाद ने फरवरी की पहली तारीख से विधान सभा लखनऊ के सामने आमरम अनशन शुरू किया परन्तु छह दिन बाद रात में पुलिस ने जबरदस्ती अस्पताल में डालकर हड़ताल तुड़वा दी।

उसने यह भी कहा गिरफ्तारी की न्यायिक जांच की मांग लगातार जारी रही और 14 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री उ.प्र. ने आर.डी.निमेष कमीशन की घोषणा की। यह कि मो. खालिद मुजाहिद निवासी मोहल्ला महतवाना थाना मड़ियाहूँ जिला जौनपुर दिनांक 16.12.2007 को खालिद मुजाहिद को मड़ियाहूँ बाजार जिला जौनपुर से शाम लगभग 6.30 बजे फतेह मुहम्मद बिल्डिंग के पास मोहल्ला सदरगंज चाट की दुकान के पास से टाटा सूमो से आये कुछ लोग जौनपुर की ओर उठाकर ले गये। तुरन्त मो.शाहिद द्वारा इस घटना की सूचना प्रभारी निरीक्षक मडियाहूँ को दी गयी। बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव उ.प्र. पुलिस महानिदेशक तथा मानवाधिकार आयोग को भी दी गयी। दिनांक 17.12.2007 अमर उजाला अखबरा में एक खबर छपी मोहल्ला महतवाना में जिला लड़ियाहूँ के वर्ग विशेष एक युवक को चाट खा रहे स्थान से गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए ले गये हैं। यह कि अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पार्टी के युवा कार्यकर्ता चौ.चरणपाल सिंह, शाबान करीमी सचिव और मजहर आजाद दिनांक 20.12.2007 को मडियाहूँ इस सच्चाई की जानकारी के लइ आये और उन्होंने स्थानीय निवासियों और दुकानदारों से पूछताछ की और उन्हें ज्ञात हुआ कि खालिद मुजाहिद को 16.12.2007 को कस्बा मडियाहूँ से गिरफ्तार किया गया है।

उसने यह भी कहा कि सच्चाई जानने के बाद पार्टी अध्यक्ष मो.अरशद खां के निर्देश पर चौ. चन्द्रपाल सिंह, मजहर और अन्य लोगों ने कस्बे में दिनांक 05.01.2008 को धरना प्रदर्शन किया। यह कि दिनांक 5 जनवरी 2008 को पूरे जौनपुर जनपद में हजारों की संख्या में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले कलेक्ट्रेट जौनपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन एस.डी.एम. के माध्यम से दिया गया।

उसने यह भी कहा कि हमारी पार्टी समझती है कि हकीम तारिक कासमी को 12 दिसम्बर 2007 को और खालिद मुजाहिद को 16 दिसम्बर 2007 को मड़ियाहूँ जौनपुर से गिरफ्तार करके दिनांक 22.12.2007 को आत्मदाह की चेतवानी के बाद बाराबंकी से फर्जी ढंग से गोलाबारूद बरामद दिखाकर फर्जी गिरफ्तारी दर्शायी गयी है।

मोहम्मद हारुन (डी.डब्ल्यू-2) पुत्र शेख मोहम्मद ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को लगभग 12 बजे दिन वह अपने निवास संजरपुर थाना सरायमीर से आजमगढ़ के लिए जा रहा था और जैसे ही वह महमूदपुर गांव पहुंचा तो देखा कि एक टाटा सूमो खड़ी है उसमें कुछ लोग टाटा सूमो में हकीम तारिक को जबरदस्ती बैठा रहे थे उसने व उसके गांव के साथी सर्फुद्दीन पुत3 रियाजुद्दीन और बहुत सी सवारियां गाड़ी में बैठी थीं। उन्होंने रुक कर उन लोगों से पूछा कि आप लोग हकीम तारिक के साछ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हकीम जी घर से नाराज होकर जा रहे हैं और वे लोग उनको घर लेकर जायेंगे। उसने यह भी कहा कि हकीम जी को टाटा सूमो में पिछली सीट पर बैठाकर वह लोग चले गये और दो लोग मोटर साइकिल लेकर चेकपोस्ट की तरफ चले गये जो वहां से वह लोग बनारस की तरफ चले गये। उसने यह भी कहा है कि इस घटना बाद जनता काफी आक्रोशित हो गई और धरना-प्रदर्शन करने लगी और कहा कि हकीम का अपहरण हो गया है।

सर्फुद्दीन (डी डब्ल्यू-3) पुत्र निजामुद्दीन निवासी संजरपुर थाना सरायमीर,जिला आजमगढ़ ने शपथ पत्र दाखिल किया और यह कहा है कि 12.12.2007 को लगभग 12 बजे दिन वह आजमगढ़ के लिए जा रहा था और जब वह चेक पोस्ट से पहले महमूदपुर गांव पहुंचा तो एक टाटा सूमो खड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ लोग हकीम तारिक को टाटा सूमो में बिठा रहे थे वह तथा उसके गांव के लोग सवारी गाड़ी में थे उसके गांव के लोगों में मो.हारून व न्य लोग सवारी गाड़ी में थे। उसने यह भी कहा है कि दो लोग मोटरसाइकिल के पास थे उसने उन लोगों से पूछा कि यह किस बात की भीड़ है तो उन्होंने कहा कि हकीम तारिक घर से नाराज होकर जा रहा था और न लोगोंन उसे घर पहुंचाने के लिए ले जा रहे हैं। हकीम तारिक को टाटा सूमो में पिछली सीट पर बैठाकर लेकर चले गये और दो लोग उनकी मोटर साइकिल लेकर चेकपोस्ट की तरफ चले गये और वहां से वह बनारस की तरफ चले गये। उसने यह भी कहा है कि उसने बादमें पता चला कि हकीम जी का अपहरण हो गया है और जनता धरना प्रदर्शन कर रही है।

शौकत अली (डी.डब्ल्यू-4) पुत्र स्व. मोहम्मद अख्तर निवासी दाऊदपुर थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि दिनांक 12.12.2007 को आजमगढ़ दवा लेने के लिए जा रहा था और जैसे ही वह चेकपोस्ट से पहले महमूदपुर गांव के सामने पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग हमीम तारिक को जबरदस्ती टाटा सूमो में बैठा रहे ते और दो लोग हकीम तारिक की मोटर साइकिल के पास खड़े थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने मोटरसाइकिल रोककर पूछा कि क्या हो रहा है। वह किसी को क्यों जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जा रहा है तो मोटर साइकिल के पास खड़े व्यक्ति ने कहा कि हकीम जी घर से नाराज होकर जा रहे थे। वह उनके रिश्तेदार हैं और वह उन्हें उनके घर वापस ले जा रहे हैं। यह कि और इसी दौरान हकीम तारिक टाटा सूमो में बैठाकर वह लोग चले गये और मोटर साइकिल के स खड़े लोग मोटर साइकिल लेकर चेक पोस्ट की तरप चले गये। वह चेक पोस्ट तक मोटर साइकिल के पीछे था और देखा कि

मोटर साइकिल सवार चेक पोस्ट से बनारस की तरफ चले गये। उसने यह भई कहा कि काफी हल्ला मचा कि हकीम तारिक का अपहरण हो गया है और जनता धरना प्रदर्शन कर रही है।

शकील अहमद (डी.डब्ल्यू-5) पुत्र स्व.अब्दुल जब्बार निवासी मोहल्ला कजियाना, कस्बा मडियाहूँ थाना मडियाहूँ, जिला चौनपुर ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह उपरोक्त पते पर काफी समय से रह रहा है। यह कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसने यह भी कहा कि उसनकी दुकान मुन्नू चाट वाले के निकट है और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

मोहम्मद शाहीद आलम (डी.डब्ल्यू-6) पुत्र स्व. मो. रहमतुल्ला निवासी महतवाना कस्बा मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करके कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने

यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

मो. शकील अहमद (डी डब्ल्यू-7) पुत्र स्व. अब्दुल रशीद निवासी गढ़ई, कस्बा मडियाहूँ, थाना मडियाहूँ, जिला जौनपुर ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

मौलवी असलम(डी.डब्ल्यू-8)पुत्र श्री कुद्दस निवासी ग्राम आवंक, थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि हकीम मोहम्मद तारिक पुत्र रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ दिनांक 12.12.2007 को लगभग 12 बजे दिन में तबलीगी जमात के इस्तेमा में ग्राम सेरूआ जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफेद टाटा सूमो से सवार लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। उसने यह भी कहा कि ग्रामीणों व राहगीरों ने अपहरण का विरोध किया था परन्तु सूमो सवार हकीम का अपहरण करने में सफल रहे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि थाना रानी की सराय में घटना बारे में सूचित किया गया था परुतु थाना रानी की सराय पुलिस ने हीलाहवाली करते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी लेकिन खोजने में को तत्परता नहीं दिखाई थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 18/19.12.2007 रात को पुलिस वाले दो तीन गाड़ी में सवार होकर आये और हकीम तारिक के घर को घेर लिया और घर में जबरदस्ती

घुस गये और अनैतिक रूप से सामान को इधर-उधर फेंकने लगे और कुछ कीमती सामान व पुस्तकें उठाकर ले गये। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसने यहभई कहा कि उसने लिथि रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,नई दिल्ली चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, चीफ सेक्रेटरी गृह मंत्रालय लखनऊ व डी.जी.पी. उ.प्र. शासन लखनऊ को दिनांक 19.12.2007 को प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री डाक से भेजे थे।

अब्दुल शमीम (डी.डब्ल्यू-9) पुत्र शमीम अहमद निवासी आवंक, ताना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि और यह कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को समय लगभग 12 बजे दिन वह अपने गांव को मो. अरशद पुत्र इरशाद अहमद के साथ मोटर साइकिल से सेरवा इस्तेमा में जा रहा था जब वह ईश्वरपुर व मुहम्मदपुर गांव के बीच पहुंचा तो धेक कि हकीम मो. तारिक निवासी ग्राम सम्मोपुर, आजमगढ़ की मोटर साइकिल सड़क किनारे खड़ी है और दो लोग जबरदस्ती एक सफेद टाटा सूमो में हकीम तारिक को विठा रहे थे उसने यह भी कहा कि जब वह अपनी मोटर साइकिल से उतरा तो देखा वह लोग हकीम तारिक को गाड़ी में बैठाकर कुछ आगे गये और उसी में से दो व्यक्तियों ने हकीम तारिक की मोटर साइकिल की मोटर साइकिल लेकर बनारस रोड़ पर चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उनके अलावा वाहं अन्य लोग आ गये और सभी के सामने अपहरणकर्ता ने कहा कि कोई बात नहीं है हकीम नाराज होकर घर से जा रहे थे उन्हें घर ले जा रहे हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि काफी हल्ला मचा कि हकीम तारिक का अपहरण हो गया है जनता ने भी काफी धरना-प्रदर्शन किया।

जुल्फिकार (डी डब्ल्यू-10) पुत्र रहमतुल्लाह निवासी मडियाहूँ थाना मडियाहूँ, जिला जौनपुर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन

खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

फकरे आलम रायनी पुत्र मो. यासीन (डी.डब्ल्यू-11) निवासी मोहल्ला पीर जकारिया टोला, कस्बा मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करके यह कहा है कि दिनांक दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

शकील अमहद पुत्र अजीमुल्लाह(डी डब्ल्यू-12)निवासी मोहल्ला सदरगंज, थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी

कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

हाजी एकरामुल्ला पुत्र स्व.हाजी मो.शरीफ (डी.डब्ल्यू-13)निवासी गोला बाजार, कस्बा मडियाहूँ,थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत करके यह कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

अरशद पुत्र इरशाद अहमद निवासी आवंक, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़(डी.डब्ल्यू-14)ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को समय लगभग 12 बजे दिन वह अपने गांव के अब्दुल्लाह पुत्र शमीम अहमद को अपनी मोटर साइकिल पर बैठा सेंवरा इस्तेमा के लिए जा रहा था और जैसे ही वह ईश्वरपुर-महमूदपुर गांव के बीच पहुंचा तो देखा कि हकीम मो.तारिक निवासी ग्राम सम्मोपुर आइमा की मोटर साइकिल सड़क के किनारे खड़ी देखी और दो लोग जबरदस्ती सफेद टाटा सूमो गाड़ी में हकीम तारिक को विठा रहे थे। जब तक वह अपनी मोटर साइकिल से उतरा तब तक वह लोग हकीम तारिक को गाड़ी में विठा कर आगे चले गये और उसमें से दो व्यक्तियों हकीम तारिक की मोटर साइकिल लेकर बनारस रोड पर चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके अतिरिक्त मौके पर बहुत से लोग आ गये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि हकीम नाराज होकर घर से जा रहे थे और वह लोग उन्हें घर

लेकर जा रहे हैं। यह कि बाद बाद में काफी हल्ला मचा कि हकीम तारिक का अपहरण हो गया है। जनता ने काफी धरना प्रदर्शन भी किया था।

अब्दुर्रहमान उर्फ नन्हू पुत्र मो. इशहाक (डी. डब्ल्यू-15) निवासी खालिसपुर, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि दिनांक 12.12.2007 को वह भट्टा मालिक बदयूज्जमा से फरिहा बाजार मिलने जा रहा था और जैसे ही वह ग्राम महमूदपुर-ईश्वरपुर गांव के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग आजमगढ़-लखनऊ पर पहुंचा तो एक टाटा सूमो खड़ी दिखाई दी जिसमें 4-5 लगो सवार थे। दो व्यक्ति हकीम तारिक को टाटा सूमो की बीच वाली सीट पर बैठा रहे थे और भी लोग वहां इकट्टा हो गये थे। उसने यह भी कहा कि उसने पूछा तो गाड़ी सवाल खड़े व्यक्ति कह रहे थे कि हकीम जी नाराज थे इसलिए उन्हें उनके घर ले जा रहे हैं इस साक्षी ने यह भी कहा है कि टाटा सूमो लखनऊ की ओर चली गयी दो लोग मोटर साइकिल लेकर रानी की सराय की ओर चले गये वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा था कि यह लोग हकीम तारिक को घर ले जा रहे हैं परन्तु मोटर साइकिल सवार चेकपोस्ट से बनारस की ओर चले गये इस साक्षी ने यह भी कहा कि जनता काफी आक्रोशित हो गयी और धरना-प्रदर्शन करने लगी थी और यह कहने लगी की हकीम जी का अपहरण हो गया है।

मो. आजम पुत्र रियाजुद्दीन (डी. डब्ल्यू-16) निवासी कोईलाड़ी, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि दिनांक 12.12.2007 को वह लगभग दिन के 12 बजे वह अपने दवाखाने के लिए दवा लेने सरायमीर जा रहा था। यह कि जब वह महमूदपुर के पास आजमगढ़-शाहगंज राष्ट्रीय राजमार्क पर ग्राम आवंक के एजाज अहमद पुत्र जहीरूद्दीन मिले और अपनी पत्नी के इलाज के बारे में पूछने लगे तो देखा कि थोड़ी दूर पर एक टाटा सूमो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें 4-5 लगो सवार थे जो हकीम तारिक जो सम्मोपुर आइमा के रहने वाले थे उसने देखा था हकीम मो.तारिक अपनी मोटर साइकिल से रानी की सराय की तरफ से सराय मीर की तरफ जा रहे थे तो तभी खड़ी टाटा सूमो में से दो लोग उतरे और हकीम तारिक को गाड़ी में बैठाने लगे और जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो तब तक वह लोग हकीम तारिक को गाड़ी में बैठाकर लखनऊ की तरफ चले गये वह मौके पर पहुंचा था उसने उन दो लोगों ने बताया कि हकीम जी नाराज थे इसलिए उन्हें उनके घर ले जा रहे हैं इस साक्षी ने यह भी बताया कि वह दो उसकी मोटर साइकिल लेकर आगे चले और आगे बनारस की ओर मुड़ गये। इस साक्षी ने यह भी कहा जनता बाद में काफी आक्रोशित हो गयी और कहा हकीम जी का अपहरण हो गया है काफी धरना प्रदर्शन भी हुआ।

सरफुद्दीन पुत्र स्व.मो.यूसुफ (डी. डब्ल्यू-17) निवासी मोहल्ला सदरगंज मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया और कहा कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

शाहिद जमाल पुत्र मो.जहीर आलम (डी डब्ल्यू-18) निवासी महतवाना, मडियाहूँ, थाना मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया और यह कहा कि दिनांक 16.12.2007 को उसके चचेरे भाई मो. खालिद को शाम को 6.15 बजे जबरदस्ती कुछ लोग उठा ले गये। जब वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना मडियाहूँ पहुंचा तो थाने पर काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी परन्तु थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस साक्षी ने यह भी कहा कि जब उसके चचेरे भाई मो. खालिद को 16 दिसम्बर 2007 को शाम 6.15 बजे जबरदस्ती कुछ लोग उठा ले गये जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी गयी उसके बाद उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को फैक्स किया और अपने पिता जहीर आलम फलाही को फोन से सूचित किया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब उसके चचेरे भाई खालिद को जबरदस्ती चाट की दुकान से उठाया जा रहा था वहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया टाटा सूमो से आये लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों को लहराते हुए किसी को भी आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी दी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उस समय लोगों ने जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

इम्तियाज अहमद पुत्र स्व.समी उल्ला(डी.डब्ल्यू-19) निवासी भढ़रीया टोला मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और और दोनों दुकान में सिर्फ सड़क का फासला है। उसने यह भी कहा है कि उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान पर सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था जो टाटा सूमो से उतरे लोग असलहे के बल पर जबरदस्ती खालिद को उठाकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है

जब खालिद को चाट की दुकान से उठाया जा रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोग अत्याधुनिक हथियार लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने से रोका और गोली चलाने की धमकी दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्‌वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है इस संबंध में विभिन्न अखबारों में छपती रहीं।

अनीसुर्रहमान एडवोकेट पुत्र स्व.बदरूद्दीन (डी डब्ल्यू-20) निवासी मोहल्ला कसाब टोला (अंसार टोला) कस्बा मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने शपथपूर्वक कहा कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग शाम 6.15 बजे वह बाजार में किसी काम से निकला था। उसने यह भी कहा कि वह पवन टाकीज के पास एक दुकान पर खड़ा था और देखा कि एक सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी और मुन्नू चाट वाले की दुकान पर खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था। आये लोगों ने असलहा के बल पर जबरदस्ती टाटा सूमो से उठाकर जौनपुर की ओर चले गये। उसने यह भी कहा कि चाट की दुकान पर जब खालिद को जबरदस्ती उठाया जा रहा था तो वहां उपस्थित कुछ लोगों ने उन लोगों को रोकने का प्रयास किया था परन्तु टाटा सूमो में आये लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों को लहराते हुए किसी को आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी दी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौके पर दहशत का माहौल बन गया था और जब खालिद मुजाहिद को उठाया गया था तो वहां लोगों ने समझा कि खालिद मुजाहिद का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि भीड़ की शक्ल में लोग थाने गये और खालिद मुजाहिद को अपहरण किये जाने की रिपोर्ट देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबार के माध्यम से यह खबर आयी कि खालिद उपरोक्त व तारिक को असलहे आदि के साथ बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया है जो आंख में धूल झोंकने के बराबर था क्योंकि यह खबर झूठ पर आधारित थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्‌वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है। इस विषय में विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुई।

कनीज फातिमा पुत्री रहतुल्ला (डी.डब्ल्यू.-21) निवासी गढ़ाई मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने शपथ पत्र प्रस्तुतत किया और कहा कि वह जमिअतुस्सालेहात में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है और मो. खालिद जामिया में टीचर था और वह पाबंदी से स्कूल आते थे अच्छे टीचर थे और कभी गैर हाजिर नहीं होते थे। इस

साक्षी ने यह भी कहा कि खालिद मुजाहिद ने दिनांक 16.12.2007 को स्कूल में पढ़ाया भी था। लेकिन 16.12.2007 को अपहरम कर लिये गये थे इस कारण 17 दिसम्बर 2007 से स्कूल नहीं आये थे। इस साक्षी ने स्कूल हाजिरी रजिस्टर डी डब्ल्यू-21/1 दाखिल किया है।

मो.आरिफ पुत्र अमानउल्ला खां (डी डब्ल्यू-22) निवासी सदरगंज मडियाहूँ, थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर यह कहा है कि दिनांक 16.12.2007 से 31.12.2007 तक वह अमर उजाला का संवाददाता रहा है और आज भी संवाददाता है। इस साक्षी ने कहा है कि दिनांक 17.12.2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 22.12.2007, 23.12.2007 एवं 27.02.2008 के अमर उजाला में प्रकाशित खबरें जो खालिद से संबंधित हैं उसकी रिपोर्ट के आधार पर छपी हैं जिसका सत्यापन खालिद के परिवार वालों से किया था। "प्रकाशित खबर दिनांक 17.12.2007 में नगर में तीन दिनों से एस.टी.एफ. का दस्ता भ्रमण करता दिख रहा था।" खालिद के परिवारवालों की सूचना पर रिपोर्ट बनी थी और उसने छापने वाले दफ्तर में इसका सूत्र बताया था। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि दिनांक 21.12.2007 को छपी खबर "मडियाहूँ से जुड़े आतंकवादियों के तार" का सूत्र खालिद के चाचा व अन्य लोगों की चर्चा से जानकारी हुई थी और उसी में लिखी खबर "अब लखनऊ पुलिस एवं एस.टी.एफ. की नजर कचेहरी बम विस्फोट के सिलसिले में मडियाहूँ कस्बे पर है" का सूत्र पुलिस थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.2007 को छपी खबर "आतंकियों के संपर्क में था मौलाना खालिद" उसकी रिपोर्ट पर छपा था जिस पर खालिद की फोटो लगी है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 23.12.2007 को प्रकाशित खबर "मौलाना खालिद को आतंकी मानने से इंकार" कस्बा वासियोंखाल अल्पसंख्यक बताने पर रिपोर्ट की गई थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि 23.12.2007 को छपी खबर "क्वालिस सवारों ने उठाया खालिद को"खालिद के चचा के बताने के आधार रिपोर्टिंग की थी और इस क्रम में छपी खबर "खालिद की गिरफ्तारी के बाद चेती पुलिस" का सूत्र जिले की पुलिस अधिकारियों की बैठक के आधार पर तैयार की गयी थी और इसी क्रम में छपी खबर "मजहबी शिक्षा से जुड़ी थी खालिद की दो पुश्तें"खालिद के घरवालों की सूचना पर खबर छपी थी और इसी खबर में बाहर जाने और गायब रहने के संबंध में मोहल्ले वालों ने बताया थ कि तकरीर के लिए जाते हैं और "चार दिन से तलाश थी एस.टी.एफ. को" यह खबर मोहल्ले वालों की चर्चा के आधार पर छपी थी।

मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद (डी डब्ल्यू-24) ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि अपराध संख्या 1891/07 थाना कोतवाली बाराबंकी धारा 121, 121ए, 122, 124ए, 325 भा.द.सं. एवं 415 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 16, 18, 20, 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट दिनांक 22.12.2007 जो फर्जी, झूठा एवं मनगढ़ंत उसके विरुद्ध दर्ज हुआ है। प्रार्थी को एस.टी.एफ. ने दिनांक 12.12.2007 को अवैध रूप से उठाया था और अपनी अभिरक्षा में रखा और उसका निरूद्ध होना सही साबित करने के लिए उपरोक्त अपराध उसके विरुद्ध झूठा दर्ज किया गया है। प्रार्थी वह तथा खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन निकट विश्वनाथ होटल के पासे नहीं हुई उस दिन तक उ.प्र. एस.टी.एफ. ने प्रार्थी को अपनी अभिरक्षा में रखा था और झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

इस आरोपी ने यह भी कहा है कि दिनांक 12.12.2007 दिन बुधवार को वह अपने अजहर यूनानी दवाखाना अपनी स्पेलेन्डर मोटर साइकिल यू.पी.50 एन. 2943 से जा रहा था और जैसे ही वह शंकरपुर रानी की सराय

चेकपोस्ट से कुछ आगे सराय मीर की तरफ पहुंचा तभी सफेद रंग की टाटा सूमो ने उसे ओवर टेक करके रुकने को कहा और मरीज देखने को कहा। आरोपी ने यह भी कहा है कि वह मोटर साइकिल सड़क किनारे रोक ही रहा था कि उस टाटा सूमो गाड़ी से 9-10 लोग कूद कर उसके पास पहुंचे और प्रार्थी का हेलमेट हटाकर मोटरसाइकिल से उठाकर टाटा सूमो में डाल दिया और दो लोगों ने उसकी मोटर साइकिल पकड़ ली। उसने यह भी कहा है कि जब उसने शोर मचाया तो टाटा सूमो में सवार लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने यह भी कहा है कि शोर सुनकर मौके पर भैंस चराने वाले और खेतों में काम करने वाले मर्द और औरतें टाटा सूमो की तरफ दौड़े और इसी दौरान एक रोडवेज बस आ गयी तब तक टाटा सूमो में सवार लोगों ने वहां से गाड़ी तेजी से भगा दी और बाजार तक पहुंचते-पहुंचते उसकी आखों में पट्टी बांध दी। उसने यह भी कहा है कि जब उसने यह पूछा कि उसे कहां ले जाया जा रहे हैं तो टाटा सूमो में बैठे लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया और कहा कि अभी पता चल जायेगा। इस आरोपी ने यह भी कहा है वह तेज-तेज कलमा पढ़ने लगा परन्तु उसे कलमा पढ़ने से रोक दिया और बहुत जिद करने पर बताया कि एस.टी.एफ के लोग हैं। आरोपी ने यह भी कहा है कि उसे थाने लेजाकर पूछताछ करें तो टीम के लीडर बी.के.सिंह ने गरज कर कहा कि पूछताछ तो करना था, लेकिन अब तुम्हे एनकाउंटर करने का आदेश है। आरोपी ने यह भी कहा कि बी.के.सिंह के पास कई फोन सेट थे जिस पर वह बार-बार फोन कर रहा था और उसके पास फोन आ भी रहे थे। आरोपी ने यह भी कहा वह लोग उसे बनारस की तरफ ले गये। बनारस के खामोश इलाके में जो हवाई जहाज दफ्तरों का इलाका नदेसा लग रहा था और वहां पर उसे क मकान में जिसमें दो कमरे एक किचेन था वहां रखा जो उनका खूफिया दफ्तर लग रहा था। इस आरोपी ने यह भी कहा कि शाम तक वहीं रखने के बाद बी.के.सिंह ने बीरेन्द्र नाम अस्त्रधारक और दो कान्सेटेबल को साथ लेकर टाटा सूमो के ड्राइवर जसवंत सिंह के साथ उसे टाटा सूमो में फिर बैठाया और लखनऊ लाये और वहां पर दो कमरा, दालान और शौचालय वाले एक मकान में रखा, जहां पर ऑफीसर लगने वाले कुछ लोग आये और उसका परिचय लेने के बाद उसे आतंकवादी बताया।

इस आरोपी ने यहभई बताया कि उसने उन लोगों को बताया कि वह देश का वफादार और सीधा-सादा मेडिकल प्रैक्टिशनर है । इन लोगों ने पूछा कि तुम दारूल उलूम में पढ़े हो तो आरोपी ने कहां हाँ तो इस पर कहा उन्होंने उसे गाली देते हुए कहा कि वहां पढ़ने के बावजूद भी तुम अपने को आतंकवादी नहीं मानते। इस आरोपी ने आगे यह भी कहा कि दारूल उलूम देवबंद में आतंकवाद का सबक नहीं दिया जाता बल्कि अच्छा इंसान बनाया जाता है। जिस पर उस व्यक्ति ने कहा इसको तैयार करो इस पर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया उसके बाद में पता चला कि उसको हुक्म देने वाला व्यक्ति डी.आई.जी था और उसे आदेश के मुताबिक उसकी रूक-रुक कर खूब पिटाई की गई और सोने नहीं दिया गया और नमाज भी नहीं पढ़ने दी गयी। इस आरोपी ने आगे यह भी कहा कि सुबह डी.आई.जी. कई अफसरों के साथ आये और ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। इस आरोपी ने यह भी कहा कि जो अंग्रेजी में सवाल कर रहे थे उनसे सने उर्दू में सवाल पूछने के लिए कहा जिस पर सीओ आनंद को अनुवादक बनाकर सवाल किये । इस आरोपी ने यह भी कहा कि उससे विदेश यात्रा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि 2004 में हज और 2005 में उमराह करने गया था। प्रार्थी ने यह भी कहा कि उन्होंने इस्लाम के बारे में पूछा और जेहाद के बारे

में भी पूछा उसने कहा कि इस्लामी कानून पर अमल करने और इस्लाम को फैलाने और काफिरों के कत्ल को जेहाद कहा जाता है। उसने यह भी कहा है यह बात गलत है और इस्लाम में कत्ल की इजाजत नहीं है परन्तु इस्लाम की राह में रूकावट पैदा किये जाने पर मुस्लिम विद्वानों और मुफ्तियों के फैसले पर जेहाद फर्ज हो जाता है। इस पर उन्होंने कहा क्या हिन्दुस्तान में जेहाद चल रहा है इसका जवाब आरोपी ने नहीं दिया और आरोपी के नहीं कहने पर उसने कहा कि तुम क्यों कर रहे हो तो आरोपी ने कहा कि वह जेहाद जैसा कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसके बाद वह अफसर फिर कभी नहीं दिखायी दिया।

इस आरोपी ने यह भी कहा कि एक-एक ग्रुप 4-4 घंटे टार्चर करता था और एक के जाने के बाद दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप को गालियां देता और आरोपी के लिए चाय मसाला और बहला-फुसलाकर वह कहलाना चाहता था जो आरोपी ने किया ही नहीं। एक बार एक ग्रुप ने सी.ओ. आनन्द को बुलाया और उन्होंने आते ही कहा कि इसके तैयार न होने पर इसके बीबी बच्चों और मां बहनों को उठा लाओ और इसके सामने बेइज्जत करो। इस आरोपी ने यह भी कहा कि उसे करंट लगाया जाता, नंगा करके मारा पीटा जाता, पेशाब व शराब पिलाई जाती और मुंह में गंदी चीजें ठूस दी जाती थी। इस आरोपी ने कहा कि उसे बयान देने के लिए सीओ एस आनन्द ने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसे इंस्पेक्टर शर्मा, दरोगा शुक्ला और ओ.पी.पाण्डेय द्वारा कही गयी कहानी को उसे रटाया जाने लगा और इसी बीच समय-समय डी.आई.जी., ए.एस.पी. अमिताभ यश और ए.डी.जी. बृजलाल भी वहां आते रहे। इस आरोपी ने कहा है कि 18 दिसम्बर 2007 को रात में आई.जी., डी.आई.जी,एस.एस.पी. अमिताभ यश, एस.एस.पी. अखिल कुमार, आई.जी.जोन और ए.डी.जी.पी. बृजलाल बहुत देर तक प्रार्थी से पूछते रहे और बाद में ए.डी.जी.बृजलाल, अभिताभ यश,एस.एस.पी.अखिल कुमार और सी.ओ. आनंद दो दारोगा रह गये जिस पर बृजपाल ने भरोसा करते हुए कहा कि फल तैयार है। इस पर दूसरे दिन उसे मारा पीटा कम गया और सोने भी दिया गया। इस आरोप ने यह भी कहा कि 19 दिसम्बर 2007 की रात में कुछ अफसरान आये और उनके सामने पेश करने से पहले आरोपी से कहा गया कि वह रटी रटाई बात ही उनके सामने कहेगा लेकिन इंसाफ की उम्मीद में डी.जी.पी. समझकर आरोपी ने सही सही बात बता दी लेकिन डी.जी.पी. विक्रम सिंह ने धमकी देकर कहा कि तोते की तरह बोलो और फिर सी.ओ. ए.एस.पी. के कहने पर आरोपी को दूसरे कमरे में ले जाकर उस मारना पीटना शुरू किया और कहा कि रटाई गयी बात ही बड़े साहब के सामने बोलो। दूसरी बार आरोपी को डी.जी.पी. के सामने पेश करके रटी रटाई कहानी कहलवायी और उसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करवायी गयी। इस आरोपी ने यह भी कहा कि दिनांक 21.12.2007 की रात में वह सारे अफसरान के सामने सटाई गयी बात दोहरायी और उस रात देहली, गुजरात, अहमदाबाद पुलिस के कुछ लोग भी आये थे। गुजरात वाला कहता है कि तुम गुजरात गये हो और तुम्हारे लोग गुजरात में भी रहते हैं। इस आरोपी ने कहा कि उसका मोबाइल नंबर तलाशते रहे और दिल्ली वाले अफसर ने कहा कि तुम दिल्ली आते-जाते रहते हो और आतंकवाद से तेरा संबंध है और तभी एक कागज टाइपशुदा दिखाकर कहते थे कि पकड़े गये आतंवादियों की आख्या में तुम्हारा नंबर मिला है जिसके जवाब में उसने कहा कि फोन नंबर उसके पैड पर और अखबारों में दिये गये इश्तहार में दिया गया है जो किसी को भी मिल सकता है। सज्जाद के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि खालिद के दोस्त और उसके दोस्त मरीज रहे हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हें जानता है।

इस आरोपी ने कहा कि पूर्व में रचे गये षड़यंत्र के अनुसार उसे और खालिद मुजाहिद को एक गाड़ी में विठाकर लखनऊ से गाड़ियों का काफिला सुबह चार बजे रवाना हुआ और एक ऐसी जगह लेकर गये जहां ट्रेन की आवाज आ रही थी जिससे लग रहा था कि रेलवे स्टेशन है। उसका बाद सुबह करीब छः या सात बजे एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां पर पांच मिनट के लिए उतारने के बाद उसी गाड़ी में बैठाने के बाद सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया जहां पर हाथ-पैरों के निशान लिये गये और बड़े-बड़े अफसरान पहुंचते रहे। उस आरोपी ने यह भी कहा एस आनन्द, ओ.पी.पाण्येय, पंकज पाण्डेय, नीरज पाण्डेय, बराबर उसके साथ बने रहे और बराबर रटा हुआ बयान देने के लिए डराते रहे। इस आरोपी ने कहा कि राजेश पाण्डेय जो बराबर एस.टी.एफ ऑफिस लखनऊ उसके पास आते रहते थे सादे कागज पर हाथ पैरों के निशान लगवाये और रटी हुई कहानी को टेप किया और फिर उसे एस.ओ.जी. बाराबंकी के हवाले कर दिया गया । यह भी कहा कि एस.ओ.जी. बाराबंकी उसे जेल ले गयी जहां पर उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर बनवाये, एक व्यक्ति ने वहां पर कुछ लिखने को कहा जिसे अदालत पहुंचने पर उसने पहचाना कि वह सी.जे.एम. की अदालत थी और जेल गयी अधिकारी खुद सी.जे.एम. थीं इसे आरोपी ने कहा कि जेल में कैदियों और सिपाहियों ने उसे इतना पीटा कि चलना भी उसका संभव नहीं था। फिर वहां से 24.12.2007 को लखनऊ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां उसने अपनी आप बीती सुनाई और रिमांड पर न दिये जाने की प्रार्थना की, परन्तु उसकी एक न सुनी गयी और रिमांड पर लेने के बाद उसे एस.टी.एफ.ऑफिस में रखा गया।

इस आरोपी ने यह भी कहा कि उसे गोमती नगर लाया गया जहां मारने पीटने में कोई भी नहीं आई और सोने पर एक दम पाबंदी लगी थी, टांगों को चिरवाकर बालों को उखाड़ा जाता था और इसी बीच हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात, बंबई, दिल्ली, बंगाल और कई जगहों से पुलिस अधिकारी पूछताछ करने आये जिनसे उसने मजबूरी में रटा हुआ बयान दिया। लेकिन राजस्थान और देहली पुलिस को सही बात बताई और इसकी खबर अमिताभ यश को दी गयी तो उसे नंगा करके बेल्ट से पीटा गया और जख्म पर और मुकामें खास पर पेट्रोल डाला गया और इस तरह उसे 01.02.2008 तक यातनाएं दी जाती रही और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

इस आरोपी ने यह भी कहा है कि 08 जनवरी 2008 को एस.टी.एफ.के लोगों और राजेश पाण्डेय सी.ओ. फैजाबाद एक मजिस्ट्रेट लेकर जेल आये और उसे फिर से रिमाण्ड पर ले लिया और इस बार उसे खालिद मुजाहिद, सज्जादुर्रहमान उर्फ मो.अख्तर के साथ महानगर एस.टी.एफ. ऑफिस में रखा गया और 10 तक टार्चर किया जाता रहा और सवाल पूछे जाते रहे और 17 जनवरी 2008 की रात से 18 जनवरी 2008 की सुबह तक राजेश पाण्डेय, सी.ओ.फैजाबाद, ओ.पी.पाण्डेय, दारोगा एस.टी.एफ., पंकज कान्स., सी.ओ.एस.आन्नद भी उसके साथ रहे थे। एक बैटरी जिस पर कुछ चिकना पदार्थ लगा हुआ था उसके हाथ में पकड़वाया गया और सादे कागज पर हाथ-पैर के निशान लिये गये और सर के बालों को उखड़वा कर अलग पुड़िया बनाकर हस्ताक्षर बनाये गये व नाम लिखे गये। इस आरोपी ने कहा कि उनको बारी-बारी अलग-अलग कमरे में ले जाकर अफसरों ने बात की और 17 जनवरी 2008 को आरोपी को अमिताभ यश के ऑफिस ले जाया गया जहां उसने हमदर्दी जता कर सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव रखा ऐसा न करने से मना करने पर जेल में सड़ा डालने की धमकी दी गयी और कहा फर्जी सबूत बनाकर जो सजा चाहेंगे दिला देंगे। इस तरह

सी.ओ.आनंद, राजेश पाण्डेय, ओ.पी.पाण्डेय और एस.टी.एफ. के दो अफसर अलग-अलग उसे बहलाते-फुसलाते रहे और सुरक्षा देने की बात कहते रहे और इससे पहले 8 या 9 जनवरी 2008 को जब राजेश पाण्डेय सी.जे.एम. फैजाबाद को लेकर जेल गये थे तब सी.जे.एम. फैजाबाद ने कहा था क्या तुम सरकारी गवाह बन गये हो तब उसको आरोपी ने मना कर दिया। तब आरोपी ने कहा कि राजेश पाण्डेय ने उसे गालियां दी और सी.ओ.आनन्द और ओ.पी.पाण्डेय ने कहा था रिमांड पर लेने के बाद उसका बुरा हाल करेंगे। अमिताभ यश ने उसे गोरखपुर में हुए धमाकों में भी शामिल बताया और कहा कि बनारस धमाकों में भी उसका हाथ बताया और कहा कि वह आतंकवादियों को पैसा पहुंचाता है। उसने कहा रिमांड समाप्त होने पर उसे जेल भेज दिया गया। जेल में एस.टी.एफ. वाले आते जाते रहे और अमिताभ यश समेत कई अधिकारी उसे धमकी देते थे। इस आरोपी ने यह भी बताया कि दिनांक 12.12.2007 को उसे जब उठाया गया था उस समय उसकी अंदर की जेब में 1100 रूपये, बैग की जेब में तकरीबन 700 रूपये, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कागज, इंश्योरेंस और प्रदूषण कागज, दवा की खरीददारी का ऑर्डर व ट्रेवल्स का एक बिल उसके पास था तथा उसकी निचली जेब में मोबाइल और एक मदनी डायरी जिस पर घऱ का हिसाब-किताब और कुछ पुरानी दवा और कुछ आशार लिखे हुए थे। जिसे एस.टी.एफ. के लोगों ने ले लिया और उस पर अंग्रेजी में लिखने को कहा परन्तु उसने कहा कि उसे अंग्रेजी नहीं आती तो उन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में कुछ लिखा। इस आरोपी ने यह भी कहा कि चलते वक्त रास्ते में बी.के.सिंह किसी से फोन पर यह कह रहे थे कि इनका काम नहीं करना है, लेकर आना है। लेकर आ रहा हूँ रात में लखनऊ के लिए निकलूंगा। इस आरोपी ने यह भी कहा कि नीरज पाण्डेय 11.12.2007 को उसके दवाखाने आया था और अपने चाचा को दिखाने का बहाना करके उसके बैठने का समय पूछा था।

मोहम्मद खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद डी. डब्ल्यू-25 निवासी महतवाना, मडियाहूँ, जिला जौनपुर ने शपथ पूर्वक कहा कि दिनांक 16.12.2007 शाम 5 सवा 5 बजे वह अपने घर से निकर बाजार नील वापस करने निकला था। उसने यह भी कहा कि रास्ते में अफरोज भाई बिस्कुट वाले की दुकान पड़ती है वह वहां रुक गया और वहीं पर अनवर अबु से मुलाकात हुई। इस आरोपी ने यह भी कहा कि अनवर अबु की दुकान पवन टाकीज के सामने है वहां पहुंचा और सामान लिया। वह नील वापस करने के लिए छोटू भाई की गुमटी के पास आया और उसी के बगल में उसके भाई कल्लू मृतक की दुकान है वहां पर उसने नील वापस किया। वह नील वापस करने के बाद मुन्नू चाट वाले की दुकान पर गया और जैसे ही वह चाट दुकान पर पहुंचा तभी मुन्नू की मां ने उसे बुलवा लिया और उनसे कहा कि उसकी पोती को नजर लग गयी है और वह उसे झाड़ दे। वह मुन्नू की मां के पास पहुंचा ही था वह उसकी नजर झाड़ नहीं पाया था वहीं पास में गाड़ी आकर खड़ी हुई उसमें से कुछ लोग निकले और उन्होंने उसे फौरन गाड़ी में विठा लिया। इस आरोपी ने यह भी कहा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान के पीछे की तरफ 6-7 फीट की दूरी पर मुन्नू चाट वाले की मां बैठी थी जहां से उसे उठाया। उसने यह भी कहा कि गाड़ी वहां रूकी नहीं नहीं थी तुरन्त चल दी थी।

इस आरोपी ने यह भी कहा कि रास्ते में उसके हाथ पैर बांध दिये और मुंह में पट्टी बांध दी गयी थी, इसे रास्ते में उतारा था उस समय उसकी आंख पर पट्टी बंधी थी उसे यह पता नहीं कि उसे किस जगह उतारा था। और उसी वक्त पकड़ने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल पर फोन आया और उन लोगों में से एक ने कहा कि

यदि उसे लखनऊ आना होगा तो सी.ओ.साहब आपको आना होगा। उसने यह भी कहा कि मोबाइल के बाद लगभग 10 मिनट रूके थे उसके बाद सी.ओ. साहब की गाड़ी आ गयी और उसके बाद उसे आगे ले गये। इस आरोपी ने यह भी कहा कि उसे लखनऊ लाकर किसी अज्ञात जगह पर रखा गया था लेकिन यह नहीं बता सकता उसे कहां पर रखा गया था। इस आरोपी ने यह भी कहा कि वहां पर 25 लोग मौजूद थे और बार-बारी उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
इस आरोपी ने यह भी कहा कि सके कपड़े उतार कर मारा पीटा जाता था और उसकी दाढ़ी के बाल नोचे जाते थे और उसे दीवार के सहारे बैठाकर टांग चौड़ी करके एक आदमी एक पैर की तरफ तथा दूसरा आदमी दूसरे पैर की तरफ खड़ा होकर अपना पेशाब उसके मुंह पर डालते थे और पाखाने के मुकाम पर पेट्रोल डाला गया।
इस आरोपी ने यह भी कहा कि उसके पेशाब नली में धागा बांधकर पत्थर लटकाया जाता था तथा उसे सिगरेट से दागा भी जाता था। शराब व पेशाब उसे पिलाया गया और यह कहा जाता था कि कुबूल कर लो कचेहरी ब्लास्ट उसने किया है। इस आरोपी ने यह भी कहा कि सुअर के गोश्त को उसके मुंह में डाला गया और कहते थे कि यह सुअर का गोश्त है जबरदस्ती उसे खिलाया गया। उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर नाक व मुंह से पानी पिलाया गया, करंट का शॉक लगाया गया। यह सब कार्य उसके साथ अंजान जगह पर की गयी थी।
इस आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी कमर में रस्सी बांध के ऊपर छत में रस्सी फंसा कर खींचा जाता था और उसे नीचे पानी में डुबकी लगायी जाती थी और यह सब काम बारी-बारी से 4-4 घंटे के अंतराल पर किये जाते थे। इस आरोपी ने यह कहा कि जब उसने कचेहरी ब्लास्ट नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी कैसे ले लूं तो इस पर प्रताड़ित करने वाले कहते तुम जिम्मेदारी लो वरना तुम्हारी मां र बीवी को उठा लायेंगे और जान से मार देंगे। इसके बाद दो लोगों ने बैठकर उसे सारी बातें बतायीं जिसकी रिकॉर्डिंग की गयी और आंख में पट्टी बांधकर कुछ चीजें पकड़वायी गयी परन्तु उसे नहीं मालूम वह कौन सी चीजें थीं।
उसने यह भी कहा कि उसके बाद दिनांक 22.12.2007 को गिरफ्तारी दिखा दी गयी। उसके बाद उसे सरकारी गेस्ट हाउस ले गये। वहां पर सी.ओ. राजेश पाण्डेय ने सारी बातें रिकॉर्ड की और कुछ सादे कागजों पर हाथ पैर की उंगलियों के निशान लिये और एक बैग पर भी निशान लिया। उसके बाद उसे बाराबंकी जेल ले गये। वाहं पर उसे जेल के सिपाहियों और बंदियों ने काफी मारा-पीटा। इस आरोपी ने यहभी कहा कि एक मर्द और एक औरत के सामने उसकी पेशी हुई जिसके बारे में पता चला कि वह सी.जे.एम.बाराबंकी थी। उसने यह भी कहा कि सादे कागजों पर वहां पर उससे दस्तखत कराये गये। जब लखनऊ जेल में वह आयीं तब उसे पता चला कि वह औरत सी.जे.एम.बाराबंकी हैं।
इस आरोपी ने यह भी कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को उसे लखनऊ लेकर आये थे उसमें कुछ लोगों ने उसे प्रताड़ित किया था, मारा पीटा था जिसमें पंकज, ओ.पी.पाण्डेय, अमिताभ यश जिसका बाद में पता चला कि वह एस.पी. लखनऊ थे, राजकुमार, नीरज, जय प्रकाश, सत्य प्रकाश, सी.ओ.एस आनन्द, अविनाश मिश्रा, मनोज कुमार, धनन्जय मिश्रा तथा राजेश पाण्डेय, चिरंजीव नाथ सिन्हा सी.ओ.चौक, एक अवस्थी थे जिनका नाम नहीं मालूम और बाकी लोगों को शक्ल से जानता है।
इस आरोपी ने यह भी कहा है कि दिनांक 24.12.2007 को दस दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था और 01.01.2008 को दूसरी बार पुनः रिमांड पर लिया था। इस दौरान उसे प्रताड़ित किया जाता था और ऐसी चोट

पहुंचायी जाती कि बाहरी चोट पता न चले। उसे सोने नहीं दिया जाता था उसे कुर्सी की तरह बैठाया जाता था और अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस आरोपी ने यह भी कहा है कि जिस दिन उसे उठाया गया था उसे दिन उसके पास नील और साबुन था जिसे उसने रास्ते में ही फेंक दिया था तथा उसका मोबाइल फोन और पैसे अपने कब्जे में लिया था। इस आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी गिरफ्तारी के पहले उसे कई लोग मिले थे जिसमें से दो के बारे में पता चला, एक एडीजी बृललाल तथा दूसरे डीजीपी बिक्रम सिंह थे।

इस आरोपी ने यह भी कहा कि दिनांक 17.01.2007 को एक बैटरी पर बांये हाथ की उंगलियों के निशा लिये थे जो उससे चिपक रही थी व प्लास्टिक के टुकड़े पर भी निशान लिये थे जिस पर कुछ लगा हुआ था। उसके दायीं तथा बायीं तरफ हाथ के अंगूठे के निशान लिये थे और उससे अमिताभ यश ने कहा था सबूत बनाना और सजा दिलाना उनका काम है और सबूत ऐसे बनायेंगे फांसी तक चढ़ा देंगे। इस आरोपी ने यह भी कहा है कि यह सभी कार्य सी.ओ.राजेश पाण्डेय, ओ.पी.पाण्डेय, पंकज द्वारा किया गया था। इस आरोपी ने यह भी कहा कि उससे सज्जादुर्रहमान तथा तारिक कासमी के बारे में पूछा था तथा एक फोटो लेकर आये थे उसके बारे में पूछा था वह रामपुर का रहने वाला फिरासत उसका दोस्त था। इस आरोपी ने यह भी कहा कि राजेश पाण्डेय व अमिताभ यश ने दो बार उससे सरकारी गवाह बनने के लिए कहा था।

अभियोजन की तरफ से कान्स. भूपेन्द्र सिंह (पी.डब्ल्यू-1) ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी कमाण्डो के पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात एस.टी.एफ. कार्यालय से मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ.,यूपी, लखनऊ ने तलब कर सूचना दी कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं। उसने यह भी कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमों का गठन किया और उसे तीसरी टीम में रखा गया। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे उप निरीक्षक श्री डी.के.शाही की टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से राजकीय वाहन संख. यू.पी. 32 बी.जी./6424 से रवाना होकर बाराबंकी पहुंचे। वह श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। उसने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे उसे प्रथम टीम से सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में

सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत संदीप मिश्रा पी.डब्ल्यू-2 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा,

क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मुख्य आरक्षी कमाण्डो बीरेन्द्र यादव पी.डब्ल्यू-3 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर

उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत आरक्षी अरविन्द अवस्थी पी.डब्ल्यू-4 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार

दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत आरक्षी चालक कालीचरन पी.डब्ल्यू-5 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी चालक पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़ लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक

22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत आरक्षी अंगद यादव पी.डब्ल्यू-6 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस

साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत हेड कान्स. सुभाष सिंह पी.डब्ल्यू-7 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे तृतीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./0424 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. कमाण्डो ओमवीर पी.डब्ल्यू-8 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे तृतीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./0424 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स.कमाण्डो रविचन्द्र राय पी.डब्ल्यू-9 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में कान्स.कमाण्डो पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित

किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत जय प्रकाश गुप्ता पी.डब्ल्यू-10 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि मुकदमा अपराध सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि उपरोक्त जांच के संदर्भ में उसे शपथपत्र के माध्यम से कथन प्रस्तुत करने हेतु

निर्देशित किया गया था, उक्त क्रम में वह शपथपत्र के माध्यम से अपना कथन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि प्रार्थी एटीएस बनारस,उ.प्र.आरक्षी कमाण्डो पद पर कार्यरत है। यह कि दिनांक 22.12.2007 को श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, उ.प्र. लखनऊ ने उसे तलब कराकर संदिग्ध आतंकवादियों के दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 06.00 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने के बारे में उसे अवगत कराया एवं गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया। उसने यह भी कहा कि उसे प्रथम टीम में रखा गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 04.30 बजे वह अपनी टीम के साथ कार्यालय एसटीएफ से रवाना होकर राजकीय वाहन सं. यूपी-32-बीजी/2054 से बाराबंकी पहुंचकर मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के हमराह बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने नियुक्त हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को समय प्रातः 06.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आगर बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुखबिर ने इशारे से बताया यही दोनों आतंकवादी हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक एक हैंडबैग था। दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिए कहा गया, तो वह सकपका गये और तेजी से चलने लगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग बैग खोलने की हरकत करने लगे। यह जानते हुए कि यह लोग आतंकवादी हैं, अन्य सदस्यों के साथ जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के उपरान्त अन्य शेष टीमों को सूचना दी गयी कि यह दोनों व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तभी शेष टीमें मौके पर आ गयी थीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल उसके सामने पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने नाम क्रमशः खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद व मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके सामने पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, 1 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में शामिल रहे अपने साथियों के नाम, पते व कार्यविधि बतायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त वहीं मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और पढ़कर सुनायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व

असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य उसके संज्ञान में नहीं है एवं इन आतंकवादियों द्वारा लगाये गये समस्त आरोप स्वीकार नहीं हैं वह पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. पी.ए.सी. कृष्ण कुमार त्रिपाठी पी.डब्ल्यू-11 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी (पी.ए.सी) पद पर कार्यरत था। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक

22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. चालक शिव प्रकाश सिंह पी.डब्ल्यू-12 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी चालक पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2054 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को गाड़ी से उतार कर रेलवे के प्रोटको के पास सरकारी गाड़ी लेकर दूर चला गया। उसने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से

विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नीरज पाण्डेय पी.डब्ल्यू-13 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि मुकदमा अपराध संख्या 1891/07 थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना मुहल्ला थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों और उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि प्रार्थी स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी कमांडो पद पर कार्यरत है। दिनांक 22-12-2007 को श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. उ.प्र. ने उसे तलब कराकर 'संदिग्ध आतंकवादियों के दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने' के बारे में अवगत कराया एवं गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया। उसने यह भी कहा कि उसे प्रथम टीम में रखा गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2054 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के हमराह बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने नियुक्त हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को समय प्रातः 06.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आगर बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुखबिर ने इशारे से बताया यही दोनों आतंकवादी हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक एक हैंडबैग था। दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिए कहा गया, तो वह सकपका गये और तेजी से चलने लगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग बैग खोलने की हरकत करने लगे। यह जानते हुए कि यह लोग आतंकवादी हैं, अन्य सदस्यों के साथ जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के उपरान्त अन्य शेष टीमों को सूचना दी गयी कि यह दोनों व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तभी शेष टीमें मौके पर आ गयी थीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल उसके सामने पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने नाम क्रमशः खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद व मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके सामने पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, 1 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में शामिल रहे अपने साथियों के नाम, पते व कार्यविधि बतायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त

वहीं मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और पढ़कर सुनायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य उसके संज्ञान में नहीं है एवं इन आतंकवादियों द्वारा लगाये गये समस्त आरोप स्वीकार नहीं हैं वह पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एस.आई. सत्य प्रकाश सिंह पी.डब्ल्यू-14 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा,

क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. राजेश कुमार मिश्रा पी.डब्ल्यू-15 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर

उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत हेड कान्स. सत्य प्रकाश सिंह पी.डब्ल्यू-16 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में मुख्य आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार

दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. उस्मान खां पी.डब्ल्यू-17 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक

22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत आरक्षी शाम्भवी प्रसाद शर्मा पी.डब्ल्यू-18 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह पुलिस लाइन जनपद बदायूं में आरक्षी के पद पर कार्यरत है। वह 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस

साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत उपनिरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान पी.डब्ल्यू-19 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा है कि मुकदमा अपराध संख्या 1891/07 थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि वह दिनांक 12.12.2007 को चौकी इंचार्ज पाण्डेयगंज, थाना कोतवाली वजीरगंज, लखनऊ में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को उसे 2.30 बजे प्रातः श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चौक लखनऊ द्वारा उसे तलब किया गया था। वह अपनी चौकी से थाना कोतवाली चौक चला आया, वहां रप उसे पता चला कि सी.ओ.साहब एस.टी.एफ. कार्यालय महानगर में हैं अतः वह कोतवाली चौक से एस.टी.एफ. कार्यालय महानगर लखनऊ आया। उसने यहभी कहा कि एस.टी.एफ. कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ.श्री मनोज कुमार झा, सी.ओ.चौक श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक एस.टी.एफ. श्री एस.आनंद व अन्य एस.टी.एफ. के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद थे।

यह कि श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ.प्र.लखनऊ द्वारा 'संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने' के बारे में उसे अवगत कराया एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे तृतीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./0424 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी

ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत हेड कान्स. पंकज द्विवेदी पी.डब्ल्यू-20 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में मुख्य आरक्षी पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और

उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत हेड कान्स. नीरज कुमार पी.डब्ल्यू-21 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी कमाण्डो पद पर कार्यरत है। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे तृतीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./0424 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास

से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत आरक्षी वकील खां पी.डब्ल्यू-22 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत था और वर्तमान में अपराध शाखा लखनऊ में तैनात है। वह 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे चतुर्थ टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./4798 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चौराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा

दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. चालक विजय प्रकाश सिंह पी.डब्ल्यू-24 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी चालक पद पर कार्यरत था। दिनांक 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस

साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. चालक यशवंत कुमार पी.डब्ल्यू-25 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी चालक पद पर कार्यरत था । वह 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय एस.टी.एफ. तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे तृतीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./0424 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एस.आई. अजय कुमार चतुर्वेदी पी.डब्ल्यू-26 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत है। वह 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एस.आई. विनय कुमार सिंह पी.डब्ल्यू-27 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि मुकदमा अपराध सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र

जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि वह एस.ओ.जी. प्रभारी जनपद मिर्जापुर, में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। यह कि दिनांक 22.12.2007 को श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, उ.प्र. लखनऊ ने उसे तलब कराकर 'संदिग्ध आतंकवादियों के दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 06.00 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने' के बारे में उसे अवगत कराया एवं गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया। उसने यह भी कहा कि उसे प्रथम टीम में रखा गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 04.30 बजे वह अपनी टीम के साथ कार्यालय एसटीएफ से रवाना होकर राजकीय वाहन सं. यूपी-32-बीजी/2054 से बाराबंकी पहुंचकर मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के हमराह बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने नियुक्त हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को समय प्रातः 06.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आगर बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुखबिर ने इशारे से बताया यही दोनों आतंकवादी हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक एक हैंडबैग था। दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिए कहा गया, तो वह सकपका गये और तेजी से चलने लगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग बैग खोलने की हरकत करने लगे। यह जानते हुए कि यह लोग आतंकवादी हैं, अन्य सदस्यों के साथ जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के उपरान्त अन्य शेष टीमों को सूचना दी गयी कि यह दोनों व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तभी शेष टीमें मौके पर आ गयी थीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल उसके सामने पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने नाम क्रमशः खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद व मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके सामने पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, 1 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में शामिल रहे अपने साथियों के नाम, पते व कार्यविधि बतायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त वहीं मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और पढ़कर सुनायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित

अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य उसके संज्ञान में नहीं है एवं इन आतंकवादियों द्वारा लगाये गये समस्त आरोप स्वीकार नहीं हैं वह पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत कान्स. अमित कुमार सिंह पी.डब्ल्यू-28 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में आरक्षी पद पर कार्यरत है। वह 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार

दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत हेड कान्स. राजकुमार सिंह पी.डब्ल्यू-29 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में मुख्य आरक्षी पद पर कार्यरत था। वह 21/22-12-2007 की रात श्री मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय एस.टी.एफ. में तलब किया था और सूचित किया था कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और उसे द्वितीय टीम में रखा था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे वह अपनी टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से रवाना होकर राजकीय वाहन संख्या यू.पी. 32 बी.जी./2017 से बाराबंकी पहुंचकर श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार माल रोड तिराहे पर नियुक्त हो गया। इस साक्षी ने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे प्रथम टीम से उसे सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक

22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार शाही पी.डब्ल्यू-30 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। वह 21/22-12-2007 की रात एस.टी.एफ. कार्यालय से मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ.,यूपी, लखनऊ ने तलब कर सूचना दी कि संदिग्ध आतंकवादी दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेश पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं। उसने यह भी कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमों का गठन किया और उसे तीसरी टीम में रखा गया। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 4.30 बजे उप निरीक्षक श्री डी.के.शाही की टीम के साथ एस.टी.एफ. कार्यालय से राजकीय वाहन संख. यू.पी. 32 बी.जी./6424 से रवाना होकर बाराबंकी पहुंचे। वह श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बंकी रोड पर नियुक्त हो गया। उसने यह भी कहा दिनांक 22.12.2007 प्रातः 6.30 बजे उसे प्रथम टीम से सूचना प्राप्त हुई कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर दो व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़े लिये गये हैं। यह कि वह उपरोक्त सूचना पर घटना स्थल पर पहुंच गया और वहां देखा व सुना कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने अपना खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने पकड़े व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने व्यक्तियों से पूछताछ की थी उसने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में सम्मिलित बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और उसे पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के

साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत उप निरीक्षक ओ.पी. पाण्डेय पी.डब्ल्यू-31 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि मुकदमा अपराध सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि वह स्पेशल टॉस्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत है। यह कि दिनांक 22.12.2007 को श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, उ.प्र. लखनऊ ने उसे तलब कराकर संदिग्ध आतंकवादियों के दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 06.00 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घाटत शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने के बारे में उसे अवगत कराया एवं गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया। उसने यह भी कहा कि उसे प्रथम टीम में रखा गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 04.30 बजे वह अपनी टीम के साथ कार्यालय एसटीएफ से रवाना होकर राजकीय वाहन सं. यूपी-32-बीजी/2054 से बाराबंकी पहुंचकर मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के हमराह बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने नियुक्त हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को समय प्रातः 06.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आगर बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुखबिर ने इशारे से बताया यही दोनों आतंकवादी हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक एक हैंडबैग था। दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिए कहा गया, तो वह सकपका गये और तेजी से चलने लगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग बैग खोलने की हरकत करने लगे। यह जानते हुए कि यह लोग आतंकवादी हैं, अन्य सदस्यों के साथ जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के उपरान्त अन्य शेष टीमों को सूचना दी गयी कि यह दोनों व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तभी शेष टीमें मौके पर आ गयी थीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल उसके सामने पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने नाम क्रमशः खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद व मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके सामने पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, 1 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में शामिल रहे अपने साथियों के नाम, पते व कार्यविधि बतायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त

वहीं मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और पढ़कर सुनायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य उसके संज्ञान में नहीं है एवं इन आतंकवादियों द्वारा लगाये गये समस्त आरोप स्वीकार नहीं हैं वह पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सी.ओ.चिरंजीव नाथ सिन्हा पी.डब्ल्यू.-32, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा पी.डब्ल्यू.-33 व क्षेत्राधिकारी एस.आनन्द पी.डब्ल्यू.-43 लगभग एक से शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं और उन्होंने कहा है कि सी.ओ.चिरंजीव नाथ सिन्हा क्षेत्राधिकारी चौक जबपद लखनऊ में कार्यरत थे। यह कि दिनांक 23.11.2007 को जनपद न्यायालय लखनऊ में बम विस्फोट की घटना घटित हुई थी जिसके संबंध में थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ में मु.अ.सं. 547/2007 धारा 15/120बी/121/121ए/307 भारतीय दंड संहिता व धारा 16 / 18/ 20 / 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उनसको प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा पी.डब्ल्यू.-33 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि अ.सं.1891/2007 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी राजेश पाण्डेय पी.डब्ल्यू-44 ने कहा है कि वह उपरोक्त जांच में अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

उपरोक्त तीनों साक्षी गण ने कहा है कि दिनांक 23.11.2007 को उ.प्र.की राजधानी लखनऊ, जनपद फैजाबाद व बाराबंकी में आतंकवादियों द्वारा किये गये सीरियल बम धमाके उ.प्र.ही नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि प्रान्तों में भी आतंकी साया भय आतंक के रूप में मंडराने लगा था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि सीरियल बम बलास्ट की जांच हेतु पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा एस.टी.एफ. को विशिष्ट निर्देश दिये गये थे केन्द्रीय जांच एजेंसियों व एस.टी.एफ. ने स्वयं के स्रोतों से यह विदित हुआ कि भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रों की भूमि से संचालित आतंकवादी संगठन हरकुत उल जेहाद अल इस्लामी जो विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निरोधक अधिनियम की धारा 2(1)(एम) तथा धारा 35 के अनुसार प्रतिबंधित संगठन है। जो भारत के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। यह कि विदेशी आतंकवादियों को अस्त्रों एवं विस्फोटकों के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवकों को अवैध रूप से बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिलाकर प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंकवादी एवं विध्वंसक

कार्यवाही कर रहा था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि सूचना प्राप्त हुई थी कि इस आतंकवादी संगठन के कुछ सक्रिय सदस्य उ.प्र. के जनपद जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सहारनपुर आदि में सक्रिय हैं। इस प्राप्त अभिसूचनाओं को विकसित करने हेतु एस.टी.एफ.को लगाया गया था और इसी क्रम में पूर्व में कुख्यात हरकुत उल जेहाद अल इस्लामी के आतंकवादी बाबू भाई जलालुद्दीन, नौशाद आदि के संगठन के ढांचे एवं संजाल के अध्ययन तथा मामूरा मुखबिरान की सूचना से यह तथ्य प्रकाश में आया ता कि जनपद जौनपुर के मडियाहूँ व जनपद आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र में कुछ माह से बांग्लादेशी व कश्मीरी नागरिकों का काफी आना जाना रहा है उन सूचनाओं को और विकसित करने हेतु एस.टी.एफ. की टीम व मुखविरान लगातार काम कर रही थी।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 23.11.2007 को लखनऊ कचेहरी में हुए बम विस्फोट की घटना के विवेचना के संदर्भ में लगातार एसटीएफ से संपर्क बनाए हुए था तथा इस संदर्भ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा था। आज दिनांक 22.12.2007 को मैं एस.टी.एफ. कार्यालय पर एस.टी.एफ.टीम से विचार विमर्श कर रहा था कि तभी समय करीब 2.30 बजे मुखबिर एस.टी.एफ. टीम के पुलिस उपाधीक्षक एस.आनन्द, निरीक्षक अविनाश मिश्रा, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक धनंजय मिश्रा व उप निरीक्षक ओ.पी.पाण्डेय को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास समय करीब प्रातः 6.00 बजे आने वाले हैं, इनके संबंध आतंकवादी संगठन से हैं। इनके पास घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ भी हैं, जो किसी संगीन घटना को अंजाम देने की नीयत से लेकर आ रहे हैं।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि इस सूचना पर यकीन कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. मनोज कुमार झा के पर्यवेक्षण में चार टीमों का गठन किया गया। प्रथम टीम में मैं पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा,अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा, पुलिस उपाधीक्षक एस.आनन्द, एसआई विनय कुमार सिंह, एसआई धनंजय मिश्रा, एसआई ओ.पी.पाण्डेय, कान्स.ओम रामणन सिंह, कान्स.जय प्रकाश गुप्ता पीएसी, कान्स.नीरज पाण्डेय, चालक शिव प्रकाश सिंह वाहन संख्या यूपी-32-बीजी-2054 द्वीतीय टीम में उ.नि.सत्य प्रकाश सिंह, अजय चतुर्वेदी, एसची पंकज द्विवेदी, एसची राजकुमार सिंह, कान्स.राजेश मिश्रा, कान्स.अमित सिंह, कान्स.उस्मान खां, कान्स.सत्य प्रकाश सिंह व कान्स.कृष्ण कान्त त्रिपाठी पीएसी चालक विजय सिंह, वाहन सं. यूपी-32- बीजी-2017 तृतीय टीम में उ.नि.धर्मेश शाही, एसएसआई चौक, लखनऊ गुलाब शंकर पाण्डे, एसआई इंद्रजीत चौहान थाना वजीरगंज, कान्स.एपी 977 आलोक उमराव, एचसी सुभाष सिंह, कान्स. पीएसी नीरज, कान्स.भूपेन्द्र पीएसी कान्स ओमबीर पीएसी चालक यशवंत कुमार वाहन सं. यूपी-32 बीजी-0424 चतुर्थ टीम में एसआई संदीप मिश्रा, एचसी बीरेन्द्र यादव, कान्स.संभावी प्रसाद शर्मा, कान्स. रविचन्द्र पीएसी कान्स. वकील अहमद, कान्स. अरविन्द अवस्थी, कान्स अंगद यादव, कान्स. के.के.सिंह चालक कालीचरन वाहन सं. यूपी-32 एजेड-4798 को नियुक्त किया गया टीमों को मुखबिर की सूचना व मकसद से अवगत कराकर एसटीएफ कार्यालय से समय 4.30 सुबह रवाना होकर बाराबंकी बस स्टैंड के पास पहुंचे।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जनता के गवाह फराहम किये गये व मकसद बताया गया तो डर व दहशत के कारण कोई तैयार नहीं हुआ, और बगैर नाम पता बताये चले गये। जनता का गवाह उपलब्ध न होने पर

पुलिस बल ने स्वयं को गवाह मानकर आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले-देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है तभी मुखबिर भी आ गया उसे हमराह लिया गया तथा बस स्टेशन से रवाना होकर रेलवे स्टेशन बाराबंकी के पास पहुंचकर मैं क्षेत्राधिकारी चौर अपनी टीम के साथ मय मुखबिर के रेलवे स्टेशन के बाहर नियुक्त हुआ। द्वितीय टीम के उ.नि.सत्य प्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ माल रोड तिराहे पर तृतीय टीम के उ.नि.धर्मेश शाही अपनी टीम के साथ बंकी रोड पर एवं चुतर्थ टीम के उ.नि. संदीप मिश्रा अपनी टीम के साथ पुलिस लाइन तिराहे पर लगाये गये । सभी सरकारी गाड़ियों को दूर खड़ा करवाकर संदिग्ध आतंकवादियों के आने का इंतजार करने लगे। तभी समय करीब 6.15 बजे सुबह दो व्यक्ति रिक्शे से आकर रेलवे स्टेशन से बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे जिनके पास एक एक हैंडबैग था। मुखबिर ने इशारे से बताया कि ये ही वे व्यक्ति हैं, और चला गया।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि संदिग्ध दोनों व्यक्ति किसी का इंतजार करते हुए प्रतीत हुए कि तभी दोनों अपना अपना बैग उठाकर स्टेशन से मुख्य सड़क की ओर चलने लगे कि मुझे सी.ओ.चौक द्वारा आगे बढ़कर परिचय देते हुए उन्हें रुकने के लिए कहा तो सकपकाकर और तेजी से चलने लगे कि हमराही अधिकारी कर्मचारीगणों की मदद से गिरफ्तार करना चाहा तो दोनों अपना बैग खोलने जैसी हरकत करने लगे कि यह जानते हुए कि यह आतंकवादी हैं, और सूचना के अनुसार इनके पास विस्फोटक सामग्री है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए अदम्य शौर्य व साहस का प्रदर्शन कर उ.नि.विनय कुमार सिंह,उ.नि. धनंजय मिश्रा, कान्स.नीरज पाण्डे, कान्स. ओम नरायण सिंह, कान्स.कमाण्डो जय प्रकाश गुप्ता ने पकड़ लिया तो दोनों द्वारा लपआ-झपटी करते हुए मुजाहमत करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए आतंकी परिणाम भुगतने की चेतावनी देने लगे कि बामुश्किल आवश्यक बल प्रयोग कर टीम के अन्य सदस्यों की मदद से करीब 6.20 बजे सुबह पकड़ लिये गये तभी अन्य टीमें भी शोर-शराबा व सूचना पर आ गयीं नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो क्रमशः एक ने अपना नाम खालिद मुजाहिद पुत्र स्व. जमीर मुजाहिद निवासी म.न.37 महतवाना मुहल्ला मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर बताया जामा तलाशी पर उसके दाहिने हाथ से पकड़े पुराने नीले हरे रंग के एअर बैग जिसके एक पॉकेट पर अंग्रेजी में WILLS लिखा हुआ जिसको खोलकर देखा तो कुछ आवश्यक दैनिक इस्तेमाली चीजों के अलावा एक सफेद लाल पॉलीथीन में नौ अदद जिलेटिन राड पैक शुदा जिनमें प्रत्येक पर SUPERPOWER90 आदि लिखा हुआ है व तीन अदद स्टील कलर के डेटोनेटर जिन पर लाल वायर लगा हुआ है बरामद हुआ व पहने कुर्ते की दाहिनी जेब से एक अदद पीली छोटी पॉलीथीन जिसमें एक अदद नोकिया मोबाइल फोन IMEI नं 355655007210646 मय सिम कार्ड नंबर 8991890110011026004-4 IDEA तथा पोलीथीन में ही सिम कार्ड नं. 8991890110011026005-1 IDEA व सिम कार्ड नं.अपठनीय EXCEL एक अदद व नकद 350 रूपये बरामद हुए। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो. तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम सम्भे पर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ बताया जामा तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ में लिए एअर बैग व रंग काला जिस पर अंग्रेजी में Samsonite लिखा है को खोल कर देखा तो जरूरी इस्तेमाली चीजों के अलावा एक अदद सफेद पॉलीथीन में एक पैकेट खाकी प्लास्टिक टेप से लिपटा हुआ मिला, जिसका टेप खोलकर देखा गया तो तीन अदद डेटोनेटर स्टील कलर जिन पर लाल रंग के वायर लगे हैं व एक पॉलीथीन में लिपटा हुआ काले

रंग का high Explosive (विस्फोटक) पदार्थ जिसका वजन सुविधानुसार कराया गया तो लगभग सवा किलो बरामद हुआ। जो देखने से RDX प्रतीत होता है बरामद हुआ। इसके पहने कुर्ते की दाहिने जे से एक अदद मोबाइल फोन नोकिया 1110 IMEI No.-353632015901419 जिसमें सिम नं. 8991554111111353003 EXCEL लगा हुआ है व एक अदद काले रंग की पॉकेट डायरी जिस पर अंग्रेजी में MADANI DAIRY 2007 व उर्दू में लिखा है। जिसके अंदर अंग्रेजी व उर्दू में कुछ लिखा है। इसी डायरी के अंदर एक अदद सिम नं.89918911000114894814 व रोडवेज बस का टिकट नं.4799009 व उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड कैंट वाराणसी की पर्ची स्पलेंडर नंबर 030719 16 दिसम्बर 2007 व जेब से ही एक चाभी के गुच्छे मं दो बड़ी चाभी व 300 रूपये नगद बरामद हुए थे। पकड़े गये उपरोक्त खालिद और तारिक से बरामदशुदा विस्फोटक सामग्री आदि के विषय में पूछा गया तो कोई संतोष जवाब न देकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। बरामद नाजायज विस्फोटक आदि को कब्जा पुलिस में ले लिया गया व उनके जुर्म धारा बरामदगी अनुसार अवगत कराया गया। बातसल्ली पूछताछ पर उपरोक्त खालिद ने बताया कि मैं 2001 में अमरोहा से आलिम व मुफ्ती की पढ़ाई कर रहा था, वहीं मुझे अब्दुल रकीब से मुलाकात हुई जो आसाम का रहने वाला था उसने मुझे जेहाद के बारे में काफी समझाया और 2003 में मुझे ट्रेनिंग के लिए जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ में ले गया जहां मैं HUJI के कैम्प में पन्द्रह दिन का प्रशिक्षण लिया जिसमें मुझे हथियार चलाने की व हथियार छीनने व विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं पर मेरी मुलाकात बशीर उर्फ हेजाजी से हुई थी, ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद हेजाजी ने फोन से बताया कि रकीब मुठभेड़ में शहीद हो गया है और आगे हमारी बातचीत होती रही सन् 2006 में मेरे BSNLके मोबाइल पर हेजाजी ने बताया कि खालिद कश्मीरी तुमसे मिलने मडियाहूँ आ रहा है। खालिद कश्मीरी मेरे पास आया मैंने उसकी मुलाकात रानी की सराय तारिक से करायी जो मेरे साथ पकड़ा गया है। हम लोगों की जेहादी तंजीमी बातें हुयी। खालिद ने एक मोबाइल व तंजीम मुखिया तौकीर उर्फ शेख उर्फ हजरत से बात करायी व हवाला से पैसा लेना व तंजीम के लोगों के बंदोबस्त का इंतजाम तारिक के जिम्मे किया गया। 2007 फरवरी मार्च में कश्मीर HUJI का कमांडर दानिश सरवर आया। जिसका इलाज मैंने व तारिक ने मिलकर कराया। मैं तंजीम का फौजी दस्ते का कमांडर हूँ। जून 2007 में हेजाजी के कहने पर देवबंद गया वहां सज्जाद कश्मीरी से मुलाकात हुई तथा मैंने अपने मोबाइल से तारिक के मोबाइल पर सज्जाद से बात करायी और दोनों के मुलाकात का सिलसिला तय हुआ इस बीच मेरी हेजाजी व सज्जाद से लगातार बात होती रही इस बीच यह तय हुआ कि कश्मीर से इमरान उर्फ गुरू उर्फ उमर, तारिक कश्मीरी, अब्दुल कदीर को लेकर सज्जाद मेरे पास रमजान में आयेंगे और वहां से सभी लोग मुंबई जायेंगे। मैं हर साल रमजान में मुंबई जाताहूँ। मुंबई जाकर हम लोगों ने कई स्थानों पर रैकी की क्योंकि हेजाजीज जी के निर्देशानुसार भविष्य में मुंबई में विस्फोट करना था। मुंबई से लौटकर सज्जाद सभी को लेकर माल्दा पश्चिम बंगाल राजू उर्फ मुख्तार से मिलने चला गया। वहां से लौटकर सभी मेरे पास आये और बताया कि बनारस फैजाबाद लखनऊ में विस्फोट कनरे की पूरी तैयारी हो गयी है। सारा सामान राजू उर्फ मुख्तार मुगलसराय पहुंजायेगा। वहां सेसभी अपना-अपना सामान लेकर विस्फोट करने के लिए निकलेंगे र सभी 18, 19 नवम्बर 2007 के करीब मुगलसराय जाने के लिए कह कर चले गये तथा तबाये कि तारिक से मिलते हुए जायेंगे। 22 नवम्बर 2007 को शाम को सज्जाद ने मुझे बताया कि तुम लखनऊ निकलो सुबह दिनांक 23.12.2007 को

रेलवे स्टेशन के चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट पर अब्दुल कादिर मिलेगा। तुम्हें लखनऊ कचेहरी में विस्फोट का इंतजाम तुम्हें करना है। चारपबाग रेलेव स्टेशन पर पहुंचने पर मुझे अब्दुल कादिर मिला जिससे मैं पूर्व में परिचित था। हम दोनों स्टेशन से टीले वाली मस्जिद के पास काफी देर बैठे। तभी कुछ देर बार समय करीब 11.00बजे दिन जाहिद नामक व्यक्ति या जिसे अब्दुल कादिर जानता था, जिसके हाथ में एक बैग था, जिसमें कुछ सामान था। वहां हम तीनों नीबू पार्क आये और वहां से रिक्शे द्वारा कचेहरी के मेन गेट पर पहुंचे। जाहिद कहीं गया और थोड़ी देर में एक साइकिल लेकर आया और बैग के साथ कचेहरी के अंदर चला गया। थोड़ी देर में जाहिद एक साइकिल और लेकर आया और एक छोटा बैग टांगकर चला गया। हम उसका इंतजार करते रहे परन्तु वह नहीं आया। जाहिद द्वारा साइकिल रखने के दौरान हम लोगों ने निगरानी के मकसद से गेट के सटे दुकान से समोसे भी खाये थे। तभी कादिर ने कहा कि मुझे दिल्ली निकलना है तुम घर निकल जाओ। जाहिद पहुंच जायेगा उसे पता है कहां जाना है। मैं बस पकड़ कर घर आ गया। घर आकर मालूम पड़ा कि लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी कचहेरी में विस्फोट हो गया। सज्जाद ने बताया था कि फैजाबाद तारिक, इमरान उर्फ गुरू व तारिक कश्मीरी को लेकर कचेहरी में विस्फोट करायेगा और खुद सज्जाद राजू उर्फ मुख्तार व उनके आदमियों को लेकर वाराणसी कचेहरी में विस्फोट करायेगा। इन विस्फोटों के एवज में हेजाजी हम लोगों को हवाला से 10 लाख रुपये देने वाला था जो अभी डिलीवर नहीं हो पाया। आज हम लोग ये विस्फोटक पदार्थ हेजाजी के निर्देश पर यहां लेकर आये थे जिसे गुरू लेकर जाने वाला था जो पूरा तैयार कर हमें सूचित करता तब बताये स्थान पर लेने पहुंचते। हेजाजी के निर्देश पर यह विस्फोटक सामग्री मुख्तार उर्फ राजू ने हम लोगों को अलग अलग स्थान पर उपलब्ध कराया था। पकड़े गये तारिक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि खालिद मडियाहूँ द्वारा बतायी गयी मेरे बारे सभी बातें सत्य हैं। मैं HUJI के उत्तर प्रदेश का इंतजामिया अमीर हूँ उपरोक्त बातों के अलावा सज्जाद, तारिक कश्मीरी, अब्दुर कादिर, इमरान उर्फ गुरू, हेजाजी से तयप्रोग्राम के अनुसार मेरे घर नमम्बर 2007 में विस्फोट से कुछ दिन पहले आये थे और वाणणसी, फैजाबाद व लखनऊ में एक साथ विस्फोट की योजन बनी थी। दिनांक 22.11.2007 की शाम सज्जाद के कहने पर यह अपना मोबाइल घर पर छोड़कर शाहगंज में मिलने के लिए कहा था। वहां से सज्जाद ने मेरे साथ तारिक कश्मीरी व इमरान गुरू को फैजाबाद भएजा था हम तीनों वहां से बस द्वारा सुल्तानपुर फैजाबाद पहुंचे। तारिक व इमरान के पास एक एक बैग था। वहां बस स्टैण्ड पर समय गुजारते हुए करीब 09.30 बजे सुबह कचेहरी के मुख्य गेट पर पहुंचे। मुझे निगरानी के लिए छोड़कर तारिक कश्मीरी व इमरान कहीं चले गये। करीब पौन घंटे बाद दोनों एक साइकिल लेकर लौटे और अपने बैगों के साथ कचेहरी के अंदर चले गये। थोड़ी देरे बाद इमरान वापस आया और बोला मैं अभी आ रहा हूँ। यहीं इंतजार करना। करीब पौन घंटे बाद फिर इमरान एक साइकिल लेकर आया और कचेहरी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान फिर वापस आया और बताया कि सारी सेटिंग हो गयी है। तुम वापस निकल जाओ। मैं भी निकलूंगा तारिक अपनी जगह पहुंच जायेगा, मैं वापस घर आ गया। 25 या 26 नवंबर 07 कोक सज्जाद ने देवबंद से फोन करके बताया कि लखनऊ से हम लोग नौचन्दी एक्सप्रेस से देवबंद आ गये थे, बाकी लोग कश्मीर चले गये मैं एडमीशन के लिए रूका हूँ। इससे पहले मैंने हेजाजी के कहने पर राजू उर्फ मुख्तार के साथ गोरखपुर बम ब्लास्ट की योजना बनायी थी और स्वयं गोलघर के आस-पास रैकी कर मुख्तार उर्फ राजू व छोटू को

लेकर हिदायत अनुसार विस्फोट कराया था। इसके अलावा दिसम्बर 2006 में हेजाजी व खालिद कश्मीरी के निर्देश पर पांच किलो RDX वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मुख्तार उर्फ राजू व एहतेसाम मालेगांव देने आये थे। जिसे ले जाकर मैंने दिल्ली में जामा मस्जिद पर खालिद कश्मीरी व हेजाजी को दिया था। इसके करीब एक सप्ताह बाद हवाला से प्राप्त पांच लाख रूपये खालिद कश्मीरी को दिल्ली से ले जाकर दिया था। आज हम लोग हेजाजी के निर्देश पर मुख्तार द्वारा दिया गया विस्फोटक लेकर यहां आये थे। जिसे गुरू ले जाकर तैयार करता , गुरु आने वाला था हो सकता है आप लोगों को देखकर हम हम लोगों के पास नहीं आया। खालिद महियाहूँ ने पुनः माफी मांगते बताया कि 24 नवम्बर को हमने अपने मदरसे में जाकर बच्चों की किताबें व कॉपियां 23 तारीख में ही चेक कर दी थी तथा 23 नवम्बर की हाजिरी भी 24 में बना दी थी। सज्जाद के कहने पर मैं मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। अभियुक्त तारिक व खालिद मडियाहूँ उपरोक्त को उनके जुर्म धारा 115/ 332/ 120बी/ 121/ 121ए/ 122/ 124ए/ 207/ 203 भा.दं.सं. व 16/ 18/ 20/ 23 अन लॉफुल एक्टिविटीज एक्ट व 4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी व पूछताछ माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बरामद विस्फोटक पदार्थ बरामदगी अनुसार अन्य बरामदगी के क्रम में मौके पर ही एयर बैग में ही रखकर एक-एक सफेद कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा बताये हमें पते पर गिरफ्तारी की सूचना थाना स्तर से त्वरित की जायेगी। फर्द मौके पर मुझे Dy SPचिरंजीव नाथ सिन्हा, क्षेत्राधिकारी चौक, लखनऊ द्वारा एसआई धनंजय मिश्रा एसटीएफ द्वारा बोल बोल कर लिखायी गयी। फर्द पढ़कर सुनाकर अधिकारीगण कर्मचारीगण हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। ह. अंग्रेजी में अपठनीय 22.12.2007 CO Chowk Lko।ह. अंग्रेजी में धनंजय मिश्रा एस आई 22.12.2007 ह. अंग्रेजी में मनोज कुमार झा अपर पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. लखनऊ। एचसी पंकज कुमार ह. ओ.पी.पाण्डेय अंग्रेजी में एस.आनन्द Dy SP। ह. अभियुक्त अंग्रेजी में तारिक ह.अभियुक्त हिन्दी में खालिद। हं. अंग्रेजी ओमबीर सिंह एसआई 20.12.2007। हं. संजीव कुमार ह.नीरज कुमार। ह.अपठनीय अंग्रेजी। कामाण्डो जय प्रकाश गुप्ता, कृष्ण कुमार तिवारी ह.सीआई के.के.सिंह ह.कमाण्डो भूपेन्द्र सिंह ह. एचसी बीरेन्द्र कुमार यादव ह. का. अमित सिंह ह.का.सत्य प्रकाश सिंह ह.एचसी राजकुमार सिंह ह. का. राकेश मिश्रा ह. का. नीरज मिश्रा ह. का. अरविंद अवस्थी ह. वकील खां हं अंग्रेजी एस.बी. सिंह नोट नकल फर्द अभियुक्तगण को दी गयी। ह. अंग्रेजी अपठनीय 22.12.2007 CO Chowk Lko। ह. अभि. अंग्रेजी तारिक। ह. अभि.हिन्दी खालिद। ह. अंग्रेजी अपठनीय 22.12.07। (नोटः तहरीर की नकल मुझ हे. का. कन्हैयालाल द्वारा बोल-बोल कर कंप्यूटर में फीड कराया गया जो अक्षरशः फीड है।)

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि खालिद मुजाहिद के परिवाद के कथित आरोपों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

यह कि दिनांक 16.12.2007 को वह शाम को घर से बाजार नील वापस करने जा रहा था कि अनवर भाई की दुकान जो पवन टाकीज के सामने है वहं से कुछ सामना खरीदना था। उसके बाद छोटू भाई की गुमटी पर आया और उनके भाई की दुकान जो बगल में है नील वापस किया। सामने मुन्नू भाई चाट की दुकान पर खड़ा था तभी गाड़ी से कुछ लोग निकले और मुझे गाड़ी में विठाकर चल दिये। रास्ते में आंख पर पट्टी बांध दी व

हाथ-पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके बाद एक नामालूम मकान पर रखा और तकरीबन 25 लोग मौजूद थे, जहां पर थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू हुआ। मुझे बुरी तरह पीटा जाता था। कभी दाढ़ी के बाल नोचे जाते थे, दोनों पैरों को चीर कर उस पर खड़े होकर अजतेमखसूस को मुंह में डाला जाता। पैखाने की जगह पेट्रोल डाला जाता व अजतेतनासूर को सिगरेट से दागा गया और उसके साथ वजनी पत्थर बांधकर खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया। शराब व पेशाब पिलाया गया। सुअर के गोश्त का कबाव मुंह में ठूंसा गया। बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर नाक व मुंह से पानी पिलाया, करेन्ट लगाया, कमर में रस्सी बांधकर पानी में डुबकी लगायी जाती वगैर जुल्मो सितम किये जाते थे एवं अनेक प्रकार से टॉर्चर किया जाता और कचेहरी सीरियल ब्लास्ट को कुबूलने के लिए टॉर्चर किया जाता। दिनांक 22 तारीख को बाराबंकी से गिरफ्तारी की गई उसके बाद एक जगह ले जाकर हाथ पैस की उंगलियों के निशान लिये गये। यहीं पर एक बैग पर भी निशान लिया गया एवं सरकारी गवाह बनने के लिए दबाव डाला गया तथा बाराबंकी जेल भेज दिया गया। वहां पर भी पीटा गया। दिनांक 24.12.2007 को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया तथा रिमांड के दौरान भी जुल्मो सितम का सिलसिला जारी रहा।

यह कि दिनांक 16.12.2007 को जब उसे उठाया गया उस वक्त लेकर अब तक उसका मोबाइल पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के कब्जे में रहा और उसकी मोबाइल से कोई बात नहीं हुई।

यह कि गिरफ्तारी शो करने से पहले डी.जी.पी. विक्रम सिंह और ए.जी.जी बृजलाल दोनों अलग-अलग वक्त पर आये थे।

यह कि मेरे ऊपर मु.अ.सं. 1891/07 धारा 121/ 121ए/ 122/ 124ए/ 332 भा.द.सं. एवं 4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 16/ 18/ 20/ 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट (प्रिवेन्शन) थाना कोतवाली बाराबंकी फर्जी व झूठा, मनगढ़ंत है।

परिवाद में वर्णित मुख्य आरोप-

यह कि दिनाकं 16.12.2007 को मुन्नू भाई की चाट की दुकान के सामने से पुलिसकर्मियों द्वारा उठा ले जाने का आरोप है।

यह कि अनाधिकृत रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा सदोष परिरोध करना।

यह कि मोबाइल पुलिस कर्मियों द्वारा कब्जे में रखना।

यह कि पुलिस कर्मियों द्वारा यातना देना एवं लखनऊ, फैजाबाद व वाराणसी कचेहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट की घटना को स्वीकार करने हेतु दबाव देना।

यह कि सदोष परिरोध की अवधि में एसएसपी अमिताभ यश, एसएसपी अखिल कुमार, डीजीपी विक्रम सिंह, एजीजी बृजलाल द्वारा पूछताछ करना।

यह कि फर्जी बरामदगी और झूठे आरोपों में चालान किया जाना।

यह कि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार करना।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि तारिक कासमी के परिवाद के कथित आरोपों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

यह कि उसके ऊपर मु.अ.सं. 1891/07 धारा 121 / 121ए / 122 / 124ए / 332 भा.द.सं. एवं 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 16 / 18 / 20 / 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट (प्रिवेन्शन) थाना कोतवाली बाराबंकी फर्जी व झूठा, मनगढ़ंत है।

यह कि दिनांक 12.12.07 को वह अपने अजहर यूनानी दवाखाना से अपनी स्पेलेंडर यूपी-50-एन-2943 मोटरसाइकिल से जा रहा था कि शंकरपुर रानी की सराय चेकपोस्ट से आगे सराय मीर की तरफ पुहंचने पर सफेद रंग की टाटा सूमो गाड़ी ने ओवरटेक कर रोका व मरीज देखने को कहा। में मोटरसाइकलि सड़क किनारे रोक ही रहा था कि टाटा सूमो गाड़ी से 9-10 लोग कूदे और टाटा सूमो में डाल लिया और मेरी आंखों में पट्टी बांध कर बनारस में एक खामोश इलाके में ले गये। जहां मुझे रखा तथा उसके बाद लखनऊ ले आये जहां पर अफसर लगने वाले कुछ लोग आये और मेरा परिचय लेने के बाद मुझे आतंकवादी बताया एवं मेरे द्वारा विरोध करने पर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे सोने नहीं दिया गया नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। इस दौरान करेन्ट लगाया जाता, नंगा करके पीटा जाता, पेशाब व शराब पिलाया जाता और मुंह में गंदी चीजें ठूस दी जातीं, मुझे मनमुताबिक बयान देने के लिए सीओ आनंद, इंस्पेक्टर शर्मा, दरोगा शुक्ला और ओ.पी.पाण्डे द्वारा दबाव बनाया जाता। इस बीच समय-समय पर डी.आई.जी. एस.एस.पी.अमिताभ यश और ए.डी.जी. बृजलाल भी आते, दिनांक 18 दिसम्बर 2007 की रात में आई.जी., डी.आई.जी., ए.एस.पी. अमिताभ यश और एस.एस.पी. अखिल कुमार, आई.जी.जो और ए.डी.जी. बृजलाल आये और मुझसे बहुत देर तक पूछताछ करते रहे। 19 दिसम्बर 2007 को भी कुछ अफसरान आये और मुझसे पूछताछ की गयी और मुझे मार-पीट कर डीजीपी के सामने पेश कर रटाई गयी काहनी कहलवायी गयी और वीडियो रिकॉर्डिंग की गयी। बाद में रचे गये षडयंत्र के अनुसार मुझे 4 बजे लखनऊ से गाड़ियों के काफिले के साथ ऐसी जगह ले जाया गया जहां ट्रेन की आवाजें आ रही थीं जिससे लग रहा था कि यह रेलवे स्टेशन है। इसके बाद सुबह 6-7 बजे पुलिस स्टेशन लाया गया। बाराबंकी जेल मे भी सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये और वहां भी मार-पीट की गयी दिनांक 24.12.2007 को लखनऊ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां हमने अपनी आप बीती सुनायी और रिमांड पर न देने की दरख्वास्त की लेकिन हमारी नहीं सुनी गयी और रिमांड पर लेने के बाद एसटीएफ ऑफिस में रखा गया रिमांड के बाद भी हमारे साथ मारपीट की गयी व 18 जनवरी 2008 को रिमांड के बाद भी जेल में जाकर अधिकारी हमें धमकाते रहे।

परिवाद में वर्णित मुख्य आरोप-

यह कि दिनांक 12.12.2007 को शंकरपुर रानी की सराय से कुछ आगे से पुलिसकर्मियों द्वारा उठा ले जाना एवं बनारस तथा लखनऊ में रखना।

यह कि वी.के.सिंह, वीरेन्द्र आदि पुलिसकर्मियों तथा ड्राइवर जसवंत सिंह का नाम लिया जाना।

यह कि अनाधिकृत रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा सदोश परिरोध करना।

यह कि मोबाइल पुलिस कर्मियों के कब्जे में रखना।

यह कि पुलिस कर्मियों द्वारा यातना देना।

यह कि सदोश परिरोध की अवधि में सीओ एस. आनन्द एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा कचहरी ब्लास्ट को स्वीकार किये जाने हेतु दबाव देना।

यह कि सदोश परिरोध की अवधि में एस.एस.पी.अमिताभ यश, आई.जी., डी.आई.जी. तथा डी.जी.पी. विक्रम सिंह, एडीजी बृजलाल द्वारा पूछताछ करना।

यह कि फर्जी बरामदगी और झूठे आरोपों में चालान किया जाना।

यह कि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार करना।

यह कि दिनांक 12.12.2007 को पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन मोटर साइकिल को उठा ले जाना।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि अभियुक्तगणों की शिकायत के असत्य एवं निराधार होने के पुष्टिकारक आधार-

यह कि अभियुक्तगणों का यह कथन कि उन्हें गिरफ्तारी की दिनांक 22.12.07 से पूर्व पुलिसकर्मियों द्वारा उठा लिया गया एवं सदोश परिरोध किया, असत्य एवं निराधार है क्योंकि-

यह कि मु.अ.सं. 1891/07 थाना कोतवाली बाराबंकी के अन्तर्गत अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के समय बरामदगी में अभियुक्तगणों के कब्जे से दिनांक 16.12.07 को वाराणसी से जौनपुर का यू.पी.रोडवेज की बस का टिकट बरामद हुआ है जो अभियुक्तगणों के स्वछंद विचरण का पुष्टिकारक अभिलेखीय साक्ष्य है। जिससे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगणों द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है।

यह कि मु.अ.सं. 1891/07 थाना कोतवाली बाराबंकी के अंतर्गत अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के समय बरामदगी में अभियुक्त तारिक के कब्जे से उ.रे.साइकिल स्टैंड वाराणसी की एक पर्जी नं. 030719 बरामद हुयी जिसके सत्यापन से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगणों द्वारा स्पेलेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की दिनांक 16.12.2007 को अर्थात् गिरफ्तारी से 6 दिन पूर्व अभियुक्तगणों द्वारा मोटरसाइकिल को जमा करने पर प्राप्त की गयी थी। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों द्वारा लगाया गया आरोप कि मोटरसाइकिल दिनांक 12.12.07 को पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन उठा ली गयी थी, असत्य एवं निराधार है। महज पेशबंदी एवं न्यायिक विचारण में लाभ पाने के उद्देश्य से लिखाया गया है।

यह कि अभियुक्तगणों का यह आरोप है उन्हें सदोश परिरोध में रखकर यातना दी गयी है, असत्य एवं निराधार है क्योंकि अभियुक्तगणों चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवाद में वर्णित अमानवीय एवं मारपीट संबंधी यातनाओं के संबंध में कोई पुस्टिकारक चिकिस्तकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। जिससे प्रमाणित है कि परिवादी द्वारा यातना दिये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोप असत्य एवं निराधार है।

यह कि अभियुक्तगणों का यह आरोप कि उन्हें सदोष परिरोध में रखकर यातना दी गयी है, असत्य एवं निराधार है क्योंकि अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी के उपरान्त मां. न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया किन्तु अभियुक्तगणों द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार अथवा मारपीट किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा लिखित परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अभियुक्तगणों को मा. न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर एवं विधिक अधिकार प्राप्त था। दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान टार्चर किये जाने के आरोप असत्य एवं पुलिस को परेशान करने के उद्देश्य से लगाये गये हैं। मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इनका मेडिकल परीक्षण डाक्टरों द्वारा किया जाता था। जिसमें इनके साथ

किसी प्रकार का टार्चर किये जाने का साक्ष्य नहीं है। एक लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त पुलिस कर्मियों पर लगाये गये आरोपों का उद्देश्य महज हैरान व परेशान किया जाना, पेशबंदी एवं कानूनी पेंचदगी पैदा करने न्यायिक विचारण में लाभ उठाना है।

यह कि लखनऊ, फैजाबाद एवं वाराणसी कचेहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के अपराध को जबरन स्वीकार कराये जाने संबंधी आरोप असत्य एवं निराधार हैं क्योंकि अभियुक्तगण पूर्व से ही लखनऊ, फैजाबाद एवं वाराणसी कचेहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट की विवेचना में प्रकाश में आ चुके थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए पतारसी, सुरागसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी इसी क्रम में 18.12.07 को अभियुक्तगणों के घरों पर दबिश दी गयी थी, जहां पर बड़ी मात्रा में जेहादी साहित्य बरामद हुआ था। ऐसी परिस्थिति में जबकि अभियुक्तगण इन घटनाओं में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में थे तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के उपरान्त जबरन घटनाओं को कुबूल कराया जाना किसी भी रूप में औचित्वपूर्ण नहीं हो सकता । विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर ही बाराबंकी में विस्फोटक बरामदगी एवं लखनऊ व फैजाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट की घटनाओं में साक्ष्यों के आधारों पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

यह कि दिनांक 22.12.07 को अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के उपरान्त उच्चाधिकारियों को मात्र सूचना प्रेषित की गयी थी। दिनांक 22.12.07 के पूर्व व पश्चात भी डीजीपी विक्रम सिंह, ए.डी.जी. श्री बृजलाल एसएसपी एसटीएफ श्री अमिताभ यश, तत्कालीन एसएसपी लखनऊ श्री अखिल कुमार अथवा अन्य किसी उच्चाधिकारी द्वारा हिरासत में लिये गये अभियुक्तगणों से कोई पूछताछ नहीं की गयी। यह आरोप असत्य एवं निराधार है महज पेशबंदी एवं कानूनी पेंचीदगी उत्पन्न कर न्यायिक विचारण में लाभ अर्जित किये जाने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है क्योंकि गिरफ्तारी के उपरान्त संबंधित अभियोग के विवेचनाधिकारी एवं गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल द्वारा नियमानुसार विधिसम्मत स्वयप में अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी थी।

यह कि अभियुक्तगणों द्वारा लगाये गये आरोप सत्र न्यायालय में प्रचलित न्यायिक विचारण का भी भाग है। मा. न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया में परीक्षण के उपरान्त निर्णय के माध्मय से निर्णीत किया जायेगा कि पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी, बरामदगी एवं विभिन्न आरोप पत्रों में वर्णित आरोप सत्य हैं अथवा असत्य हैं। अभियुक्तगणों द्वारा अपनी सफाई की प्रक्रिया में मा. न्यायालय के समक्ष परिवाद में वर्णित समस्त आरोपों को प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं विधिक अवसर प्राप्त होगा। मा.न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में अभियुक्तगणों के द्वारा परिवाद में वर्णित आरोपों का परीक्षण के उपरान्त गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित किया जायेगा।

यह कि फर्जी आरोप में अभियुक्तगणों को जेल जाने का आरोप असत्य एवं निराधार है क्योंकि इनके कब्जे से विस्फोटक की बरामदगी हुयी थी जिसके संबंध में दिनांक 22.12.07 को मु.अ.सं. 1891/07 धारा 121 / 121ए/ 122/ 124ए/ 332 भा.द.सं. एवं 4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 16/ 18/ 20/ 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट (प्रिवेन्शन) थाना कोतवाली बाराबंकी में पंजीकृत हुआ था विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियोजन स्वीकृति के उपरान्त आरोप आरोप पत्र मा.न्यायालय प्रेषित किया गया, मा. न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायिक आदेश पारित करते हुए आरोप पत्र पर संज्ञान

लेकर अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायिक आदेश पारित करते हुए आरोप निर्धारित किये हैं एवं साक्ष्य की प्रक्रिया प्रचलित है।

यह कि फर्जी आरोप में अभियुक्तगणों को जेल जाने का आरोप असत्य एवं निराधार है क्योंकि इनका नाम फैजाबाद एवं लखनऊ कचेहरी में हुए सीरीयल ब्लास्ट के संबंध में मु.अ.सं. 3398 /07 धारा 302/307 121ए भा.द.सं. व 3 /4 /5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 15/ 16 प्रिवेन्शन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट थाना कोतवाली नगर फैजाबाद एवं मु.अ.सं. 547/07 धारा 115/ 120बी/ 121/ 121ए/ 122/ 124ए/ 307 भादवि व धारा 16/ 18/ 20/ 23 अनलाफुल प्रिवेन्शन एक्ट थाना वजीरगंज लखनऊ की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियोजन स्वीकृति के उपरान्त आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया, मा. न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायिक आदेश पारित करते हुए आरोप निर्धारित किये हैं एवं साक्ष्य की प्रक्रिया प्रचलित है।

इस शपथकर्ता ने अपने शपथपत्र में कहा है कि उसके संज्ञान में आये सभी तथ्यों को वास्तविक स्वरूप में माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आरोपियों से संबंधित अन्य ऐसी महत्वपूर्ण संवेदनशील सूचनाएं शपथकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता को दृष्टिगत रखते हुए शपथपत्र के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अनावरित किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हित के प्रतिकूल होगा, क्योंकि ऐसी सूचना के सार्वजनिक किये जाने से आतंकवादी एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है। इस साक्षी ने यह भई कहा है कि वह माननीय आयोग को शपथ पत्र में वर्णित कथनों एवं तथ्यों से अवगत होने के उपरान्त दोनों आरोपी से संबंधित सूचनाओं को शपथकर्ता माननीय आयोग को अवगत करा देगा। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि संबंधित अभियोग की विवेचनाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित अभियोगों में संबंधित अन्य स्वतंत्र साथियों को प्रस्तुत करने का अवसर चाहता है, और आयोग के समक्ष अभिलेखीय साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा है। जिससे यह प्रमाणित है कि आरोपियों ने जो आरोप लगाये हैं वह असत्य एवं निराधार द्वेषभाव से पुलिस बल के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से लगाये गये हैं। पेशबंदी, विधिक जटिलटाएं उत्पन्न किये जाने के उद्देश्य से एवं भविष्य में आतंकवादियों के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाहियों को प्रभावित किये जाने के उद्देश्य से न्यायगत विचारण में विधिक जटिलताओं का लाभ अर्जित किये जाने हेतु आरोपियों द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

श्री विक्रम सिंह तत्कालीन पुलिस महानिदेशक होमगार्ड पी डब्ल्यू 34 ने दिनांक 28.01.10 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा कि मुकदमा अपराध संख्या 1891/07 थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि उपरोक्त जांच के संदर्भ में उसे शपथपत्र के माध्यम से कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त क्रम में वह शपथपत्र के माध्यम से अपना कथन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि वह दिनांक 22.12.2007 को पुलिस महानिदेशक उ.प्र. के पद पर कार्यरत था। यह कि अभियुक्त खालिद मुजाहिद के द्वारा मुझ पर निन्नलिखित आरोप लगाये गये

हैं-गिरफ्तारी शो करने से पहले डीजीपी विक्रम सिंह भी आये थे। तारिक कासमी द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं- दिनांक 18 दिसम्बर 07 की रात में डीजीपी विक्रम सिंह आये और मुझसे बड़ी देर तक पूछताथ करते रहे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दोनों आरोपियों का कथन पूर्णतया असत्य एवं पेशबंदी में दियागया है कि गिरफ्तारी से पूर्व मेरे द्वारा इनसे पूछताछ की गयी थी। वास्तविकता यह है कि इन्हें दिनांक 22.12.2007 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के उच्चाधिकारियों द्वारा दोनों व्यक्तियों के इंट्रोगेशन से हुई जानकारी से मुझे अवश्य अवगत कराया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दोनों आरोपियों द्वारा उस पर आरोप महज पेशबंदी एवं कानूनी पेचीदगी उत्पन्न करने एवं न्यायिक विचारण के दौरान लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाये गये हैं।

श्री अमिताभ यश, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, पी.डब्ल्यू-35 ने दिनांक 07.01.2010 को शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि मुकदमा अपराध सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि उपरोक्त जांच के संबंध में उसे शपथपत्र के माध्यम से कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त क्रम में वह शपथपत्र के माध्यम से अपना कथन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि साक्षी उस समय स्पेशल टास्क फोर्स उ.प्र. लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.07 को एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक श्री एस.आनंद, निरीक्षक अविनाश मिश्रा, उप निरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह व उप निरीक्षक धनंजय मिश्रा व उप निरीक्षक श्री ओ.पी.पाण्डेय को रात्रि 2.30 बजे सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास करीब 6.00 बजे प्रातः आने वाले हैं जिनके संबंध आतंकवादी संगठन से है। उस समय ऑफिस पर श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चौक लखनऊ भी मौजूद थे। उक्त सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार झा के परिवेक्षण में चार टीमें बाराबंकी स्टेशन पर सूचना के अनुसार लग गयीं तथा उनके द्वारा बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त जिलेटिन राड्स, डेटोनेटर तथा हाई एक्सप्लोसिव के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों व्यक्तियों ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को पूछताछ के दौरान जनपद लखनऊ, फैजाबाद व बनारस की कचेहरियों में दिनांक 23.11.2007 को सीरियल ब्लास्ट करने की बात स्वीकार की एवं घटना में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम भी बताये। उन दोनों के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मु.अ.सं. 1891/07 धारा 121 / 121ए / 122 / 124ए / 332 भा.द.सं. एवं 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 16 / 18 / 20 एवं 23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वादी चिंरजीव नाथ सिन्हा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चौक जनपद लखनऊ द्वारा पंजीकृत कराया गया।

उस पर खालिद मुजाहिद के द्वारा निन्नलिखित आरोप लगाये गये-उसके द्वारा जेल में आकर सरकारी गवाह बनने के लिए दवाब डाला गया। उस पर तारिक कासमी द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाये गये- 1. दिनांक

18 दिसम्बर 07 की रात में अमिताभ यश कई अधिकारियों के साथ आये और मुझसे बड़ी देर तक पूछताछ करते रहे। 2. दिनांक 17 जनवरी 2008 को मुझे अमिताभ यश की ऑफिस ले जाया गया सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव रखा गया। मना करने पर जेल में सड़ा देने की धमकी दी गयी।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त आरोपों के संबंध में उसका यह कथन है कि उपरोक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी दिनांक 22.12.07 को एसटीएफ द्वारा बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने से की गयी थी। अतः यह कथन कि दिनांक 18 दिसम्बर 07 की रात में मेरे द्वारा धमकी दिया गया पूर्णतः असत्य, निराधार एवं भ्रामक है तथा मात्र पेशबंदी में दिया गया है।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि तारिक कासमी का यह आरोप कि दिनांक 17.01.08 को कार्यालय में लाकर सरकारी गवाह बनाने का प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया व धमकी दी गयी पूर्णतः असत्य,भ्रामक एवं निराधार है तथा मात्र पेशबंदी में दिया गया है। उसके द्वारा कभी भी तारिक को अपने कार्यालय में नहीं बुलाया गया न ही कभी पूछताछ की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस दौरान दोनों जिला पुलिस की कस्टडी में थे और एसटीएफ की कस्टडी में नहीं थे।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि खालिद मुजाहिद द्वारा लगाया गया आरोप कि जेल में जाकर उसके द्वारा सरकारी गवाह बनने के लिए दबाव दिया गया था धमकी दी गयी पूर्णतः असत्य एवं निराधार है इस अवधि में मेरे द्वारा जेल में जाकर किसी भी अपराधी से पूछताछ नहीं की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि जेल मैनुअल के अनुसार कोई व्यक्ति यदि जेल में आता है उसकी इन्ट्री व इक्जिट रजिस्टर में नोट की जाती है। उसने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे अतः सरकारी गवाह बनने का दबाव देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बृजलाल तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था एवं अपराध, पी.डब्ल्यू-36 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि मा.आयोग द्वारा मुकदमा अपराध सं.1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त जांच के संबंध में वह शपथपत्र के माध्यम से कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त क्रम में वह शपथपत्र के माध्यम से अपना कथन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि दिनांक 22.12.2007 को अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था एवं अपराध उ.प्र. लखनऊ के पद पर कार्यरत है। यह कि खालिद मुजाहिद के द्वारा उस पर निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं-1.गिरफ्तारी शो करने से पहले एडीजी बृजलाल भी आये थे। तारिक कासमी द्वारा निम्न लिखित आरोप लगाये गये हैं- दिनांक 18 दिसम्बर 07 की रात में एडीजी बृजलाल आये और मुझसे बड़ी देर तक पूछताछ करते रहे।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दोनों अभियुक्तों का कथन पूर्णतया असत्य एवं पेशबंदी में दिया गया है कि गिरफ्तारी से पूर्व मेरे द्वारा इनसे पूछताछ की गयी थी। वास्तविकता यह है कि इन्हें दिनांक 22.12.2007 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के उच्चाधिकारियों द्वारा दोनों व्यक्तियों के इन्ट्रोगेशन से हुई जानाकरी से मुझे अवगत कराया गया था।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दोनों अभियुक्तों द्वारा उन पर आरोप महज पेशबंदी एवं कानूनी पेजीदगी उत्पन्न करने एवं न्यायिक विचारण के दौरान लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाये गये हैं।

शिव कुमार पी.डब्ल्यू 37, निवासी मोहम्मद लखपेड़ा बाग थाना कोतवाली नगर तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि वह दिनांक 22.12.2009श्रीराम बनकुटीर आश्रम से सुबह करीब 7 बजे वापस घर जा रहा था तो देखा कि रेलवे स्टेशन बाराबंकी पर पुलिस की गाडी व तमाम कारें खड़ी और काफी भीड़भाड़ लगी है तथा ज्यादा संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने पास जाकर मालूम किया कि यह लोग क्यों भीड़ लगाये खड़े हैं, तो वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि दो आतंकवादी पकड़े गये हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके साथ आलोक तिवारी पुत्र बाबू राम तिवारी निवासी जमुरिया नाला के पास फैजाबाद रोड बाराबंकी भी थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि पकड़े गये आतंकवादियों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ था।

आलोक तिवारी पी.डब्ल्यू 38 निवासी जमुरिया नाला फैजाबाद रोड़ तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि वह दिनांक 22.12.2009 को वह दिनांक 22.12.2009 श्रीराम बनकुटीर आश्रम से सुबह करीब 7 बजे वापस घर जा रहा था तो देखा कि रेलवे स्टेशन बाराबंकी पर पुलिस की गाडी व तमाम कारें खड़ी और काफी भीड़भाड़ लगी है तथा ज्यादा संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि शपथकर्ता ने पास जाकर मालूम किया कि यह लोग क्यों भीड़ लगाये खड़े हैं, तो वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि दो आतंकवादी पकड़े गये हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके साथ शिव कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी मोहम्मद लखपेड़ा बाग बाराबंकी भी थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि पकड़े गये आतंकवादियों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है।

संजय मिश्रा पी.डब्ल्यू 39 निवासी सिविल लाइन तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी ने शपथपत्र प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 22.12.2009 को सुबह करीब 6.30 बजे टहलने गया था।टहलते टहलते रेलवे स्टेशन बाबाबंकी तक गया जहां पर पुलिस की गाड़ी व कारें खड़ी थीं काफी भीड़ लगी थी उस स्थान पर ज्यादा संख्या में पुलिस मौजूद थी वहीं पर शैलेन्द्र श्रीवास्तव भी आ गये थे। इस साक्षी ने व शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने जाकर मालूम किया तो वहां पर मौजूद तमाम लोग क्यों मौजूद हैं, तो लोगों ने बताया कि दो आतंकवादी पकड़े गये हैं। साक्षी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है।

शैलेन्द्र श्रीवास्तव पी.डब्ल्यू 40 निवासी सिविल लाइन तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी ने 25.02.2010 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसने दूसरे शपथपत्र दिनांक 12.09.2011 को प्रस्तुत किया है। जिसमें कहा है कि वह दिनांक 22.12.2007 को सुबह करीब बजे टहलने गया था। साक्षी ने यह भी कहा कि उसने रेलवे स्टेशन बाबाबंकी पर स की गाड़ी व कारें खड़ी थीं काफी भीड़ लगी थी यह कि उस स्थान पर ज्यादा संख्या में पुलिस मौजूद थी। वहीं शपथकर्ता को संजय मिश्रा भी मिले थे। यह उसने पास जाकर मालूम किया तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों लोगों ने बताया कि दो आतंकवादी पकड़े गये हैं। उसने यह भी कहा कि आतंकवादियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि इससे पूर्व जो शपथपत्र दिनांक 25.02.2010 को श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया था उसमें टाइप की त्रुटिवश दिनांग 22.12.2007 के स्थान पर 22.12.2009 अंकित हो गया था।

श्री गुलाब चन्द्र पाण्डेय,वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव पी.डब्ल्यू 41 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और कहा है कि माननीय आयोग द्वारा मु.अ.सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद, पुत्र स्वर्गीय जमीर मुजाहिद, निवासी 37, महतवाना मुहल्ला थाना मडियाहूँ, जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी, पुत्र रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तर दायित्वों की जांच की जा रही है। इस साक्षा ने यह भी कहा कि उपरोक्त जांच के संदर्भ में वह थपथपत्र के माध्यम से कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त क्रम उसके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपना कथन प्रस्तुत कर रहा है। साक्षी थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव में वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पदपर कार्यरत है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.2007 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना चौक लखनऊ के पद पर नियुक्त था। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चौक लखनऊ श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा जो मु.अ.सं. 547/07 धारा 115/120बी./121/122ए/122/124ए/ 307 भा.द.वि. व धारा 16/18/20/23 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के विवेचक थे, के साथ एवं एस.टी.एफ. की टीम के साथ मय मुखबिर के बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने आया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.2007 को समय लगभग 06.15 बजे एस.टी.एफ. टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के इशारे पर बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने दो व्यक्ति 1. खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद 2. मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद पकड़े गये थे। जामा तलाशी से खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाली वस्तुओं के अलावा 09 अदद जिलेटिन राड, 03 अदद डेटोनेटर, 01 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व 2 अदद अतिरिक्त सिमकार्ड एवं 350 रूप. नकद बरामद हुए थे। मो. तारिक कासमी के पास बैग से 03 अदद डेटोनेटर, 1.25 कि.ग्रा. हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), 01 मोबाइल फोन, मय सिमकार्ड व अतिरिक्त सिम कार्ड, 01 रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, चाभी का गुच्छा व 300 रू. नकद बरामद हुए थे।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि मेरे सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो उन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं 23.11.2007 को लखनऊ कचहरी में हुए विस्फोट की घटना में शामिल होना बताया था व फैजाबाद कचहरी में हुए विस्फोट की घटना में भी शामिल रहे एवं अपने साथियों के नाम व पते व कार्यविधि की बतायी थी।

इस साक्षी ने यह भी बताया कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त वहीं मौके पर ही श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा क्षेत्राधिकारी चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोलकर पर उपनिरीक्षक श्री धनंजय मिश्रा एस.टी.एफ. से लिखवायी थी और पढ़कर हमें सुनाई थी। फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही पाकर मैंने फर्द पर अपने गवाही के हस्ताक्षर बनाये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किये गये उपरोक्त दोनों व्यक्ति व उनके पास से बरामद समस्त सामग्री व फर्द एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी में नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की, की गई गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि इन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के पश्चात एवं पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अभियुक्तों केसाथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है समस्त आरोप असत्य एवं निराधार है।

अभियोग की तरफ से प्रस्तुत कान्स.ओम नारायन सिंह पी.डब्ल्यू-42 एस.ओ.जी. इलाहाबाद ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि मा. आयोग द्वारा मुकदमा अपराध सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच की जा रही है। यह कि उपरोक्त जांच के संदर्भ में उसे शपथपत्र के माध्यम से कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त क्रम में वह शपथपत्र के माध्यम से अपना कथन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि दिनांक 22.12.2007 को शपथकर्ता स्पेशन टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में ना.पु. के पद पर कार्यरत था. इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 21/22.12.2007 की रात्रि कार्यालय एसटीएफ श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक,एसटीएफ, उ.प्र., लखनऊ द्वारा तलब कराकर प्राप्त सूचना विषयक संदिग्ध संदिग्ध आतंकवादियों के दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 06.00 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घाटत शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने के बारे में उसे अवगत कराया एवं गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया। उसने यह भी कहा कि उसे प्रथम टीम में रखा गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 04.30 बजे वह अपनी टीम के साथ कार्यालय एसटीएफ से रवाना होकर राजकीय वाहन सं. यूपी-32-बीजी/2054 से बाराबंकी पहुंचकर मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने नियुक्त हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को समय प्रातः 06.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आगर बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुखबिर ने इशारे से बताया यही दोनों आतंकवादी हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक एक हैंडबैग था। दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिए कहा गया, तो वह सकपका गये और तेजी से चलने लगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग बैग खोलने की हरकत करने लगे। यह जानते हुए कि यह लोग आतंकवादी हैं, अन्य सदस्यों के साथ जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के उपरान्त अन्य शेष टीमों को सूचना दी गयी कि यह दोनों व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तभी शेष टीमें मौके पर आ गयी थीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल उसके सामने पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने पूछने पर अपने नाम क्रमशः 1- खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद व 2- मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके सामने पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, 1 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम

कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में शामिल रहे अपने साथियों के नाम, पते व कार्यविधि बतायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त वहीं मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द उप निरीक्षक श्री धनन्जय मिश्रा से लिखवायी थी और पढ़कर सुनायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर उसने फर्द पर गवाही हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति तथा उनके पास से बरामद समस्ते सामग्री व फर्द एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के उपरान्त वह पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था और उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य उसके संज्ञान में नहीं है एवं इन आतंकवादियों द्वारा लगाये गये समस्त आरोप स्वीकार नहीं हैं वह पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

उपनिरीक्षक धनंजय मिश्रा पी.डब्ल्यू 45 ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुकदमा अपराध संख्या 1891/07 थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद, पुत्र स्वर्गीय जमीर मुजाहिद, निवासी 37, महतवाना मुहल्ला थाना मडियाहूँ, जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी, पुत्र रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तर दायित्वों की जांच की जा रही है।

साक्षी दिनांक 22.12.2007 को स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र. लखनऊ में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। साक्षी दिनांक 22.12.2007 को कार्यालय एसटीएफ में रात्रि में मौजूद था। एसटीएफ कार्यालय में उस समय पुलिस उपाधीक्षक श्री एस.आनन्द, निरीक्षक अविनाश मिश्रा, उ.नि. विनय कुमार सिंह, उ.नि. ओ.पी.पाण्डेय, सीओ चौक श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा भी मौजूद थे। हम लोग माह नवम्बर 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, बनारस कचहरी में हुए बस ब्लास्ट की घटना के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। हम लोगों द्वारा तमाम मुखबिर घटना की जानकारी हेतु लगया गये थे कि रात्रि लगभग 2.30 बजे मुखबिर ने आकार यह सचूना दी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर प्रातः 6 बजे आने वाले हैं, जिनका संबंध आतंकवादी संगठन से है, जिनके पास घातक शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ भी है जो किसी संगीन घटना को अंजाम देने की नीयत से लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर यकीन करके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर अपन पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार झा के पर्यवेक्षण में चार टीमों का गठन किया गया था। प्रथम टीम मुझ उपनिरीक्षक को रखा गया था। यह कि दिनांक 22.12.2007 को प्रातः 04.30 बजे श्री मनोज कुमार झा, अपर

पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. के साथ कार्यालय एसटीएफ से रवाना होकर राजकीय वाहन सं. यूपी-32-बीजी/2054 से बाराबंकी पहुंचकर मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक के हमराह बाराबंकी रेलवे स्टेशन के सामने नियुक्त हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को समय प्रातः 06.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आगर बाहर उतरकर किसी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुखबिर ने इशारे से बताया यही दोनों आतंकवादी हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक एक हैंडबैग था। दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिए कहा गया, तो वह सकपका गये और तेजी से चलने लगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग बैग खोलने की हरकत करने लगे। यह जानते हुए कि यह लोग आतंकवादी हैं, अन्य सदस्यों के साथ जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के उपरान्त अन्य शेष टीमों को सूचना दी गयी कि यह दोनों व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तभी शेष टीमें मौके पर आ गयी थीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल उसके सामने पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने नाम क्रमशः खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद व मोहम्मद तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके सामने पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी अधिकारीगण द्वारा ली गयी तो खालिद मुजाहिद के पास बैग से रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के अतिरिक्त 9 अदद जिलेटिन राड, 3 अदद डेटोनेटर, 1 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व दो अदद अतिरिक्त सिम कॉर्ड एवं 350 रूपये नगद बरामद हुए। मोहम्मद तारिक कासमी के पास बैग में 3 अदद डेटोनेटर, 1.5 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ (आर.डी.एक्स.), एक मोबाइल फोन मय सिम कार्ड व एक अतिरिक्त सिम कार्ड, एक रोडवेज बस का टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड वाराणसी कैंट की पर्ची, स्पेलेंडर, दिनांक 16.12.2007, चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नगद बरामद हुए। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसके सामने अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने को प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी होना बताया था एवं दिनांक 23.11.2007 को उसने लखनऊ में हुए विस्फोट में सम्मिलित होना बताया और फैजाबाद कचेहरी में भी हुए विस्फोट की घटना में शामिल रहे अपने साथियों के नाम, पते व कार्यविधि बतायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बरामदगी, गिरफ्तारी व पूछताछ के उपरान्त वहीं मौके पर ही पुलिस उपाधीक्षक श्री सी.एन.सिन्हा, क्षेत्राधिकारी, चौक लखनऊ ने स्वयं बोल-बोल कर फर्द मुझसे लिखवायी थी। फर्द में लिखी घटना को पूरी तरह से सही लिखा पाकर मैंने फर्द पर अपने गवाही हस्ताक्षर बनाये थे। यह कि गिरफ्तार किये गये दोनों व्यक्ति व इनके पास से बरामद समस्त सामग्री व फर्द एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को थाना कोतवाली बाराबंकी नियमानुसार दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। यह कि आतंकवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2007 से पूर्व की गयी गिरफ्तारी के संबंध में लगाये गये आरोप भ्रामक व असत्य हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बाहर से विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह कि गिरफ्तारी के उपरान्त एवं पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं किया गया । उपरोक्त कथन के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य उसके संज्ञान में नहीं है एवं इन आतंकवादियों द्वारा लगाये गये समस्त आरोप स्वीकार नहीं हैं वह पूरी तरह से असत्य एवं निराधार हैं।

ओमवीर सिंह, सी.जे.एम., बीएसएनएल, लखनऊ सी डब्ल्यू-1 को तलब किया गया। उन्होंने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि मोबाइल नंबर 9451253363 श्री दूधनाथ, खडवां पुत्र बरसाथी, जौनपुर, उ.प्र. के नाम पर जारी

किया गया था। यह मोबाइल नं. दिनांक 21.02.06 से 24.06.08 तक काम किया और यह उसके फ्रेंचाइजी मै. शान्ति सर्विस स्टेशन प्रभा काम्पलेक्स, वजीदपुर तिराहा, जौनपुर के द्वारा बेचा गया था। जिन्होंने इसका फॉर्म जमा नहीं किया है। उसन्होंन यहभी कहा कि मोबाइल नं.9450047342 श्री आरिफ 9 सा मसूरन, सुल्तानपुर को दिया गया जो दिनांक 23.06.05 से 28.06.10 तक काम किया, जिसका फॉर्म मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के नियमानुसार कॉल डिटेल्स सिर्फ एक वर्ष तक रखने का प्रावधान है। यह कि उपरोक्त दोनों फोन नं. की कॉल डिटेल्स पहले किसी जांच एजेंसी द्वारा ली गई हो, इसकी सूचना वह रिकॉर्ड देखकर बता सकता है।
आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी मो. आसिफ सी डब्ल्यू-2 का परीक्षण किया गया इस साक्षी ने अपने मबयान में कहा है कि उसने सेलवन का मोबाइल सिम लेने के लिए बीएसएनएल का फॉर्म भरा था और उसने पहचान पत्र में वोटर आई.डी. कार्ड भी लगाया था। उसके फॉर्म जमा करने के 15 दिन बाद उसने घर वालों से 1000 रूपेय मांगा था लेकिन घर से पैसा न मिलने पर सिम नहीं खरीदा था। उसने यह भी कहा है कि उसने फॉर्म की आई डी दाखिल की गयी है उसमे बाद दूसरे को इसी फॉर्म पर सिम लिया था। बीएसएनएल दोस्तपुर में आफिस इंचार्ज शुक्ला जी थे तो फोन ठीक कराते थे और शुक्ल जी ने फॉर्म मांगने पर नहीं दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके गांव के अबुसार पुत्र अबु तालिब को उसने रसीद दी थी उसने कहा था कि वह सिम निकलवा लेगा। उसने अबुसार से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे जाने पर सिम मिलेगा। उसने अपनी रसीद मांगी तो अबुसार ने कहा कि रसीद खो गई है। उसने रसीद 5-6 दिन तक मांगी थी जब नहीं दी तो उसने मांगना छोड़ दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने नहीं मालूम कि उसके नाम से कोई सिम चल रहा है या नहीं। अबुसार उसके गांव में दुकान रखे हुए है, सिम बेचता है। इस साक्षी ने यह भी कहा है ई.सी.जी वाले उसके घर गये थे। उन्होंने उससे सिम के बारे में पूछा था। तब उसे पता चला कि सिम किसी ने खरीदा है। वह बैल्डिंग का काम करता है। उसका दोस्त अबुसार पान की गुमटी रखे है और वह सिम आदि बेचता है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि किसी आदमी ने उसके फर्जी दस्तखत करके सिम निकाला है और वह खालिद मुजाहिद तथा तारिक कासमी को नहीं जानता है।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी दूधनाथ सी. डब्ल्यू-3 का परीक्षण किया गया और उसने अपने बयान में कहा है कि वह एक सिम राकेश कुमार विश्वकर्मा, भतीजे द्वारा खरीदा था। वह पढ़ा लिखा नहीं है। उसने जो राकेश के माध्यम से सिम खरीदा था उसका नंबर 9451253147 था और उसने मोबाइल नं 9451253363 का सिम नहीं खरीदा था। इस साक्षी ने कहा कि उसने बरसठी बाजार मनीराम पटेल की दुकान से सिम खरीदा था। तभी से इसे वह इस्तेमाल कर रहा है और यह भी कहा कि एक साल से उसका सिम 9451253147 बंद है। उसने यह भी कहा है कि मोबाइल नं. 9451253363 किसका है उसे पता नहीं है।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी राजन सिंह प्रोपराइटर शान्ती कम्यूनीकेशन फ्रेन्चाइजी, सी डब्ल्यू-4 का परीक्षण किया है और उसने कहा है कि वह अधिकृत फ्रैन्चाइजी को संचालित करता था और उसने सिम नं.575272 की गार्ड फाइल 13 और 119 जिसमें उसका विवरण है। दूधनाथ पुत्र रामदेव विश्वकर्मा निवासी

खडवा बरसठी, मालौर, जौनपुर की फाइल दूरसंचार कार्यालय जौनपुर में दिनांक 24.08.2006 SDE/TDM कार्यालय में दाखिल की गयी थी, जिसकी फोटो कॉपी दाखिल करी है।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी कमला प्रसाद साहू सी डब्ल्यू-5 का परीक्षण किया गया जिसमें उसने कहा है कि उसने घटना नहीं देखी है। वह जौनपुर अस्पताल गया हुआ था। जब रात 8 बजे वापस आया तो कुछ लोगों ने बताया कि खालिद निवासी महतवाना, मडियाहूँ को कुछ लोग टाटा सूमो से लाद कर ले गये हैं। उसने यह भी कहा है कि जब घर आया तो चाय की दुकान के पास कुछ लोग थे जिन्होंने घटना की बात बतायी थी और कहा था खालिद को चाट की दुकान से उठाया है। उसने यह भी कहा कि घटना स्थल उसका घर एक किमी की दूरी पर है। उसने यह भी कहा कि वह खालिद को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उसके चाचा फलाही को जानता है। उसने यह भी कहा कि टाउन एरिया का अध्यक्ष है इसी से उसके चाचा फलाही को जानता है।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी मो. मुस्लिम सी डब्ल्यू-6 का परीक्षण किया गया जिसमें उसने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 16.12.2007 शाम 6 बजे की है। वह मगरिब की नाम अदा करके मस्जिद से तहसील की तरफ सब्जी लेने जा रहा था रास्ते में चाट की दुकान है। एक टाटा सूमो सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी काफी भीड़े इकट्ठी थी और वह जैसे ही गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो गाड़ी जौनपुर की तरफ चली गई। उसने यह भी कहा है कि भीड़ ने बताया कि खालिद को गाड़ी में बैठा कर ले गए हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना स्थल पर शकील, फिरोज, चाट की दुकान बब्लू,डब्लू ने बताया था कि खालिद को कुछ बदमाश उठाकर टाटा सूमो ले गये हैं। उसने यह कहा है कि चाट वाले मन्नू, बब्लू, डब्लू की दुकान उसके घर के सामने है जहां पर वह चाट लगाता है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि आसपास के लोगों ने बताया था कि बदमाशों के पास असलहा थे इसी कारण वे लोग खालिद को नहीं छुडा पाये। इसी साक्षी ने यह भी कहा कि खालिद के चाचा घर से बाहर थे और उनका लड़का शाहिद घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि खालिद मदरसे में पढ़ाता है और वारदात के बाद कुछ लोग थाने गए थे और वहां पर पता चला कि एस.टी.एफ. की यूनिट खालिद को ले गई है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी राजबली पी डब्ल्यू-7 ने अपने बयान में कहा है कि उसकी जनरल मर्चेंट की दुकान पवन टाकीज, मडियाहूँ के सामने है। वह कक्षा 3-4 तक पढ़ा है। उसने यह भी कहा कि उसकी दुकान के सामने मुन्नू चाट वाले की दुकान है और वह दुकान शाम चार बजे से रात 8 बजे तक लगाता है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिसम्बर -2007 में घटना हुई थी वह 5 बजे घर चला गया था और दूसरे दिन घटना की चर्चा सुनी थी कि मुस्लिम लड़के को कोई उठा कर ले गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि वह अपनी दुकान सुबह 11 बजे खोलता है और शाम 5 बजे तक बंद कर देता है और चाट वाला 12 बजे दुकान लगाता है और शाम के सात-आठ बजे तक खोलता है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी राजेन्द्र प्रसाद सी. डब्ल्यू-8 ने अपने बयान में कहा है कि मडियाहूँ में उसकी जनरल स्टोर की दुकान पवन टाकीज के सामने है और उसकी दुकान के सामने मुन्नू चाट वाले की दुकान है ठेला नहीं है और मुन्नू करीब तीन बजे चाट की दुकान लगाता है और राते के आठ बजे तक बंद करता है और उसकी दुकान शाम सात बजे तक खुलती है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि साढ़े तीन वर्ष पूर्व चाट की दुकान पर भीड़भाड थी और वह 3-4 मिनट के लिए पेशाब करने चला गया था और जब भीड़-भाड से पूछा तो मालूम हुआ कि एक लड़के को कुछ लोग गाड़ी में उठा ले गये हैं। लड़का हिन्दू था या मुसलमान नहीं बता सकता।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी फिरोज अहमद सी.डब्ल्यू-9 को परीक्षित किया है और उसने अपने बयान में कहा है कि उसकी पवन टाकीज के सामने झउवा टोकरी की दुकान मडियाहूँ बाजार में है। साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 16.12.2007 को शाम को छः बजे एक गाड़ी टाटा सूमो आई थी। मुन्नू चाट वाले की दुकान पर खालिद खड़ा था। टाटा सूमो से चार-पांच लोग उतरे और खालिद को पकड़ कर गाड़ी में लेकर चले गए और उसे शक हुआ कि बदमाश लोग लेकर गये हैं लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि एस.टी.एफ. वाले लेकर गये हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि एस.टी.एफ. वाले क्यों लेकर गये हैं वह यह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि खालिद पढ़ाता है। इसका व्यवहार ठीकठाक था सीधा सादा है और मिलने पर दुआ सलाम भी करता है। साक्षी ने कहा है कि वह थाने पर नहीं गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि चाट की दुकान पर सिर्फ एक गाड़ी थी और सभी लोग सादी वर्दी में थे और मौके पर खालिद तथा सादी वर्दी वालों में क्या बातचीत हुई उसे नहीं पता है। उसने यह भी कहा है कि खालिद कुर्ता पैजामा पहने खड़ा था और चाट खाने जा रहा था तभी उसे पकड़ा था।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी राजेश कुमार सी. डब्ल्यू-10 को परीक्षित किया गया है और उसने अपने बयान में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के पीछे है और मुन्नू चाट वाला उसका सगा भाई है। जो काउंटर लगाकर चाट बेंचता है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके घर में ही उसकी दुकान है और भीड़ की आवाज सुनकर बाहर आया सुना कि कुछ लोग खालिद को ले गये। वह घर से बाहर आया देखा कि 40-50 लोग इकट्ठा है। खालिद को ले जाने वाली बात किसने बतायी वह नहीं बता सकता। उसका भाई मुन्नू अपनी चाट की दुकान पर था और उसने स्वयं खालिद को ले जाते नहीं देखा।

आयोग द्वारा सुनील पटेल सी डब्ल्यू-11 को परीक्षित किया गया है उसने अपने बयान में कहा है कि उसकी विसात खाने की दुकान है।. जो मुन्नू चाट वाले की दुकान के ठीक सामने है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटना के दिन उसकी दुकान बंद थी दूसरे दिन आम पब्लिक चर्चा थी कि कल एस.टी.एफ. वाले आये थे गाड़ी में बैठा कर खालिद नाम के लड़के को ले गये थे। सभी दुकानदार यही कर रहे थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उससे किसी ने कोई पूछताछ नहीं किया था और वह खालिद को तथा उसके परिवारवालों को नहीं जानता है और खालिद को उसने कभी नहीं देखा है।

आयोग की तरफ से प्रस्तुत साक्षी सी डब्ल्यू-12 को परीक्षित किया गया है और उसने अपने बयान में कहा है कि उसकी चाट की दुकान है। जो पवन टाकीज के बलग में है और लकड़ी के काउन्टर पर दुकान रखता है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि वह शाम को 4 बजे दुकान लगाता है और आठ बजे तक दुकान बंद कर देता है। वह खालिद को पहचानता है। वह अपनी दुकानदारी में व्यस्त था इस कारण नहीं देख पाया कि खालिद दुकान पर आया था। बाद में पता चला था कुछ बदमाश किसी को उठाकर ले गये है और दूसरे दिन पता चला कि खालिद को एस.टी.एफ. वाले उठाकर ले गये हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसकी दुकान के सामने गाड़ी आती है और जब अखबार में छपा तब उसने जाना था। घटना के बाद उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी उस वक्त पब्लिक इकट्ठा हो गई। उसका माल बिकने से कुछ माल रह गया था और ग्राहक भागने लगे थे। वह खालिद और उसके परिवार वालों को जानता है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी संतोष कुमार सी. डब्ल्यू-13 ने अपने बयान में कहा है कि उसका पवन टाकीज के बगल में गुप्ता के नाम से होटल है और सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होटल खुला रहता है। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह घटना के दिन जा रहा था शाम के 6-7 बजे थे एक टाटा सूमो आयी जो चाट की दुकान के पास खड़ी थी सड़क पर गाड़ी का मुंह जौनपुर की तरफ था वहां पर कुछ बदमाश लोग खालिद को उठाकर ले गये उसके बाद हल्ला होने पर उसने सुनी थी उसने स्वयं खालिद को उठाते नहीं देखा था और उसने खालिद को चाट की दुकान पर नहीं देखा था।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी प्रमोद कुमार सी.डब्ल्यू-14 ने कहा है कि उसकी किराना की दुकान है जो मुन्नू चाट वाले की दुकान के बिल्कुल पीछे है। उसने कहा कोई तीन साल पहले उसने मुन्नू चाट वाले की दुकान पर कोई टाटा सूमो गाड़ी आते नहीं देखा था और न ही खालिद को ले जाते देखा था। बाद में चर्चा हुई खालिद को कुछ बदमाश उठाकर ले गये हैं।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी नन्द लाल यादव सी. डब्ल्यू -15 ने कहा कि उसकी फोटो स्टेट की दुकान बनारस जाने वाली सड़क रानी की सराय पर है और उसका घर दुकान से 70 मीटर की दूरी पर है। जहां पर तारिक कासमी का दवाखान है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि लगभग 3 साढे 3 साल पहले तारिक कासमी का शाम अपहरण हो गया था यह चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। इस साक्षी यह भी कहा है कि अपहरण वाले दिन वह लगभग 6 बजे दवाखाना पर गया था दवाखाना खुला था लेकिन तारिक कासमी वहां पर नहीं थे। उसने कभी तारिक कासमी के दवाखाने से दवा नहीं ली थी गांव के लोग लेते थे।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी कवलधारी सिंह सी डब्ल्यू-16 ने अपने बयान में कहा है कि तारिक कासमी का गांव उसके गांव से करीब 2 किमी. दूरी पर है। और वह तारिक कासमी के दवाखाने से अपने पेट दर्द या अन्य छोटी बीमारी के लिए दवा लेने जाता था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 13.12.2007 को जानकारी हुई थी कि तारिक कासमी का अपहरण हो गया है यह बात समाचार पत्रों में निकला तभी उसे जानकारी हुई थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि तारिक कासमी हकीमी करते थे फिर 8-10 दिन बात पता

चला कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन में नाजायज वस्तुओं के साथ एक अन्य मुसलमान के साथ पकड़े गये थे और दिनांक 13.12.2007 को पेपर में यह भी निकला था कि कौन पकड़ कर ले गया है कुछ पता नहीं चल रहा है और उसकी जानकारी में तारिक कासमी का चालचलन ठीकठाक था।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी हफीज सी डल्ल्यू-17 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह अपने मदरसा दीनिया-ए-सातुल उलूम में पढ़ाता है और इसी मदरसे में तारिक कासमी को कक्षा-3 तक पढाया है। इस साक्षी ने कहा कि तारिक कासमी ने जब स्कूल छोडा था उनकी उम्र 16 वर्ष थी और वह पढ़ने में बहुत था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 12 दिसम्बर,, 2007 को दिन में करीब 10-11 बजे पता चला कि वह हसरपुर जहां एम्बेस्डर से कुछ लोग आये और तारिक को पकड़ ले गये। तारिक कासमी अपने मोटर साइकिल से थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि तारिक कासमी को गाड़ी में बैठाया और मोटर साइकिल दूसरे लोग ले गये थे। तारिक कासमी उसके मदरसे में अरबी की किताब पढ़ाते थे किन्तु घटना वाले दिन नहीं आये थे। शोर हुआ था और फिर कहा कि हकीम जी को क्यों पकड़ रहे हैं तब एम्बेस्डर में बैठे लोगों ने बताया कि वह घर से गुस्सा होकर जा रहे हैं और यह बात ईश्वरपुर गांव की औरत ने बतायी थी। और बाद में समाचार पत्रों से पता चला कि उन्हें बाराबंकी से पकड़ लिया गया है जबकि यह बात झूठी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि तारिक कासमी मदरसे में पढ़ाने के कोई पैसे नहीं लेता था।उसने यह भी कहा है कि हकीम तारिक अरबी पढ़े हैं और देवबंद, मुरादाबाद तथा कई मदरसों में पढ़ाई की है। उसका चालचलन ठीक था किसी कश्मीरी के चक्कर में नहीं था।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी रामायन सी डब्ल्यू -18 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह तारिक कासमी को जानता है। उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर उसका घर है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि रानी की सराय की सड़क पर उसका मकान है और उसी के सामने किराये के मकान में तारिक कासमी का दवाखाना है। उसने यह भी कहा कि वह तारिक कासमी को बचपन से जानता है। दिनांक 12.12.07 को यह पता चला कि तारिक कासमी को महमूदपुर गांव के सामने से चेक पोस्ट से अपहरण हो गया है और यह भी पता चला कि वह लोग चेक पोस्ट से हकीम को एक गाडी में बैठाकर ले गये हैं। यह चर्चा पूरे मोहल्ले में थी किसने पकड़ा यह बात महमूदपुर के लोग बता सकते हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि 8-10 दिन बाद पता चला कि बाराबंकी में रेलवे स्टेशन से आर.डी.एक्स. तथा नाजायज वस्तुओं के साथ पकड़े गये हैं।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी शाह आलम सी.डब्ल्यू-19 ने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह मदरसे में नाजिम है। तारिक कासमी इसी मदरसे में दो घंटे पढ़ाते थे पैसा नहीं लेते थे। और उसे नाजिम होने के नाते तनख्वा हके रूप में 6000 रूपये मिलते हैं। उनसे यह भी कहा है कि तारिक कासमी का चाल चलन ठीक था। और पढ़ाने के बाद में तारिक कासमी अपने दवाखाना पर ही रहते थे। उसने यह भी कहा कि दिनांक 12 दिसम्बर 07 को तारिक कासमी अपनी मोटर साइकिल से सरायमीर जा रहे थे चो पोस्ट से थोड़ा आगे इसापुर गांव के सामने कुछ लोगों ने तारिक कासमी को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा लिया तथा गाड़ी भी अपनी गाड़ी में रख लिया लेकर चले गये कुछ औरतों ने पूछा लेकिन कुछ बताया नहीं। हकीम को ले जाते नहीं

देखा। उसने यह भी कहा है कि 22.12.07 को तारिक कासमी को असलहे के साथ बाराबंकी रेलवे स्टेशन से पकड़ा दिखाया। उसने यह भी कहा कि वह रानी की सराय पुलिस स्टेशन पर गये थे। पुलिसवालों ने कहा कि वह पता लगायेंगे। साक्षी ने यह भी कहा कि तारिक कासमी का चाल चलन ठीक था मदरसे में कोई अन्य व्यक्ति मिलने नहीं आता था।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी जावेद अहमद सी.डब्ल्यू-20 ने अपने बयान में कहा है कि मुन्नू चाट वाले की दुकान से करीब 200 मीटर की दूरी पर उसकी यूनिवर्सल चश्मा नाम की दुकान है और उसने घटना के संबंध में कुछ नहीं देखा और न ही उसे कोई जानकारी ही है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी मेहताब आलम सी.डब्ल्यू-21 ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.07 को खालिद पुत्र जमीर अहमद को शाम के वक्त मडियाहूं सदर पवन टाकीज के पास से कुछ लोग उठाकर ले गये थे। उसकी दुकान पवन सिनेमा से करीब 30-40 कदम की दूरी पर है। उसने स्वयं खालिद को उठाते नहीं देखा बल्कि शोर सुनने पर जब वह दुकान से बाहर आया देखा कि भीड़ थी किस गाड़ी से उठाकर ले गये उसे पता नहीं है और दूसरे दिन अखबार में समाचार छपा था।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी सुभाष चन्द्र साहू सी.डब्ल्यू-22 ने अपने बयान में कहा है कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी। उसकी सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान है। दिनांक 10.12.2007 को पेट के मर्ज के कारण एस.पी.गुप्ता, वाराणसी के नर्सिंग होम में भर्ती था और उसने 23.12.2007 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र पढ़ने पर उसे ज्ञात हुआ कि महियाहूँ का रहने वाला खालिद बाराबंकी से पकड़ा गया है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 23.12.2007 से पहले उसने कोई अखबार नहीं पढ़ा था क्योंकि वह अस्वस्थ था।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी राम आसरे सी. डब्ल्यू-23 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि उसकी आटा चक्की की दुकान बाराणसी रोड पर है। उसने कोई घटना नहीं देखी। वह खालिद को जानता है। उसके मोहल्ले में उसका मकान है। घटना के एक दो दिन बाद अखबार से पता चला कि खालिद को कुछ लोग उठाकर ले गये हैं।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी गुलाब चन्द्र केसरी सी डब्ल्यू-24 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह पत्रकार है और उसे अखबार के माध्यम से पताल चला कि खालिद को बारबंकी रेलवे स्टेशन अवैध वस्तुओं का साथ पकड़ा गया है और यह समाचार अमर उजाला, हिन्दुस्तान तथा सभी समाचार पत्रों में पढ़ा था। वह हिन्दुस्तान अखबार का तहसील संवाददाता है। उसने यह भी कहा कि उसने 17.12.2007 के अखबरा में यह सूचना छपवायी थी कि खालिद को एस.ओ.जी वाले तथा एस.टी.एफ. वाले ले गये, और यह खबर उसने लोगों के कहने पर छपवाई थी। खालिद के परिवार वाले यह खबर दे रहे थे। उसने यह भी कहा कि फलाही का लड़का शाहिद ने उसे बताया था कि खालिद को कुछ लोग उठा ले गये। उसने शाहिद के बयान के आधार पर अखबार में छापा था।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी अहद सी.डब्ल्यू-25 ने अपने बयान में कहा है कि मुन्नू चाट वाले की दुकान के सामने उसकी दुकान है। उसने यह भी कहा है कि 16.12.2007 को शाम के 6-7 बजे टाटा सूमो से कुछ लोग आये र खालिद, जो चाट खा रहा था, उसे उठाकर ले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसकी रेडीमेड की दुकान चाट वाले की दुकान से थोड़ा दूर हटकर पास ही है। इस साक्षी ने यह भी कहा घटना के बाद भीड़ इकट्ठी हो गयी थी और वह अपनी दुकान बंद करने चला गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 22.12.2007 के दूसरे दिन समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि खालिद को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है । वह खालिद को जानता है और उसका मकान उसके मकान के पास है खालिद मेरे साथ पढ़ा नहीं है मैंने इलाहाबाद से पढ़ाई की है खालिद कहां से पढ़ा है उसे पता नहीं। खालिद उससे उम्र में छोटा है और वह गुण्डागर्दी बदमाशी नहीं करता था। खालिद की मां जीवित है, वालिद नहीं है।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी चन्द्र मोहन यादव सी डब्ल्यू-26 ने अपने बयान में कहा है कि वह जौनपुर में बरसठी ब्लाक में चार साल से संविदा पर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। उसने 2001 में नागपुर में बी.ई. किया है। और कम्पटीशन के द्वारा इंजीनियरिंग की ट्रेनिक ली थी। उसने यह भी कहा कि उसका घर रानीपुर मडियाहूँ से नजदीक है। उसने यह भी कहा है कि वह खालिद के संबंध में कोई घटना नहीं देखी। उसने यह भी कहा है कि वह 3-4 साल पहले मडियाहूँ के बाजार में शाम को सामान लेने जा रहा था और वह जैसे ही पवन टाकीज के पास पहुंचा तो सुना कि पुलिस एक आदमी को ले गई। उसका नाम पता नहीं है। उसने यह भी कहा कि चाट वाले के पास गया था और घटना के बारे में पूछा तो उसने इंकार किया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि 10-12 व्यक्ति खड़े थे कह रहे थे कि कुछ लोगसूमो गाड़ी से एक आदमी को उठाकर ले गये और दूसरे दिन समाचार पत्रों में पढ़ा था जिसमें खालिद नाम के व्यक्ति को उठाये जाने का जिक्र था।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी सुशील कुमार सी डब्ल्यू-27 ने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह रेलवे स्टेशन बाराबंकी में पेपर बुक बेचने का कार्यकरता है। दिनांक 22.12.2007 को रेलवे स्टेशन बाराबंकी पर अपने उक्त पेपर स्टॉल पर मौजूद था और 6 बजकर 20 मिनट पर सुबह काफी शोर मचा और पुलिस व आम आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गयी कि आतंकवादी पकड़े गये, किन्तु वह डर के कारण दुकान बंद करके चला गया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बाद में उसे पता चला कि दो आतंकवादी पकड़े गये जिनके पास से काफी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह बाराबंकी रेलवे स्टेशन के चौराहे पर पेपर रखकर बेचता है और दिनांक 22.12.2007 को मेरा पेपर का काउंटर सुबह 5-6 बजे लगाया था। उसने हल्ला सुना, भीड़ देखी और देखा कि कुछ लोग एक आदमी को मारपीट कर गाड़ी में लाद रहे हैं। तब तक हल्ला मजा कि आतंकवादी पकड़े गये हैं। सब लोग भाग गये। पकड़ा गया व्यक्ति चादर ओढ़े था, वह उसे देख नहीं पाया और उसके बाद वह 2-3 घंटे बाद वह वापस आया तब तक मौके पर कुछ नहीं था। उसके सामने आदमी को चादर से ढक दिया उसके पास से कोई चीज बरामद नहीं हुई थी। वह देख नहीं पाया कि कितनी गाड़ियां थी वह अपनी जान बचाकर भाग गया था।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी अजय कुमार सी डब्ल्यू-28 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह रेलवे स्टेशन बाराबंकी के पास चाय का होटल चलाता है। दिनांक 22.12.2007 को अपने चाय के होटल पर मौजूद था सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर काफी शोर मचा और पुलिस व जनता की काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी वह अपनी दुकान पर था। और वह अपनी दुकान बंद करके चला गया और बाद में पतला चला कि दो आतंकवादी पकड़े गये हैं और उनके पास से काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। दिनांक 22.12.2007 की सुबह 6-7 बजे है। वह अपने होटल पापा टी स्टाल पर मौजदू था। और थोडी देर बाद आवाज आई भागो-भागो बम है वह अपनी दुकान खुली छोड़कर माल गोदाम की तरफ भाग गया। उस वक्त पब्लिक भाग रही थी। कौन पकड़ा गया उसने नहीं देखा।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी कृष्णा सी. डब्ल्यू-29 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह रिक्शा चालक है। दिनांक 22.12.2007 को रेलवे स्टेशन बाराबंकी पर अपना रिक्शा लिए मौजूद था सुबह करीब 6 बजकर 20 मिनट पर काफी शोर मचा और पुलिस व जनता की काफी भीड़ एकत्र हो गयी और वह डर के वश रिक्शा लेकर चला गया। उसके बाद पता चला कि पकड़े गये व्यक्ति आतंकवादी है जिनके काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी हेमन्त कुमार पाण्ये सी. डब्ल्यू-30 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि उसका साइकिल स्टैंड का ठेका वाराणसी साइकिल स्टैंड पर है। और उसका ठेका छः साल से चल रहा है। उसने यह भी कहा कि ठेका तीन साल का होता है। यह ठेका उसके पास करीब 15 साल से है। वह चार रूपये साइकिल के, छः रूपये मोटर साइकिल के जमा करता है। और यह रेट रेलवे द्वारा बनाये गये हैं। उसने यह भी कहा कि दिनांक 16.12.2007 को उसके पास ठेका था। साइकिल स्टैण्ड की रसीदें वही छपवाता है। उसने कहा कि रसीद संख्या 030719 पर एक स्पलैण्डर गाड़ी स्टैण्ड पर रखी गयी थी जिस पर कोई नंबर नहीं था। सिर्फ Applied for लिखा था। यह मोटर साइकिल उसके कर्मचारी द्वारा जमा की गई थी और उस समय उसका कर्मचारी विनोद दुबे था जो बिहार का रहने वाला था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि यह गाड़ी मेरे स्टैण्ड पर रात के आठ बजे के बाद जमा की गयी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बिनोद दुबे नाम का व्यक्ति उसके साइकिल स्टैंड पर काम करना छोड़कर चला गया है इस वक्त वह कहां काम करता है उसे पता नहीं है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी अबुसार सी.डब्ल्यू-31 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह जन्म से दोनों पैर से पोलिया ग्रस्त है। वह अपने गांव मसूरन में पानी की दुकान करता है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह बी.ए. तक पढ़ा है। और उसने 2007 में सिम नं. 9450047342 लिया था । और उक्त सिम मो. आसिफ ने लिया था और उसके पास पैसा न होने के कारण उक्त सिम प्राप्त करने की रसीद उसने मो. आरिफ से लेकर अपने भाई के माध्यम से यह सिम लिया था। उसने यह भी कहा है कि यह सिम तीन माह तक उसके पास रहा था। उसके बाद सिम उसने तारिक कासमी को दे दिया था। तारिक कासमी उसकी बहन के चचा जात देवर लगते हैं। उसने यह भी कहा कि सिम की validity बढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं

था। तब तारिक कासमी के मांगने पर उसने उसे सिम दे दिया था। उसकी बहन की ससुराल सम्मोपुर, आजमगढ़ में है इस साक्षी ने यह भी कहा कि सिम देने के बावत कोई पैसा नहीं लिया था। उसने यह भी कहा कि तारिक कासमी हकीम थे और पार्ट टाइम मदरसे में पढ़ाते थे। यह भी कहा कि तारिक कासमी मजहबी थे और परहेज करते थे और काफी लोग खुश रहते थे। उसने यह भी कहा कि जब तारिक कासमी ने अपने घर से मोटरसाइकिल से निकले और वापस नहीं आये तब काफी तलाश किया गया और 5-6 दिन बाद पता चला कि इनके पास से आर.टी.एक्स. तथा नाजायज वस्तुओं के साथ बाराबंकी से पकड़े गये हैं। उसने यह भी कहा कि तारिक कासमी के घर कुछ मौलाना मौलवी आते जाते थे पता नहीं यह कौन लोग थे। और यह बात उसे अपनी बहन के घर जाकर पता चला थी। उसकी जब तारिक कासमी से बात होती थी तो कहते थे कि नमजा पढ़ा करो।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी शमशाद अहमद सी.डब्ल्यू-32 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह पेशे से अधिवक्ता है और दिनांक 12.12.2007 को दिन के 12 बजे के बाद हकीम तारिक के ससुर ने उसे बताया कि गाड़ियों से कुछ लोग उसके दामाद हकीम तारिक को सेरमा इस्तेमा में जाते हुए चेक पोस्ट से आगे मेन रोड से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हीं में से दो व्यक्ति उसकी मोटर साइकिल लेकर बनारस की तरफ चले गये। और यह सूचना उसे हकीम तारिक के ससुर ने उसके मोबाइल नं. 9919147713 पर दी थी। उसने यह भी कहा कि उसके ससुर का नाम मो. असलम है। वह ग्राम आवक ताना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि हकीम तरिक के दादा श्री अजहर अली 19.12.2007 को उसके पास आये और उनके कहने के मुताबिक उसने एक प्रार्थनापत्र सी.जे.एम. आजमगढ़ को दिया था मजिस्ट्रेट ने उस पर दिनांक 22.01.2007 को आदेश पारित किया था। उसने यह भी कहा कि उसने उपरान्त 156(3)का भी प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसका नंबर 234/2008 है यह प्रार्थना पत्र सी.जे.एम. कोर्ट में ही दिया गया था। जो 01.11.2008 को निरस्त हो गया।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी मोहम्मद शाहिद सी.डब्ल्यू-33 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह जामिया-ए-दीनियात उर्दू देवबंद कॉलेज का नायब रजिस्ट्रार है और उसके कॉलेज में मो. तारिक पुत्र रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर, आजमगढ़ कभी भी विद्यार्थी नहीं रहा और न ही फाजिल-ए-दीनियात उर्दू की परीक्षा वर्ष 1995 में दी है और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई मार्कशीट वर्ष 1995 जिसका रोल नंबर 142 तथा इनरोलमेंट नं.40422 है उसके विद्यालय से जारी नहीं किया गया है। इसका सर्टिफिकेट नं.3922 फर्जी है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी फरीद अहमद सी.डब्ल्यू-34 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि मो. तारिक मदरसा दारूल उलूम में मौलवी की पढ़ाई करता था और वह हॉस्टल में रहता था। उसने यह भी कहा कि तारिक ने D.U.M. की डिग्री अजमल खां तिब्बिया कॉलेज मुजफ्फरनगर से ली है।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी निजामुद्दीन सी.डब्ल्यू-35 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को 6.45 बजे वह बाजार में था, और उसने देखा कि बिना नंबर की टाटा सूमो से कुछ लोग उतरे तथा मुन्नू चाट वाले की दुकान पर खड़े खालिद मुजाहिद निवासी 37 महतवाना जिला जौनपुर को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और जौनपुर की तरफ लेकर चले गये और पुलिस वालों ने बताया कि एस.टी.एफ. के लोग थे।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी अनस सी.डब्ल्यू-36 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को वह मगरिब की नमाज पढ़कर करीब 6 बजे शाम से पहले वह सदरगंज जौनपुर अपनी मर्चेन्ट की दुकान पर आया तो दुकान के सामने से खालिद निकला, दुआ सलाम भी हुई. खालिद सामने चाट की दुकान पर चला गया। उसके बाद उसने देखा कि खालिद को कुछ लोग गाड़ी में बैठा चुके थे और तीन आदमी बाहर खड़े थे और जब वह तीन व्यक्ति गाड़ी में बैठ रहे थे तब उसने यह घटना देखी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि खालिद को उठाने वाले व्यक्ति करीब 35-40 वर्ष के उम्र के थे। उसने यह भी कहा है कि भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। परन्तु थाने से कोई सिपाही नहीं आया था। उसने यह भी कहा है कि वह सबके साथ थाने परगया था और लोग रिपोर्ट लेकर गये थे लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि थाने पर पता नहीं चला था कि एस.टी.एफ. वाले ले गये हैं बाद में घर पर पता चला था। उसने यह भी कहा कि थाने पर उसके मोहल्ले के लोग व शाहिद मौजूद थे।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी दयाराम सरोज सी.डब्ल्यू-37 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह ग्राम खानपुर डांडी थाना सराय ममरेज, जिला इलाहाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहांपुर में तैनात है। यह है कि वर्ष 2007-2008 में जनपद बाराबंकी में बतौर क्षेत्राधिकारी नगर बाराबंकी के पद पर कार्यरत था। जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली में मु.अ.सं. 1891/2007 धारा 121/121ए/122/124ए/332भ.द.वि.,16/18/20/23 आतंकवादी गतिविधि निरोधक अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम मोहम्मद खालिद मुजाहिद आदि की विवेचना दिनांक 22.12.07 से दिनांक 15.02.2008 तक उसके द्वारा संपादित की गयी।
यह कि विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान नकल फर्द बरामदगी, कायमी मुकदमा की जी.डी. की नकल करने के उपरान्त थाना कोतवाली बाराबंकी में मुल्जिमान (1) मोहम्मद खालिद मुजाहिद पुत्र स्व. जमीर मुजाहिद नि.मकान नंबर 37, महतवाना मोहल्ला मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर 2. मोहम्मद तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के बयान अंकित किये थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था। तथा एफआईआर लेखक हेड मोहर्रिर कन्हैया लाल का बयान अंकित किया था। वादी मुकदमा श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा क्षेत्राधिकारी चौक लखनऊ के बयान अंकित कर उनकी दिशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया गया तथा वहां पर मौजूद समाई साक्षीगण श्री रबीस पुत्र स्व.श्री विश्वनाथ प्रसाद नि. माल गोदाम रोड, थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी व श्री श्रीराम कश्यप पुत्र श्री शीतला प्रसाद नि. सट्टी बाजार थाना कोतवाली बाराबंकी के बयान अंकित किये। फर्द के

गवाहन श्री एस.आनंद पुलिस उपाधीक्षक, एस.टी.एफ. लखनऊ, उ.नि. श्री बिनय कुमार एस.टी.एफ. इकाई वाराणसी व का. चालक यशवंत कुमार एस.टी.एफ. इकाई वाराणसी के बयान अंकित किया।

यह कि विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के रिमांड के संबंध में समय-समय पर कार्यवाही की तथा अभियुक्तगणों के पास से बरामदशुदा मोबाइल फोन, सिम कार्ड को संबंधित मोबाइल कंपनी से ट्रेस किये जाने एवं कालडिटेल तथा मोबाइल धारकों को नाम व पता ज्ञात करने हेतु पत्र लिखे। अभियुक्त गण के पास से बरामद डेटोनेटर, जिलेटिन राड व संभावित विस्फोटक पदार्थ आर.डी.एक्स. का परीक्षण हेतु नमूना लेकर शेष माल के निस्तारण हेतु समय-समय पर पत्राचार किया एवं मा. न्यायालय से अनुमति प्राप्त की अभियुक्त मो. तारिक काजमी के पास से बरामद साइकिल स्टैंड की पर्ची के सत्यापन हेतु वाराणसी जाने के लिए अनुमति प्राप्ति करने हेतु अनुमति मांगी गई।
यह कि दिनांक 15.02.2008 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश संख्याः सीए-आईजी-एस.टीएफ-22(6)/2007 दिनांकित 11.2.2008 को शपथकर्ता को प्राप्त हुआ। जिसमें उक्त मु.अ.सं. 1891/2007 धारा 121/121ए/122/124ए/332भ.द.वि.,16/18/20/23 आतंकवादी गतिविधि निरोधक अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम मोहम्मद खालिद मुजाहिद आदि थाना कोतवाली बाराबंकी की विवेचना अन्य अभियोगों की विवेचनाओं के साथ तत्कालिक प्रभाव से ए.टी.एस. को स्थानान्तरित कर दी गयी थी। उक्त आदेश के अनुपालन में तदोपरान्त इस अभियोग की आगे की विवेचना उसके द्वारा संपादित नहीं की गयी।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी डॉक्टर अनीसुद्दीन सी. डब्ल्यू-38 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि 1995 में तारिक कासमी देवबंद दारूल देवबंद में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। परन्तु उसे यह पता नहीं कि वह किस हॉस्टल में रहता था। उसने यह भी कहा है कि तारिक कासमी ने देवबंद का सर्टिफिकेट नहीं लगाया बल्कि उनसे जामिया दीनियात के सर्टिफिकेट लगाये हैं। जो उसे अभी ज्ञात हुए हैं। उसने उसकी रहनुमाई तारिक कासमी का एडमीशिन कराया था। उसने यह भी कहा कि उसका फरीद अहमद, निवासी देवबंद से मुलाकात है जो जिल्दसाजी का काम करते हैं और उससे उसने जरूर कहा था कि तारिक कासमी के एडमीशिन में मदद कीजिए। उसने यह भी कहा कि तारिक कासमी दारूल देवबंद के अंदर कैंपस में रहता था और शफीकुर्रहमान नाम का एक लड़का भी उसके साथ रहता था। तिबिया कॉलेज में कोई कंटटीशन के आधार पर एडमिशन नहीं होता था बल्कि शिक्षा के आधार पर एडमिशन हो जाता था।
आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी कृष्ण चन्द्र शुक्ला सी. डब्ल्यू-39 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि बाराबंकी स्टेशन पर आतंकवादी के पकड़े जाने की सूचना उसे है। बराबंकी स्टेशन से बाहर साइकिल स्टैंड के बगल में उसकी पान की दुकान है। उसने यह भी कहा है कि यह घटना करीब 4-5 साल पहले की है। घटना सुबह 6-6.30 बजे की है। वह सुबह दुकान से उठकर बाहर झाड़ू लगाने जा रहा था तब स्टेशन की तरफ रोड की तरफ 10-12 लोग बम-बम चिल्लाते आ रहे थे और सभी लोग भागने लगे और वह भी भागकर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ भाग गया। उसने यह भी कहा कि करीब आधे घंटे के बाद जब लोग आने जाने लगे तब वह भी अपनी दुकान पर पहुंचा तो भीड़ थी भीड़ से पता चला कि दो आतंकवादी पुलिस वाले पकड़ कर ले

गये। और यह घटना हरी की दुकान के पास की है वह भीड़ में बताने वाले का नाम नहीं बता सकता है। उसने स्वयं किसी के पकड़ते नहीं देखा। लेकिन मौके पर भीड़ लगी हुई थी।

आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी इरशाद अहमद सी.डब्ल्यू-40 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह मोटर साइकिल UP 50N/2943 का पंजीकृत स्वामी है। और उसने यह मोटर साइकिल वर्ष 2006 में आजमगढ़ से होण्डा एजेंसी से 40,000 रूपये के आस पास क्रय की थी। जिसे HDFC से Finance कराया था। और 15,000 रूपये जमा किये थे। उसने यह भी कहा कि वह मैकेनिक है। और मोटर साइकिल ठीक करने की दुकान है। और उनसे मोटर साइकिल खरीदने के 2-4 माह बाद हकीम तारिक को बेच दी थी। उस समय उसकी कीमत करीब 40,000 रूपये थी। यह भी कहा कि उसकी मां सीढ़ी से गिर गयी थी, चोट आ गई थी इसलिए मोटर साइकिल बेच दी थी। और मदद के रूप में तारिक ने 2-4 हजार दिये थे और 15,000 नगद दिये थे। यह भी कहा कि मोटर साइकिल की 2500 तिमाही किस्त बैंक में जमा करनी थी। उसने मोटर साइकिल की एक किश्त जमा की थी। मोटर साइकिल बेचते समय कोई लिखापढ़ी नहीं की गयी थी। और न ही उसकी सूचना बैंक या बीमा कंपनी को दी गयी थी। तारिक कासमी ने बैंकम कोई किश्त जमान नही की। तारिक कासमी ने मोटर साइकिल खरीदने के 2-3 माह बाद 10,000 रूपये दिया था और कहा था कि आप किश्त जमा करते रहियेगा। और उसने वर्ष 2007 में 2-3 किश्त जमा की थी। उसने यह भी कहा कि वर्ष 2008 में किश्त वसूलने वाला आया था, कंपनी का लेटर भी लाया था। तब उसने पूरा पैसा जमा कर दिया था। उसने यह भी कहा कि तारिक के पास पहले स्कूटर था उसे शादी में मिला था। उसने 3-4 साल चलाने के बाद स्कूटर बेच दिया था। उसने यह भी कहा कि जब तारिक कासमी स्कूटर बनवाने आते थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। उसने यह भी कहा कि तारिक कासमी के पिता की दुकान दुबई में लान्ड्री की है। यह भी कहा कि गाड़ी का चालान कभी नहीं हुआ। उसकी बनारस में ससुराल है। उसने कभी मोटर साइकिल बनारस स्टैंड पर नहीं रखी। उसने यह भी कहा कि कभी-कभी तारिक कासमी मोटर साइकिल लेकर अपनी ससुराल चले जाते थे। उसने यह भी कहा कि तारिक कासमी से उसने अपनी पत्नी का इलाज कराया था। उसने यह भी कहा कि तारिक कासमी हज करके आये थे और हाजी थी कभी कभी अपने अब्बा के पास दुबई जाते थे।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी रियाज अहमद सी.डब्ल्यू-41 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि तारिक कासमी उसका लड़का है। वह दुबई में लांड्री का कारोबार करता है। करीब 4 साल पहले वह बाहर दुबई में था। तब उसे सूचना मिली कि उसका लड़का तारिक कासमी गायब हो गया है। और वह दुबई से 15.12.2007 को वापस आया। वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था फिर उसने लोगों से पूछताछ किया। उसका लड़का 12.12.2007 से गायब था। उसने यह भी कहा कि उसका लड़का तारिक कासमी का अजहर यूनानी दवाखाना रानी की सराय में है। वह शादीशुदा है उसके चार बच्चे हैं। वह मानसिक रूप से दुखी था दिनांक 16.12.2007 को और लोगों के साथ अधिकारियों के घर पर गया था और कहा कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है कृपया आप कोई कार्यवाही करें। दिनांक 22.12.2007 को पेपर में समाचार आया कि उसका लड़का व खालिद को आर.डी.एक्स. तथा और अन्य वस्तुओं को दिखाकर पकड़ा दिखाया। वह वर्ष 1983 से दुबई में रह रहा है। उसकी पत्नी यही पर रहती है। उसने तारिक को भी दुबई नहीं बुलाया।

आयोग द्वारा परीक्षित आफताब आलम सी. डब्ल्यू-42 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि वह सम्मोपुर रानी की सराय का रहने वाला है। वह मसकत में नौकरी करता है। वह पर्सनल ड्राइवर की नौकरी करता है। वह विदेश में करीब 8-9 साल से मशकत में है। और वर्ष 2007 मे वह वहीं पर नौकरी कर रहा था। उसने यह भी कहा वह और तारिक कासमी एक साथ गांव के मदरसे में पढ़े हैं और उसके मकान के सामने ही तारिक कासमी का मकान है। उसने कहा कि दिनांक 12.12.2007 को वह मशकत में था वहां पर नहीं था। उसने कहा कि तारिक कासमी का चाल चलन ठीक था। कभी किसी गलत संगत में नहीं रहता था।

आयोग द्वारा परीक्षित साक्षी राजेश कुमार श्रीवास्तव सी.डब्ल्यू-43 ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया और उसमें कहा है कि वह वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, मुख्यालय, ए.टी.एफ., उ.प्र. लखनऊ में नियुक्त है। उसने यह भी कहा है कि मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व. श्री जमीर मुजाहिद, निवासी मं.नं. 37, महतवाना मुहल्ला मडियाहूँ, थाना मडियाहूँ, जौनपुर के वि. श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी-चौक, लखनऊ द्वारा थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी पर मु.अ.सं. 1891/07 अन्तर्गत धारा-121/121ए/122/124ए/332 भ.द.वि. व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधि. 1967 दिनांक 22.12.2007 समय 09.15 पर पंजीकृत कराया गया, जिसका विवरण अभियोग दैनिक संख्या 1 दिनांक 22.12.2007 में संलग्नित प्र.सू.रि. पर अंकत है, जो स्वतः स्पष्ट है। उक्त अभियोग के अंतर्गत एक खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.श्री जमीर मुजाहिद के पास से 9 अदद जिलेटिन राड पैक शुदा, 3 स्टील कलर डेटोनेटर, 1 अदद नोकिया मोबाइल मय सिम कार्ड तथा 350 रूपये बरामद किये गये एवं दूसरे अभियुक्त मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद के पास से 3 अदद स्टील कलर डेटोनेटर, काले रंग का आरडीएक्स हाई एक्सप्लोसिव लगभग 1.25 किलोग्राम तथा 1 मोबाइल फोन मय सिमकार्ड एवं एक अन्य सिमकार्ड, रोडवेज बस टिकट तथा साइकिल स्टैंड, कैंड,वाराणसी की पर्ची जिस पर जमा किये वाहन का विवरण अंकित है, बरामद किया गया। उक्त बरामद किये गये समस्त वस्तुओं का विवरण प्र.सू.रि. में विस्तृत रूप से अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

उसने यह भी कहा कि उक्त प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद बाराबंकी श्री दयाराम सरोज दिनांक 12.5.2007 को प्रारम्भ की गयी, जिनके द्वारा नकल फर्द बरामदगी, नकल रपट कायमी, अभियुक्तगणों के कथन, प्र.सू.रि. लेखक के कथन अंकित किये गये तथा मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायिक रिमांड प्रदत्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त विवरण अभियोग दैनिक संख्या 1 दिनांक 22.12.2007 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

उसने यह भी कहा है कि तत्कालीन विवेचक द्वारा दिनांक 22.12.2007 को उक्त अभियोग के वादी श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी-चौक, लखनऊ का कथन अंकित किया गया एवं उनकी निशानदेही पर घटना स्थलों का निरीक्षण करते हुए घटना स्थल के समीपस्थ अन्य साक्षियों श्री रवीश पुत्र विश्वनाथ प्रसाद, निवासी मालगोदाम रोड कोतवाली, वाराणसी एवं श्री राम बदल पुत्र श्री शीतला प्रसाद निवासी सही

बाजार, थाना कोतवाली, वाराणसी का कथन अंकित किया गया तथा घटना स्थल का मानचित्रण अभियोग दैनिकी संख्या 2 दिनांक 23.12.2007 पर अंकित किया गया, जो स्वतः स्पष्ट है।
उसने यह भी कहा है कि तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर बाराबंकी श्री दयाराम सरोज द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को उनके दिनांक 24.12.2007 को प्रेषित पत्र के अंतर्गत अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये मोबाइल फोन का विवरण प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 27.12.2007 को पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, ओम निवास , न्यू हैदराबाद, लखनऊ को अभियुक्तगणों के पास से बरामद डेटोनेटर, आर.डी.एक्स. आदि विस्फोटकों कोक निष्क्रिय कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसका विवरण अभियोग दैनिकी संख्या 4 दिनांक 27.12.2007 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

उसने यह भी कहा कि तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर, बाराबंकी श्री दयारम सरोज द्वारा दिनांक 18.01.2008 को मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी को उक्त अभियोग में बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थ को निष्क्रिय कराने एवं परीक्षण हेतु भेजने के संबंध में अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, जिसको मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तददिवस स्वीकृत कर दिया गया, जिसका विवरण तत्कालीन विवेचक द्वारा प्रेषित अभियोग दैनिकी संख्या 11 दिनांक 29.01.2008 को फर्द के गवाह पुलिस उपाधीक्षक, एस.टी.एफ.श्री एस आनंद, उपनिरीक्षक एस.टी.एफ. श्री बिनय कुमार एवं कान्स. एसटीएफ श्री यशवंत कुमार के कथन दिनांक 01.02.2008 को अभियोग दैनिकी संख्या 14 दिनांक 01.02.2008 पर अंकित किये गये, जिनके द्वारा उक्त घटनाक्रम को विस्तृत रूपेण पूर्ण किया गया, जो प्र.सू.रि. में अंकित तथ्यों से सुमेलित है। इसी अनुक्रम में पूर्व विवेचक द्वारा विस्फोटक को निष्क्रिय कराकर परीक्षित कराये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, ओम निवास, न्यू हैदराबाद, लखनऊ को अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया गया, जिसका विवरण अभियोग दैनिकी संख्या 16 दिनांक 07.02.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।
उसने यह भी कहा है कि पूर्व विधेयक द्वारा दिनांक 13.02.2008 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्रेषित किये गये पत्र के अंतर्गत अभियुक्त मो. तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद, निवासी ग्राम सम्मोपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ के पास उत्तर रेलवे वाराणसी स्टैंड की पर्ची क्रमांक-030719 दिनांक 16.12.2007 को सत्यापन कराये जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो अभियोग दैनिकी संख्या 19 दिनांक 14.02.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।
उसने यह भी कहा है कि अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था/ए.टी.एफ., उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या सीए-आई.जी.-एसटीएफ-22(6)/2007 दिनांक 11.02.2008 के द्वारा उक्त अभियोगों की अग्रिम विवेचना एसटीएफ से कराये जाने हेतु स्थानान्तरित कर दी गयी, स्थानान्तरण आदेश का विवरण तत्कालीन विवेचक द्वारा अभियोग दैनिकी संख्या 20 दिनांक 15.02.2008 पर अंकित किया गया है, जो स्वतः स्पष्ट है।

उनसे यह भी कहा है कि अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था/एटीएस, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या सीए-आई.जी.-एसटीएफ-22(6)/2007 दिनांक 11.02.2008 के आदेश के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटीएस, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या एसटी-एसएसपी-एटीएस-13/08 दिनांक 17.02.2008 के अनुक्रम में उक्त विवेचना ए.टी.एस. में नियुक्त मुझ पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, एटीएस राजेश कुमार श्रीववास्तव को आबंटित की गयी, जिसका विवरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभियोग दैनिकी संख्या 21 दिनांक 25.02.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है। शपथकर्ता द्वारा उक्त विवेचना से संद्रभित समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्तगणों की अग्रिम न्यायिक रिमांड स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी को प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण उसके द्वारा दिनांक 25.02.2008 की अभियोग दैनिकी संख्या 21 में स्पष्ट है।

उसने यह भी कहा कि उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षक एवं सुरक्षा, ओम निवास, न्यू हैदराबाद, लखनऊ को अभियुक्तगणों के पास से बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 10.03.2008 को प्रेषित किया गया, जिसका विवरण अभियोग दैनिकी संख्या 32 दिनांक 10.03.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

उसने यह भी कहा है कि उसने द्वारा दिनांक 13.03.2008 को अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थों को निष्क्रिय कराये जाने के संबंध में 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में बम डिस्पोजल स्क्वायड के प्रभारी श्री राजेश कुमार के साथ थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी जाकर माल खाने के नियमानुसार उक्त प्रदर्शों को प्राप्त कर उसे निष्क्रियकरण कराये जाने की कार्यवाही संपादित करायी गयी तथा निष्क्रिय पदार्थों के अवशेषों को विधिक नियमानुसार संरक्षित कर मालखाना प्रभारी थाना कोतवाली, बाराबंकी को प्रदत्त किया गया, जिसका विवरण शपथकर्ता द्वारा अभियोग दैनिकी संख्या 34 दिनांक 13.03.2008 के साथ संलग्नित फर्द पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा दिनांक 14.03.2008 अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ श्री मनोज कुमार झा एवं कमांडो एसटीएफ श्री भूपेन्द्र सिंह के कथन अंकित किये गये तथा 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ के बम डिस्पोजल स्क्यायड के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2008 को अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थों को निष्क्रियकरण की कार्यवाही एवं प्रदर्शों को संकलित किये जाने के संबंध में उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को अभियोग दैनिकी संख्या 35 दिनांक 14.03.2008 के साथ संलग्नित किया गया, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा दिनांक 15.03.2008 को उक्त प्रकरण के वादी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चौक, लखनऊ श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा के कथन अंकित किये गये तथा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए 95 दिनांक 15.03.2011 प्रेषित किया गया, जिसका विवरण अभियोग दैनिकी संख्या 36 दिनांक 15.03.2011 पर अंकित हैं, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा निष्क्रिय कराये गये विस्फोटक पदार्थों के संकलित प्रदर्शों से संदर्भित फोरेंसिक परीक्षण की आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अवलोकन से अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थ उच्च श्रेणी के विस्फोटक पाये गये, जिनके अवयवों का विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या प्रथम दिनांक 07.03.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा संकलित किये गये साक्ष्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत संबंधित धाराओं में अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिक संख्याः द्वितीय दिनांक 17.05.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा मो.तारिक काजमी के पास से बरामद किये गये रोडवेज बस टिकट नंबर-4799009 तथा उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड की पर्ची स्पेलेंडर नंबर-030719 के सत्यापित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. पूर्वी जोन श्री ललित कुमार सिंह को जांच कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, जिसके संदर्भ में निरीक्षक श्री अभय प्रताप मल्ल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16.12.2007 को उक्त साइकिल स्टैंड की पर्ची श्री बिनोद कुमार दुबे पुत्र शिवधारी दुबे, उम्र 28 वर्ष निवासी भसही थाना भगकनपुर, भभुबा कैमूर, बिहार द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका विवरण एक पूरक अभियोग दैनिकी संख्या तृतीस दिनांक 22.05.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा अभियुक्तगणों के पास बरामद किये गये मोबाइल फोन से संदर्भित आईएमईआई नंबर को विभिन्न नेटवर्कों पर स्कैन किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया तथा उनके द्वारा प्रदत्त कराये गये विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या पंचम दिनांक 11.06.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसको विभिन्न सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि जनपद लखनऊ, फैजाबाद एवं वाराणसी स्थित न्यायालयों में बम विस्फोट हमले के मुख्य सूत्रधार बशीर अहमद कोड उर्फ हेजाजी पुत्र मीर अहमद निवासी कुछाल, थाना छतरू जनपद किश्तवाड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मुठभेड में दिनांक 25.01.2008 को मारा गया। शपथकर्ता द्वारा उक्त तथ्य के सत्यापन हेतु 21 जून एवं 27 जून 2008 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, किश्तवाड, जम्मू एंड कश्मीर को फैक्स नंबर 951995259353 पर संपर्क किया गया, जो उनके द्वारा फैक्स से शपथकर्ता को प्रेषित की गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या षष्टम दिनांक 30.06.2008 पर संलग्नित किये गये प्रपत्रों पर अंकित है। उक्त फैक्स का हिन्दी अनुवाद पुलिस महानिरीक्षक,लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ में नियुक्त उर्दू अनुवादक मो. आदिल द्वारा संक्षिप्त रूप में कराया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि पुलिस उपाधीक्षक, श्री लियाकत अली तथा सूबेदार श्री मदन लाल व कैप्टन अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में गठित पुलिस टीम पर अज्ञात आतंकवादियों द्वारा जान से मारने की नियत से अवैध हथियारों से फायरिंग की गयी, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्यवाही की गयी, फलस्वरूप एक आतंकवादी मारा गया तथा अन्य आतंकवादी भागने में सफल रहे। मृतक आतंकवादी के पास से 1 अदद एके-

47 राइफल, 2 अदद मैगजीन, 20 राउन्ड, 1 अदद चार्जर, 1 अदद नोकिया-1110 मोबाइल फोन, 1 अदद छोटा चाकू, 5 अदद सेल रिमोट, 1 अदद ब्लेड बरामद किया गया, जिसके संदर्भ में श्री कुलदीप सिंह उ.नि.कमाण्डो ग्रुप थाना छतरू द्वारा प्र.सू.रि./मु.अ.सं. 2/08 दिनांकः 25.01.2008 अन्तर्गत धारा 307 भा.दं.वि.,7/27 आर्म्स एक्ट थाना छतरू, किश्तवाड पर पंजीकृत कराया गया एवं इसकी विवेचना निरीक्षक छतरू श्री बी.एन. शर्मा को आबंटित की गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या षष्टम दिनांक 30.06.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा मोबाइल फोन नं. 9450047342 के सत्यापन के अनुक्रम में महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. को लिखे गये पत्र के अनुक्रम में उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त मोबाइल फोन का धारक मो. आसिफ पुत्र साद अहमद, ग्राम मसूरन, पो. नारायनपुर कलां (दोस्तपुर), जिला सुल्तानपुर है, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या सप्तम दिनांक 02.07.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा दिनांक 15.02.2008 को अपर पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. पूर्वी जोन, वाराणसी को प्रेषित किये गये पत्र के अनुक्रम में वाराणसी रेलवे साइकिल स्टैंड की पर्ची नं. 030719 को सत्यापन करने, मोटर साइकिल के इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर की कार्बन प्रति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके संबंध में उ. नि. ए.टी.एस. श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी द्वारा उक्त मोटर साइकिल ब्लैक स्पेलेंडर का इंजन नंबर तथा चेसिस नंबर प्राप्त कर उक्त मोटर साइकिल जीडी रपट नंबर 51 समय 20:35 बजे पर थाना कैंड वाराणसी में दाखिल करायी गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या नवम् दिनांक 17.07.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. पश्चिमी जोन, नोएडा को दिनांक 19.07.2008 को प्रेषित पत्र के संदर्भ में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा मो. अमीनवाणी उर्फ खालिद उर्फ जिया उर्फ नईम पुत्र मो. साबिरवाणी, निवासी ग्राम बनकूट जिला डोडा जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में अंकित किये गये प्र.सू.रि. धारा थाना जनपद विवेचक का नाम तथा विवेचक का मो. नं. तथा अभियोग की स्थिति प्रदत्त किये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या दस दिनांक 21.07.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है। यहां तक भी अवगत कराया जाना है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा गिरफ्तार उक्त अभियुक्त पंजीकृत मु.अ.सं. 1891/07 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणों द्वारा उद्धरित किये गये तथ्यों के आधार पर मु.अ.सं. 3398/07 अन्तर्गत धारा - 307/ 302/ 121 भा. द. वि. व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि. 1908 व 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधि 1967, संशोधित अधि. 2004 थाना कोतवाली नगर, जनपद फैजाबाद, मु.अ.सं.547/07 अन्तर्गत धारा-115/120बी/121/121ए/124ए/307 भादवि, 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधि. 1908 एवं 16/18/20/23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधि. 1967 थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ में शामिल अभियुक्त मो. अख्तर उर्फ तारिक का भाई है।

यह कि उसके द्वारा साइकिल स्टैंड के प्रबंधकर्ता श्री विनोद कुमार के पास से बरामद किये गये साइकिल स्टैंड की पर्ची के आधार पर पकड़ी गयी मो. साइकिल के ई.नंबर एवं चेसिस नंबर के संबंध में जो सूचना प्रेक्षित की गयी उसके आधार पर उनको यह अवगत कराया गया कि उक्त मोटर साइकिल डिस्ट्रीव्यूटर्स जनपद आजमगढ़ को वितरित की गयी थी। उसक्त इस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स, आजमगढ़ से संपर्क किये जाने पर उनको यह पाया गया कि उक्त मोटर साइकिल दिनांक 28.08.2006 को इरशाद अहमद पुत्र सन्नोवर अहमद, निवासी कोट किला रोड, पो. सदर कोतवाली, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ को बिक्री की गयी है, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या ग्यारह दिनांक 22.07.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर मा. राज्यपाल दं.प्र.स.की धारा 96 तथा विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधि.1967 की धारा-45 के अन्तर्गत अभियुक्तगणों मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ व मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना थाना मडियाहूँ जौनपुर के विरूद्ध उक्त मु.अ.सं. 1891/2007 धारा 121/121ए/122/124ए/332भ.द.वि. व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 16/18/20/23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 के संदर्भित प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित करने एवं उक्त अपराधों को अधिकारिता युक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका विवरण शपथकर्ता द्वारा पूरक अभियोग दैनिकी संख्या बारह दिनांक 23.07.2008 में संलग्नित किया गया एवं जिसके आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध संस्थित एवं अनुपूरक आरोप पत्र संख्या ए-95ए दिनांक 23.07.2008 प्रस्तुत किया गया, जो स्वतः स्पष्ट है। यहां यह भी अवगत कराया जाना है कि इरशाद अहमद पुत्र सन्नोवर अहमद, निवासी कोट किला रोड, पो. सदर कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर साइकिल मो. तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद, निवासी ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा उसके नाम से क्रय करायी गयी तथा उक्त मोटर साइकिल का प्रयोग क्रय किये जाने की अवधि से मो. तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम सम्मोपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा लगातार किया गया। उक्त साक्ष्यों के विवरण पूरक अभियोग दैनिक संख्या बारह दिनांक 23.07.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके पुलिस अधीक्षक, किश्तवाड द्वारा उनके पत्र संख्या सीआरबी/02/08/छतरू/8403 दिनांक 31.02.2008 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ए.टी.एस. उ.प्र. लखनऊ को प्रेषित किये गये पत्र के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया कि मृतक बशीर अहमद कोड उर्फ हेजाजी उर्फ सब पुत्र हबीबुल्ला निवासी कुछाल छतरू जनपद किश्तवाड, जम्मू एंड कश्मीर के विरूद्ध पंजीकृत मु.अ.सं. 2/08 के अन्तर्गत बरामद किये गये नोकिया-111- मोबाइल फोन का आई.एम.ई.आई नंबर 354539/01/478533/0 तथा उक्त मोबाइल फोन में प्रयुक्त सिमकार्ड नंबर 8991550505008120564l है जिसका विवरण पूरा अभियोग दैनिक संख्या तेरह दिनांक 31.07.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा दिल्ली के पत्र संख्या 1821/25/ एस ओ/ डीसीपी/ विशेष शाखा, दिनांक 27.07.2008 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ए.टी.एस., उ.प्र. लखनऊ को प्रेषित किये गये पत्र के आधार पर यह अवगत कराया गया कि मो. अमीन वानी पुत्र साबिरवानी के विरूद्ध प्र.सू.रि. क्रमांक-2 दिनांक 04.01.2007 को अन्तर्गत धारा 121/ 121ए/122/123/120 बी भा.दं.वि. व 17/18/20/21 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1967 व 14 विदेशी अधि. पंजीकृत किया गया, जिसके संदर्भ में अभियुक्त गणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.03.2007 को विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त श्री संजीव यादव द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त तथ्यों का विवरण पूरा अभियोग दैनिकी संख्याः चौदह दिनांक 08.08.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा मु.अ.सं. 3398/07 अन्तर्गत धारा-307/302/121 भा.दं.वि. व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि. 1908 व 15/16 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि. 1967, संशोधित अधि. 2004 थाना कोतवाली नगर, जनपद फैजाबाद के संदर्भ में घटना दिवस के दिन प्राप्त किये गये अंकुली चिन्ह प्रदर्शों तथा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के अंगुली चिन्ह के संदर्भ में आख्या प्रेषित किये जाने हेतु मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद से अनुमति प्राप्त कर फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अपेक्षित की गयी थी। उसने अनुक्रम में निदेशक, अंगुली चिन्ह, उ.प्र. द्वारा उनके पत्र संख्या एफ.पी.बी.-163-08-एफजेडडी के अनुक्रम में यह अवगत कराया गया कि घटना स्थल से प्राप्त किये गये अंगुली चिन्ह मु.अ.सं. 3398/07 अन्तर्गत धारा 307/302/121 भा.दं.वि. व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि. 1908 व 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण)अधि 1967, संशोधित अधि. 2004 थाना कोतवाली नगर, जनपद फैजाबाद के प्रकरण में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त खालिद मुजाहिद पुत्र स्व. श्री जमीर मुजाहिद, निवासी म.नं.-37 महतवाना मुहल्ला मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जौनपुर तथा मो. अख्तर उर्फ तारिक पुत्र साबिवानी, नि. बनी बनकुट त. बनकुट जिला रामवन जम्मू कश्मीर के अंगुल चिन्हों के समान हैं। उक्त प्रलेख का पूर्ण विवरण मु.अ.सं.-3398/07 की अभियोग दैनिकी में अंकित है, जिसका संक्षिप्त विवरण वर्तमान अभियोग से संबंधित पूरक अभियोग दैनिक संख्या पन्द्रह दिनांक 12.08.2008 के साथ संलग्नित प्रपत्र पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में बरामद किये गये मोटर साइकिल के मालिक इरशाद अहमद पुत्र सन्नोवर अहमद, निवासी कोट मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या सोलह दिनांक 16.08.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसको अपर पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. पूर्वी जोन, वाराणसी के पत्र संख्या एसटी/ एटीएस(पू.जो.)-23/2008 के अनुक्रम में मो. तारिक काजमी के पास से बरामद बस टिकट संख्या एनईएल 4799009 के क्रम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, राज्य सड़क परिवहन निगम, जौनपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त टिकट दिनांक 16.12.2007 के रोडवेज बस नंबर यू.पी.65 आर 2637 के परिचालक श्री रामदीप उपाध्याय द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या सत्रह दिनांक 14.08.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी ने दिनांक 16.12.2007 को अभियुक्त के पास से बरामद टिकट के आधार पर विवरण तथा मोबाइल सिम कार्ड का फोरेंसिक परीक्षण, तारिक काजमी के पास से बरामद मोटर साइकिल का परीक्षण कराये जाने के संबंध में अनुमति मांगी गयी, जिनको विचारोपरान्त उनके द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके अनुक्रम में विवेचक द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या सत्रह ए दिनांक 14.08.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उनके द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्त तारिक काजमी द्वारा वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत फजीलत की शिक्षा दारूल उलूम, देवबंद एवं वर्ष 2000 में यूनानी मेडिकल प्रक्रिया संबंधी डिप्लोमा का कार्स अजमत खां तिब्बिया कॉलेज, मुजफ्फरनगर से सत्यापन कराये जाने हेतु पत्र ए.टी.एस. पश्चिमी जोन, नोएडा को प्रेषित किया गया, जिसकी जांच के अन्तर्गत अवगत कराये गये तथ्यों का विवरण पूरक अभियोग दैनिक संख्या अठारह दिनांक 20.08.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थों के अवयवों तथा जनपद फैजाबाद एवं लखनऊ में दिनांक 23.11.2007 को किये गये विस्फोटों के अवयवों की परीक्षण आख्या के विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये विस्फोटक पदार्थों के अवयव जनपद फैजाबाद एवं लखनऊ में दिनांक 23.11.2007 को कारित किये गये विस्फोटक अवयव समरूप थे, जिससे उक्त अभियुक्तगणों के जनपद फैजाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ में कारित किये गये विस्फोटों के डिजाइन की समानता प्रतिबिम्बित होती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मो. तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद के पास से बरामद मोटर साइकिल की चाबी तथा उसके द्वारा दिनांक 16.12.2007 को जनपद वाराणसी में मोटर साइकिल स्टैंड पर खड़ी की गयी स्पलेंडर मोटर साइकिल के साथ उसकी समरूपता वांछित की गयी, जो समरूप पायी गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिक संख्या 19 दिनांक 01.09.2008 पर अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा अभियुक्तगणों के पास से बरामद कियेगये मोबाइल फओन के संबंध में अपेक्षित किये गये विभिन्न सर्विस प्रदाताओं द्वारा प्रेषित सीडीआर की प्रति उक्त पूरक अभियोग दैनिकी संख्या बीस दिनांक 02.09.2008 के साथ संलग्नित की गयी है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये मोबाइल फोन के सिम के कैफ (CAF) का सत्यापन कराय जाने हेतु अनुरोध पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. को प्रेषित किया गया, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या इक्कीस दिनांक 04.09.2008 के साथ संलग्नित की गयी है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा महानिदेशक, एन.एस.जी.हैदराबाद द्वरा फैजाबाद में कारित बम विस्फोट के संदर्भ में परीक्षण किय गये तथ्यों के विवरण से संदर्भित दिनांक 23.11.2007 पर यह अंकित कराया गया कि जनपत वाराणसी एवं फैजाबाद में विस्फोट के समय किये जाने वाले स्थलों का चिन्हीकरण तथा विस्फोटक पदार्थों की

प्रकृति यह इंगित करती है कि यहइन विस्फोटों की कार्यवही किसी एक संगठन द्वारा समन्वित रूप से की गयी है, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या तेईस दिनांक 05.09.2008 पर अंकित कियागया है।
यह कि उसके द्वारा दिल्ली पुलिस विशेष शाखा के सहायक आयुक्त श्री संजीव यादव से दिनांक 04.01.2007 को विशेष शाखा द्वरा गिरफ्तार किये गये अभियुक्त मो. अमीनवाणी उर्फ खालिद उर्फ जिया उर्फ नईम पुत्र मो. साबिरवाणी, निवासी ग्राम वनकूट, जिला डोडा जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में पूछताछ की गयी तो यह अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त प्रतिविम्बित संगठन हूजी का पूर् मुखिया रहा है तथा वह वर्तमान अभियोग में जनपद फैजाबाद एवं लखनऊ में कारित विस्फोट में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त मो. अख्तर उर्फ तारिक का भाई भी है। उक्त विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या तेईस दिनांक 05.09.2008 के साथ संलग्नित प्रपत्र में अंकित है, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा हेजाजी उर्फ बसीर अहमद कोड, जो पूर्व हूजी का मुखिया था, उसके बाद खालिद मुजाहिद तथा मो, तारिक काजमी के पास से बरामद किये गये मोबाइल फोनों के द्वारा संदर्भित संपर्कों का विवरण उक्त मृतक एवं अभियुक्तगणों के पास से बरामद किये गये मोबाइल फोन के सीडीआर विश्लेषण से संक्षिप्त रूप से चित्र के माध्यम से पूरक अभियोग दैनिकी संख्या चौबीस दिनां 08.09.2008 को प्रस्तुत किया गया, जिससे उक्त अभियुक्तगण मो. तारिक काजमी एवं मो. खालिद मुजाहिद के हूजी कमांडर हेजाजी उर्फ बसीर अहमद कोड के साथ संपर्कों की पुष्टि होती है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये अभियुक्त तथा हूजी के मारे गये कमांडर हेजाजी उर्फ बसीर अहमद कोड के मध्य अन्तर्संबंध एवं उनके मध्य की गयी वार्ताएं, जो अभियुक्तगणों के संज्ञान में है, उनका प्रत्युत्तर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत अभियुक्तगणों के द्वारा स्वयं दिया जाना है।
यह कि उसके द्वारा उपनिरीक्षक एस.टी.एफ. श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, उ. नि. एस.टी.एफ. श्री संदीप मिश्रा, उ. नि. एस.टी.एफ. श्री धर्मेश शाही के कथन पूरक अभियोग दैनिकी संख्या सत्ताइस दिनांक 26.08.2008 को अंकित कराये गये, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि उसके द्वारा मृतक वशीर अहमद कोट उर्फ हेजाजी पुत्र मीर अहमद निवासी कुछाल थाना छतरू जनपद किश्तवाड जम्मू एवं कश्मीर के पास से बरामद किये गये मोबाइल फोन पर संलग्नित सि के सीडीआर के प्रति एयरटेल, जम्मू-कश्मीर द्वारा प्राप्त की गयी, जिसका विवरण पूरक अभियोग दैनिकी संख्या अठ्ठाइस दिनांक 20.12.2009 के साथ संलग्नित है। उक्त सीडीआर के अवलोकन से उन रेखांकित कालों का विवरण जिनका संबंध तारिक काजमी अथवा खालिद मुजाहिद के पास से बरामद किये गये मोबाइल फोन अथवा उनके घर से प्राप्त मोबाइल फोन से संबंधित है।

यह कि उसके द्वारा मु.अ.सं. 547/07 अन्तर्गत थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ के प3करण में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त मो. आरिफ पुत्र कादिर उर्फ कदीर पुत्र नसीम अहमद, निवासी संजरपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ जो इंडियन मुजाहिद्दीन का एक सक्रिय सदस्य है,से की गयी पूछताछ के अन्तर्गत यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि जनपद लखनऊ, वाराणसी एवं फैजाबाद में कारित किये गये बम विस्फोट की

घटनाएं व्यापक षडयंत्र के रूप में इंडियन मुजाहिद्दीन तथा हूजी के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की गयी, जिसमें दोनों आतंकी संगठनों के कार्यकर्ताओं को भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्व देकर उनके माध्यम से दिनांक 23.11.2007 को न्यायालय परिसर में उक्त विस्फोटों को कारित कराया गया। इस संबंध में इंडियन मुजाहिद्दीन के सदस्य आतिफ अमीन, साजिद छोआ, मो. आरिफ, आरिज उर्फ जुनेद, सादाब मलिक उर्फ इमरान उर्फ गुरू एवं सैफुर्रहमान के नाम प्रकाश में आये, जिनके सहयोग हेतु हूजी के सदस्यों के रूप में मो. तारिक काजमी, खालिद मुजाहिद, सज्जादुर्रहमान एवं मो. अख्तर उर्फ तारिक कश्मीरी द्वारा प्रत्यक्, रूप से योगदान दिया गया है। यह संयुक्त कार्यवाही हूजी के कमांडर के कमांडर बसीर अहमद कोड उर्फ हेजाजी उर्फ सबा तथा इंडियन मुजाहिद्दीन के कमांडर आतिफ अमीन द्वारा संयुक्त रूप संचालित की गयी। मो. आरिफ के पास से बरामद किये गये अभिलेखों में हूजी के उक्त आतंकियों के मोबाइल फोन नंबर, उसके हस्तलेख में प्राप्त हुए, जिनका परीक्षण हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने पर उक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। मो. आरिफ के पास से बरामद किये गये मानचित्र जिसमें लखनऊ में घटित की जाने की वाली घटना का विवरण अंकित है, के अन्तर्गत हूजी के उक्त दोनों सदस्यों के कार्य का संपादन का विवरण दिया गया, जो स्वतः स्पष्ट है।

यह कि मु.अ.सं. 547/07 अन्तर्गत था वजीरगंज जनपद लखनऊ के प्रकरण में मो. आरिफ द्वारा अंकित कराये गये कथन तथा उसके पास से बरामद किये गये अभिलेख/सिमकार्ड के फर्द का विवरण मा. आयोग के समक्ष अवलोकनार्थ प्रेषित है।

यह कि उसके द्वारा अभियुक्तगमओं के पास से तथा उनके घर से बरामद किये गये मोबाइल फोन के कस्टमर एड्रेस फॉर्म की जांच करायी गयी, जिसका विवरण अभियोग दैनिकी संख्या उन्तीस दिनांक 25.03.2011 पर अंकित है, जो स्वतःस्पष्ट है।

यह कि उसके उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मोबाइल फोन नंबर 9450047342 के धारक मो. आसिफ पुत्र सॉद अहमद द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त सिम कॉर्ड उसके द्वारा अबू साद पुत्र अबु तालिब को दिया गया था। अबू साद पुत्र अबु तालिब, निवासी मसुरन थाना अखंडनगर जनपद सुल्तानपुर द्वारा अपने कथन में यह अंकित कराया गया है कि उक्त सिम कार्ड उसके द्वारा अपने रिश्तेदार तारिक काजमी को दे दिया गया तथा उक्त सिम कार्ड का प्रयोय मो. तारिक काजमी द्वारा ही नियमित रूप से किया जाता रहा । शपथकर्ता द्वारा मो. तारिक काजमी एवं खालिज मुजाहिद तथा खालिद मुजाहिद एवं मो. तारिक काजमी एवं खालिद मुजाहिद तथा खालिद मुजाहिद एवं मो. तारिक काजमी के मध्य की गयी कालों के अवलोकन करते हुए उनके रेखाचित्र मय आईएमईआई नंबर के साथ अभियोग दैनिकी संख्या उनत्ती दिनांक 25.03.2011 पर अंकित किया गया है, जिससे इनके मध्य अंतर संबंधों की पुष्टि होती है।

यह कि उसके द्वारा उक्त संलग्नित तथ्यो के आधार पर मो. तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद, निवासी ग्राम सम्मोपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ एवं खालिद मुजाहिद पुत्र स्व. श्री जमीर मुजाहिद निवासी म.न.37 महदवाना मुहल्ला मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जौनपुर के विरूद्ध आरोपपत्र मां. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उस पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश

(विशेष जेल न्यायालय), जनपद बाराबंकी को कमिट कर दिया गया, जिनके द्वारा उक्त प्रकरण का विचारण करते हुए अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप नियत किये गये। उक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्यों के कथन मा. न्यायालय के समक्ष अंकित कराये जा चुके हैं, जिसमें अग्रिम तिथि अभियोजन साक्ष्य हेतु 20.08.2011 नियत की गयी है।

यह कि उसके द्वारा उद्धृत तथ्य अभिलेखों, साक्षियों के द्वारा अंकित कराये गये कथन, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर वर्णित हैं, जो उसके संज्ञान में लाये गये तथ्यों के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित हैं।

जनक प्रसाद द्विवेदी सी.डब्ल्यू-44 आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और कहा कि वह क्षेत्राधिकारी करछना इलाहाबाद में कार्यरत है और दिनांक 18.12.2007 को क्षेत्राधिकारी क्राइम ब्रांच लखनऊ में नियुक्त था।
यह कि मु.अ.सं.547/07 धारा 115/120 बी/ 121/ 121ए/ 122/ 124ए/ 307 भा.द.वि. व 16/ 18/ 20/ 23 अनलाफुल एक्टीविटीज एवं प्रीवेन्सन एक्ट व 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना वजीरगंज लखनऊ से संबंधित संदेही अभियुक्त मो. तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सरया जिला आजमगढ़ की तलाश मय फोर्स के दिनांक 18.12.2007 को उक्त गांव के घर पर उच्चाधिकारियों के निर्देश एवं विवेचक की सूचनानुसार की थी तथा नियमानुसार तारिक के घऱ की तलाशी ली थी।

यह कि उक्त तलाशी के वक्त फोर्स के अतिरिक्त 1. नियाम अहमद पुत्र मो. अजहर 2. मो. अजहर पुत्र मो.अलीम निवासीगण ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ 3. मो. शफी पुत्र मुश्ताक निवासी सोनवारा, थाना रानी की सराय, जिला आजमगढ़ बतौर गवाह भी मौजूद थे।

यह कि उक्त मो. तारिक काजमी के घर के नमाजी कमरे से 4 अदद जेहादी किताबें मिली थी जिनको हमराही क.हसीन हैदर से पढ़वाया गया तो बताया कि इन धर्म की किताबें में 2 किताबें इस्लाम की दावत तथा दूसरी किताब बेगुनाह कातिल तथा चौथी कॉपी में मो.तारिक का नाम अंकित है. उक्त किताबों के अतिरिक्त कमरे में 2 मोबाइल नोकिया जिनका आईईएमआई नं. 1-353632/01/ 590983/4 तथा 1-355519/01/897530/0 बरामद हुए। दोनों मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके बरामद शुदा किताबें व मोबाइल फोन 2 अलग अलग लिफाफे में रखकर वास्ते साक्ष्य सर्वमुहर कर मय नमूना मोहर तैयार करके कब्जा पुलिस लिया गया और व मौके पर फर्द खाना तलाशी टार्च व बिजली की रौशनी में नियमानुसार तैयार की गयी थी। फर्द को पढ़कर सुनाकर गवाहों के हस्ताक्षर बनवाये गये व फर्द की एक प्रति गवाहों को दी गयी थी।

यह कि उक्त तलाशी कार्यवाही में संबंधित थाने की पुलिस नियमानुसार सूचित करते हुए कार्यवाही की गयी थी तथा संबंधित थाने के एस.ओ. व क्षेत्राधिकारी नगर तथा अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कार्यवाही में शामिल थे।

यह कि उक्त कब्जा पुलिस लिया गया सर्वमोहर शुदा सामान व मौके पर तैयार की गई फर्द उक्त मु.अ.सं. मु.अ.सं.547/07 धारा 115/120 बी/ 121/ 121ए/ 122/ 124ए/ 307 भा.द.वि. व 16/ 18/ 20/ 23 अनलाफुल एक्टीविटीज एवं प्रीवेन्सन एक्ट व 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना वजीरगंज लखनऊ के विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री चिरंजीवनाथ सिन्हा को दिनांक 19.12.2007 को सुपुर्द कर दी थी।

सरसिज सौरभ, उप महाप्रबंधक, बीएसएनएल, लखनऊ आयोग की तरफ से परीक्षित साक्षी सी डब्ल्यू 45 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह निम्नलिखित documents **लेकर आया है और दाखिल कर रहा है-**

1.IMEI-35363201590141
Duretion 1-8-2007 to 31-12-2007
Total Pages-69

2.IMEI-35146640641869
Duretion 1-8-2007 to 31-12-2007
Total Page one nil

3.IMEI-35551901897530
Duretion 1-8-2007 to 31-12-2007
Total Page one

4.IMEI-35363201590983
Duretion 1-8-2007 to 31-12-2007
Total Pages-09

5.IMEI-35565500721064
Duretion 1-8-2007 to 31-12-2007
Total Pages 12

IMEI no **में** Left to Right **केवल 14 डिजिट ककी महत्वपूर्ण है और इसी से स्कैन लिया जाता है। बाद का डिजिट अर्थपूर्ण होता है.**

उसने यह भी कहा कि दिनांक 21.12.2007 को IMEI-35363201590141 **जिसमें नंबर 919450047342 था मोबाइल का समय 16.40 मिनट पर 9889810588 से 919450047342 पर कॉल की गई इसी प्रकार 22.12.2007 को सुबह 6.10 बजे पर 9450047342 से 9889810588 पर कॉल की गई।**

उसने यह भी कहा कि बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत सीडीआर में बातचीत किये जाने का समय व एयरटेल आदि सर्विस प्रोवाइडर क Date & Time stamp **में कुछ एक आध मिनट का अंतर हो सकता है।**

उसने यह भी कहा कि दिनांक 13.11.2007 को मोबाइल नंबर 9450047342 से 919451253363 पर 11.10.52 सेकेंड पर बातचीत होना दर्शाता है।

उसने यह भी कहा कि उसने जो अभिलेख IMEI **के दाखिल किये हैं दिनांक 1.8.2007 से पूर्व के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।**

उसने यह भी कहा कि IMEI-35551901897530 **की** call detail **मैंने दाखिल किया जिसमें ऊपर 1.8.2007 से 31.12.2007 लिखा है लेकिन** detail **केवल 22.12.2007 का** Record **आया है। जिसमें** Record **22.12.2007**

की सुबह 10.55 मिनट 15 सेकेंड से 13.40.24 तक का है। इस IMEI set पर मोबाइल नं. 9415904792 के सिम का प्रयोग हुआ है।

उसने यह भी कहा कि IMEI-35363201590983 दिनांक 18.12.2007 को मोबाइल नं. 919450624562 का सिम था और उस पर शाम 18.17.37 पर SMS Receive हुआ था, उसी प्रकार IMEI-35363201590983 के set पर दिनांक 22.12.2007 को 14.00.04 तक 23.12.2007 कको 13.41.09 पर SMS Receive हुआ है।

उसने यह भी कहा कि IMEI-35363201590141 दिनांक 12.12.2007 को अंतिम कॉल 12.23.00 की है। जिसमें Tower Location Sarai Rani U.P.E. लिखा है।

उसने यह भी कहा कि इसी IMEI no पर दिनांक 13.12.2007 को SMS 19.10.00 पर Receive हुआ है। Tower Location विश्वास खंड U.P.E लिखा है।

उसने यह भी कहा कि इस IMEI का मोबाइल सिम नं. 9450047342 जो SCANE SUBMIT किया है उसका आखिरी RECORD 22.12.2007 को सुबह 6.10 का है। जिसमें 9450047342 से 9889810588 पर OUT GOING CALL की गई है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1301ख/छ-पु-4-08-17(134)बी-08 दिनांक 14 मार्च 2008 के अनुसार मु.अ.सं. 1891/07 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37 महतवाना मोहल्ला थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र श्री रियाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की उपरोक्त अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं दायित्वों की जांच की अधिसूचना जारी हुई। उपरोक्त अधिसूचना के उपरान्त सार्वजनिक तौर से अखबारों में विज्ञापन जारी हुई। उपरोक्त अधिसूचना के उपरान्त सार्वजनिक तौर से अखबारों में विज्ञापन द्वारा यह सूचित किया गया कि उपरोक्त घटना के संबंध में जो भी जानकारी हो वह आयोग को सूचित करें व शपथपत्र एवं परिवाद पत्र दाखिल करें। अखबारों में जारी उपरोक्त सूचना के फलस्वरूप मो. जहीर आलम फलाही व अन्य ने परिवाद प्रत्र दाखिल किया व मो. जहीर आलम फलाही के अतिरिक्त 20 व्यक्तियों द्वारा शपथपत्र भी दाखिल किये गये। मो. जहीर आलम फलाही द्वारा अमर उजाला अखबार दिनांक 20.12.2007(Annes.1) दिनांक 18.12.2007 अमर उजाला अखबार की फोटो कॉपी(Annes.-2-3) दिनांक 20.12.2007 हिन्दुस्तान अखबार की फोटो कॉपी (Annes.4) दिनांक 21.12.2007 हिन्दुस्तान अखबार की फोटो कॉपी (Annes. -5-7) 21.12.2007 विभिन्न अखबारों में छपे समाचार (Annes.-8-24) दाखिल किये हैं।

क्षेत्राधिकारी मडियाहूँ द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की फोटो कॉपी प्रदर्श 4 अन्य प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श 4, 5, 6, 7 दाखिल किये हैं। फलाही द्वारा कुछ अन्य अखबारों की फोटो कॉपी व अन्य प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श-14 से 32 दाखिल किये गये हैं।

जामिअतुस्सालेहात मडियाहूँ जिला जौनपुर से दिनांक 4.02.2009 को एक प्रार्थनापत्र मय अखबारों में छपे समाचार पत्रों की फोटो कॉपी दाखिल की है। जिसमें सभी सात सदस्यगण की तरफ से यह कहा गया है कि वह स्कूल कमेटी के सदस्य हैं, जिसके प्रबंधक मो. जहीर आलम फलाही हैं और कथित आरोपी मो. खालिद मुजाहिद उपरोक्त आमिअतुस्सालेहात में एक शिक्षक की हैसियत से कार्य कर रहा था मो. खालिद स्कूल

प्रबंधक के भतीजे हैं उन्होंने यह भी कहा कि खालिद मुजाहिद एक मेहनती और अच्छे शिक्षक हैं कभी गैरहाजिर नहीं होते थे। यह भी कहा कि दिनांक 16.12.2007 को मो. खालिद का अपहरण कर लिया है और मडियाहूँ में थाने पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे उसमें मो. शाहिद जो खालिद के चचेरे भाई हैं ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने की पूरी कोशिश की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। यह भी कहा कि दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को तमाम अखबारात हिन्दुस्तान अमर उजाला दैनिक जागरण में यह खबर छपी थी कि मो. खालिद मुजाहिद को एस.टी.एफ. ने गिरफ्तार कर लिया है और वह अखबारात की कटिंग दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस गिरफ्तारी की वजह से खालिद मुजाहिद स्कूल नहीं आये, टीचर हाजिरी रजिस्टर की फोटो कॉपी दाखिल कर रहे है। उन्होंने यह भी कहा कि 18/19 दिसम्बर 2007 की दरमियानी रात को एस.टी.एफ. ने खालिद मुजाहिद के घर दबिश दी जिसकी फोटो कॉपी संलग्न है। उन्होंने यह भी कहा कि एस.टी.एफ. ने खालिद मुजाहिद को 22 दिसम्बर 2007 को बाराबंकी से आर.डी.एक्स. आदि के साथ गिरफ्तार दिखाया है यह असत्य और निराधार है और फैजाबाद कचहरी बम ब्लास्ट की जो 23.11.2007 की घटना है में खालिद को आरोपी बनाया गया है जबकि मो. खालिद ने 22 नवम्बर 2007 को स्कूल में पढ़ाया था र 23.11.2007 को जुमा था जुमे में स्कूल बंद रहता है और खालिद ने जुमा की नमाज मडियाहूँ में पढ़ी थी जिसकी गवाही कमेटी मेम्बरान और टीचर्स हैं और मो. खालिद 20 दिसम्बर 2007 से 16.12.2007 तक स्कूल बिना नागा शिक्षा देते रहे, हाजिरी रजिस्टर संलग्न किया है। उपरोक्त तथ्यों से कथित आरोपियों के कथन को बल मिलता है।

तारिक शमीम डी डब्ल्यू-1 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वह नेशनल लोकतांत्रित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महासचिव है। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। उसने कहा है कि हकीम मो. तारिक कासमी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके संबंध में आंदोलन चलाया गया था। हकीम तारिक 12 दिसम्बर 2007 को रोजाना की तरह रानी की सराय चेकपोस्ट से सराय मीर धार्मिक इजेतमा में जा रहे थे उस समय चेकपोस्ट के समीप लगभग 1 किमी दूर स्थित लखनऊ-बलिया मार्ग स्थिति ग्राम महमूदपुर में गिरफ्तार किया गया। जिसकी सूचना अखबारों तथा शुभचिंतकों के द्वारा से मालूम हुई। यह कि 14 दिसम्बर 2007 को स्थानीय थाना रानी की सराय में गुमशुदगी की रिपोर्ट हकीम तारिक के दादा अजहर अली लगभग उम्र 80 वर्ष की ओर से दर्ज करायी गयी थी जिसकी फोटो कॉपी निम्न प्रकार है-
दिनांक 15.12.2007 को मो. इरशाद खाना अध्यक्ष नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी व पूर्व विधायक तथा उनके सहयोगी प्रार्थी ने एस.एस.पी. और डी.एम. आजमगढ़ से मिलकर तारिक के संबंध में जानकारी चाही व तहरीर दी। यह कि एस.एस.पी. व डी.एम. का जवाब संतोषजनक न होने के कारण दिनांक 16.12.2007 को प्रार्थी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यह कि 15.12.2007 को प्रार्थी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। और जब सुनवाई न हुई तो दिनांक 17 दिसम्बर 2007 को कस्बा सराय मीर में भी धरना दिया। यह कि 15.12.2007 से 17.12.2007 के बीच हकीम तारिक का मोबाइल नं. 9450047342 जो उसके पास था, कभी ऑन होता था और कभी ऑफ होता था प्रार्थी ने इस

संबंध में एस.एस.पी. आजमगढ़ से निवेदन किया कि मोबाइल को सर्विलांस में डाल कर ट्रेस किया जाए परन्तु एस.एस.पी. ने इस संबंध में खामोश रहने के आदेश दिये। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 16/17.12.2007 को मो. अरशद खान ने हकीम तारिक के परिवार के साथ लखनऊ में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, गृह सचिव उ.प्र. व डीजीपी उ.प्र. को इस घटना की सूचना रजिस्ट्री द्वारा भेजी व तारिक की बरामदगी की गुहार लगायी। उसने यह भी कहा दिनांक 18.12.2007 को कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर फिर धरना दिया और ज्ञापन दिया। दिनांक 18.12.2007 को हकीम के दादा अजहर अली द्वारा प्रभारी सूचना अधिकारी आजमगढ़ से तारिक कासमी के बारे में यह जानकारी लिखित रूप से मांगी गयी कि क्या तारिक को किसी विभाग द्वारा, किसी विशेष जांच के लिए ले जाया गया है परन्तु इसका उत्तर नहीं दिया।

उसने यह भी कहा कि दिनांक 18/19 दिसम्बर 2007 की रात 12 बजे स्थानीय पुलिस के साथ लगभग तीस व्यक्ति सादा ड्रेस में आये र सीधे हकीम तारिक कासमी के घर में घुस गये उनके दादा परिवार के सदस्यों और महिलाओं से बोले तारिक कासमी का कमरा दिखाओ, शायद वहां से कोई सुराग मिल गये। तारिक को तलाशने के बहाने तारिक कासमी की धार्मिक व मेडिकल की लगभग 247 किताबें, घर के दो मोबाइल सेट आदि ले गये और दादा तथा पिता से सादे कागजों पर यह कह कर हस्ताक्षर करवा लिए कि आपके घर से केवल यही सामान पुलिस के लोग ले गये हैं। यह कि पुलिस की गतिविधियां और कार्यवाही संदिग्ध होने के कारम दिनांक 20.12.2007 को कलेक्ट्रेट में फिर धरना दिया गया परन्तु इस बार प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार किया। दिनांक 20 दिसम्बर 2007 को पूर्व विधायक मो. अरशद खान ने हकीम के परिवारजनों को चीफ तथा होम सेक्रेटरी, उ.प्र. के समक्ष पेश करके हकीम की बरामदगी की गुहार लगायी। परन्तु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यह कि थक हार कर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौ.चन्द्रपाल सिंह ने मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल महोदय के दफ्तर में इस आशय का ज्ञापन प्राप्त कराया कि यदि तारिक कासमी को 22.12.2007 तक पुलिस बरामद नहीं करती है तो पुलिस व सरकार की इस उदासीनता के खिलाफ वह अपहरण स्थल पर 23.12.2007 को आत्मदाह कर लेंगे। यह कि उपरोक्त चेतावनी के 1 दिन बाद दिनांक 22.12.2007 को सुबह को पुलसि और एस.टी.एफ. ने हकीम तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद जिसको 16 दिसम्बर 2007 को कस्बा मडियाहूँ जिला जौनपुर से उठाये जाने की खबर 17 दिसम्बर 2007 के अखबारों में छपी थी बाराबंकी से गोला बारूद के साथ आतंकवादी बता कर पकड़ा गया।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि 12.12.2007 से 21.12.2007 तक लगातार धरना व आंदोलन के जरिए जिले से सचिवालय व गवर्नर हाउस तक लिखित फरियाद की लेकिन किसी अथॉरिटी ने तारिक कासमी के पुलिस कस्टडी में होने की बात स्वीकार नहीं की और आत्मदाह की चेतावनी के तुरन्त बाद से आतंकवादी घोषित कर दिया गया। साक्षी ने यह भी कहा कि मो. खालिद मुजाहिद निवासी मोहल्ला महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर को दिनांक 16.12.2007 को शाम 6.30 टाटा सूमो से आये कुछ लोग उठाकर जौनपुर की ओर ले गये। इसकी सूचना तुरन्त मो. शाहिद द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मडियाहूँ को दी गयी बाद में सचिव उ.प्र. पुलिस महानिदेशक तथा मानवाधिकार आयोग को भी सूचनी दी गयी।

कथित आरोपी तारिक कासमी ने भी अपने शपथपत्र में कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को दिन बुधवार को वह अपने अजहर यूनानी दवाखाने से अपनी स्पेलेंडर मोटर साइकिल यू.पी. 50/एन 2943 से जा रहा था और जैसे ही वह शंकरपुर रानी की सराय चेक पोस्ट से कुछ आगे सराय मीर की तरफ पहुंचा तो वहा उसे सफेद रंग की टाटा सूमो ने ओवरटेक करके रूकने का इशारा करते हुए मरीज देखने को कहा। यह की वह मोटर साइकिल सड़क किनारे रोक ही रहा था कि उस टाटा सूमो से 9-10 लोग कूद कर उसके पास पहुंचे और उसका हेलमेट हटाकर उसे मोटर साइकिल से उठाकर टाटा सूमो में डाल दिया और दो लोगों ने उनकी मोटर साइकिल पकड़ ली। उसने यह भी कहा है कि शोर मचाने पर टाटा सूमो में सवार लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। टाटा सूमो वाले गाड़ी वहां से तेजी से ले गये और बाजार पहुंचते-पहुंचते उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। और जब उसने पूछा कहां ले जा रहे हो तो मारना शुरू कर दिया और तब वह जोर-जोर से कलमा पढने लगा और उसके बहुत जिद करने पर बताया कि वह एस.टी.एफ. के लोग हैं। उसने कहा जो पूछताथ करनी है वह थाने पर ले चल कर करें। यह भी कहा कि बी.के.सिंह ने कहा कि पहले तो पूछताछ करने का आदेश था अब तुम्हे एनकाउंटर करने का आदेश है। उसने यह भी कहा कि बी.के.सिंह के पास कई फोन सेट थे जिस पर वह बार-बार फोन कर रहा था और उसके पास फोन आ रहे भी रहे थे। उसने यह भी कहा कि वह लोग बनारस के खामोश इलाके में ले गये जहां हवाई जहाज का इलाका मालूम पड़ रहा था और वहां पर उसे एक मकान में रखा जिसमें दो कमरे एक किचेन था शाम तक वहीं रखने के बाद बी.के.सिंह ने बीरेन्द्र नाम अस्त्रधारक और दो कांटेबल को साथ लेकर टाटा सूमो के ड्राइवर जसवंत सिंह के साथ उसे टाटा सूमो में बैठाया और लखनऊ लाये और वहां दो कमरा, दालान तथा शौचालय वाले एक मकान में रखा। वहां उससे पूछताछ की गयी और बाद को उसे बाराबंकी ले जाकर आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ फर्जी बरामदगी दिखायी।

मो. खालिद मुजाहिद का भी यही कहना है कि दिनांक 16.12.2007 को एस.टी.एफ. उ.प्र. ने उसे उठाया। गलत तरीके से अपनी अभिरक्षा में रखा और दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकट उसकी फर्जी गिरफ्तारी दिखायी है। यह कि दिनांक 16.12.2007 की शाम को वह नील लेने घर से बाहर निकला ता वहां अनवर भाई से मुलाकात हुई उन्होंने बैठने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह नील वापस करने जा रहा है कल वह नील ले गया था और उसकी वाल्दा ने कहा था कि रॉबिन नील लेकर आओ।यह भी कहा कि उसके बाद वह पवन टाकीज के सामने गया वहां से कुछ सामान खरीदना था उसके छोटू भाई की गुम्टी पर आया उसने नील वापस किया और सामने मुन्नू भाई की चाट की दुकान है वहां गया तभी मुन्नू की अम्मा ने बुला लिया उनकी पोती को नजर लग गयी थी पानी दम करके देने के लिए कहा वहां मुन्नू के भाई थे और इसी बातचीत के दौरान चाट की दुकान पर एक गाड़ी आकर खड़ी हुई उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि चाट खाने के लिए लोग आते रहते हैं। तभी गाड़ी में से कुछ लोग निकले और बहुत तेजी के साथ उस पर झपट पड़े और उठाकर गाड़ी में डालकर लेकर चल दिये। उसने यह भी कहा कि रास्ते में आंख पर पट्टी बांध दी थी और हाथ पैस बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और जौपनुर से आगे एक सुनसान जगह उतार गया कहा उसे वहां इंकाउंटर करना चाहते थे। तभी किसी का फोन आया। क्या बात हुई मालूम नहीं बस इतना सुना कि

सी.ओ.साहम अगर लखनऊ लेकर चलना है तो आपको आना पड़ेगा आपकी गाड़ी में बैठकर ले चलेंगे तब कोई परेशानी नहीं होगी। लखनऊ लाकर एक नये मकान में रखा गया जहां पहले से ही लोग मौजूद थे और उन लोगों ने वहां उसका टार्चर शुरू किया, काफी टार्चर किया। उसने बाद बाराबंकी में उसकी झूठी बरामदगी दिखाई।

जबकि इसके विपरीत चिरंजीव नाथ सिन्हा, क्षेत्राधिकारी पी.डब्ल्यू-32 ने अपने शपथपत्र में कहा है कि दिनांक 23.11.2007 को जनपद न्यायालय लखनऊ में बम विस्फोट की घटना घटित हुई थी जिसकी विवेचना उन्हें प्राप्त हुई थी। यह कि दिनांक 23.11.2007 की घटना जो लखनऊ तथा जनपद फैजाबाद और वाराणसी में आतंकवादियों द्वारा घटित सीरियल बम बलास्ट धमाके उससे उ.प्र. ही नहीं अपितु मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि प्रांतों में भी आतंकी साया भय व आतंक के रूप में मडराने लगा था। उपरोक्त सीरियल बम ब्लास्ट की जांच हेतु पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा एस.टी.एफ. को विशिष्ट निर्देश दिये गये थे सने यह भी कहा है कि केन्द्रीय जांच एजेन्सियों व एस.टी.एफ. को स्वयं के स्रोतों से यह विदित हुआ कि भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रों की भूमि से संचालित आतंकवादी संगठन हरकुत उल जेहाद अल इस्लामी भारत के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। यह कि विदेशी आतंकवादियों को अस्त्रों एवं विस्फोटकों के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवकों को अवैध रूप से बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिक दिलाकर आतंकवादी एवं विध्वंसक कार्यवाही कर रहा है। यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि इस आतंकवादी संगठन के कुछ सक्रिय सदस्य उ.प्र. के जनपद जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सहारनपुर आदि में सक्रिय हैं। यह कि दिनांक 22.12.2007 को एस.टी.एफ. कार्यालय पर एस.टी.एफ. टीम से विचार विमर्श कर रहा था कि तभी 2.30 बजे रात को एस.टी.एफ. टीम के पुलिस उपाधीक्षक एस. आनंद, निरीक्षक अविनाश मिश्रा, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक धनंजय मिश्रा व उप निरीक्षक ओ.पी. पाण्डे को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास करीब प्रातः 6.00 बजे आने वाले हैं, जिनके संबंध आतंकवादी संगठन से है। और उनके पास घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ भी है, किसी संगीन घटना को अन्जाम देने की नीयत से लेकर आ रहे हैं। और इस सूचना पर यकीन करके वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर अन्य पुलिस कर्मचारियों को लेकर चार टीमें बनायी और बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर सुबह 6.15 बजे पहुंचे व दो व्यक्ति रिक्शे से आकर रेलवे स्टेशन के बाहर उतर कर किसी का इंतजार करने लगे जिनके पास एक-एक हैंड बैग था। मुखबिर ने इशारे से बताया कि ये ही व्यक्ति है, और वह चला गया। और दोनों संदिग्ध व्यक्ति किसी का इंतजार करते हुए प्रतीत हुए कि तभी अचानक दोनों अपना अपना बैग उठाकर स्टेशन से मुख्य सड़क की और चलने लगे तो उन्हों आगे बढ़कर अपना परिचय देते हुए उन्हें रूकने के लइए कहा तो वह सकपकाकर गये और तेजी से चलने लगे तभी कर्मचारीगण की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

एक ने अपना नाम खालिद मुजाहिद निवासी म.न.37 महतवाना मुहल्ला मडियाहूँ थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर बताया जामा तलाशी पर उसके दाहिने हाथ से पकड़े पुराने नीले हरे रंग के एअर बैग से दैनिक इस्तेमाली चीजों के अलावा एक सफेद लाल पॉलीथीन में नौ अदद जिलेटिन राड पैक शुदा जिनमें प्रत्येक पर अंग्रेजी में superpower 90 आदि लिखा हुआ है व तीन अदद स्टील कलर डेटोनेटर जिन पर लाल वायर लगा हुआ है

दाहिनी जेब से एक अदद नोकिया मोबाइल मय सिम तथा पोलीथीन में एक सिम कार्ड IDEA व एक Excel का सिम कार्ड 350 रूपये नगत बरामद हुए। और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो. तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ बताया उसकी जामा तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ में लिये बैग से जरूरी इस्तेमाली चीजों के अलावा एक अदद पोलीथीन में प्लास्टिक टेप से लिपटा हुआ सामान मिला, तीन अदद डेटोनेटर स्टील कलर जिन पर लाल रंग के वायर लगे हैं व एक पोलीथीन में लिपटा हुआ काले रंग का HIGH EXPLOSIVE विस्फोटक पदार्थ जिसका वजन लगभग सवा किलो था, जो देखने में आर.डी.एक्स. प्रतीत होता था और उसके दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल नोकिया जिसमें सिम Excel लगा था व एक अदद काले रंग की पॉकेट की डायरी जेब पर MADANI DAIRY अंग्रेजी में लिखा था। और उस डायरी के अंदर एक अदद सिम IDEA व रोडवेज बस का टिकट व उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड कैंड वाराणसी की पर्ची दिनांक 16 दिसम्बर 2007 व जेब से ही एक चाभी का गुच्छे में दो बड़ी चाभी व 300 रूपये नगद बरामद हुए। उनस बरामद शुदा विस्फोटक सामग्री आदि के विषय में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

कथित आरोपि खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी के अभिकथनों व उसके पारिवारिक व्यक्तियों व अन्य व्यक्तियों के अभिकथनों में से निम्न प्रश्न विचारणीय हैं।

1. क्या दिनांक 12.12.2007 को जब कथित आरोपी तारिक कासमी दिन में 12 बजे अपनी स्पेलेंडर मोटर साइकिल नं. यू.पी. 50 एन /2943 मोटर साइकिल से जा रहा था और शंकरपुर रानी की सराय चेप पोस्ट से कुछ आगे सराय मीर की तरफ पहुंचा तब सफेद रंग की टाटा सूमो से ओवर टेक कररके उसे रोका और उसमें सवार व्यक्तियों ने जबरदस्ती विठा लिया और दो व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर चले गये।
2. क्या तारिक कासमी को बनारस ले जाया गया व वहां से लखनऊ में रखा गया। धरना प्रदर्शन व जनात का दबाव पड़ने पर उसे दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से खालिद मुजाहिद के साथ गिरफ्तार दिखाया गया व आपत्तिजनक वस्तुओं को गलत रूप से उससे बरामद होना दिखाया।
3. क्या खालिद मुजाहिद को दिनांक 16.12.2007 को शाम 6 बजे जब वह पवन टाकीज के सामने मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास से एक टाटा सूमों गाड़ी से आये व्यक्तियों ने उसमें उसे डालकर ले गये। उसे लखनऊ रखा, उससे पूछताछ की और जब धरना प्रदर्शन हुआ व पब्लिक दबाव बना तो दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6.15 बजे उसे बाराबंकी रेलवे स्टेशन से हकीम तारिक कासमी के साथ गिरफ्तार दिखाया गया व आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद किया।
4. क्या दिनांक 22.12.2007 को सवा 6 बजे एस.टी.एफ. के कर्मचारी व अधिकारीगण द्वारा मुखबिर की सूचना पर कथित आरोपी तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया व क्रमशः खालिद मुजाहिद से 9 अदद जिलेटिन राड पैक शुदा, 3 अदद स्टील के डेटोनेटर, नोकिया मोबाइल व 1 सिम बरामद हुए व तारिक कासमी से लगभग सवा किलो आरडीएक्स, 3 अदद डेटोनेटर स्टील कलर व नोकिया मोबाइल सिम कार्ड बरामद किये।

अब यहां यह देखना है कि क्या तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को जब वह अपनी मोटर साइकिल से शंकरपुर रानी की सराय सराय मीर की तरफ जा रहा था तो उसे कुछ व्यक्तियों ने पकड़ लिया व खालिद मुजाहिदको दिनांक 16.12.2007 को पवन टाकीज के सामने मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास से पकड़ लिया व बाद में धरना प्रदर्शन व पब्लिक का दबाव व लोकतांत्रिक पार्टी के युव अध्यक्ष द्वारा हकीम तारिक कासमी को 22.12.2007 तक पुलिस द्वार बरामद न करने पर कथित अपहरण स्थल पर दिनांक 23.12.2007 को आत्मदाह की धमकी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को दिनांग 22.12.2007 को सवा 6 बजे सुबह बाराबंकी रेलवे स्टेशन से जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर और आर.डी.एक्स. के साथ गिरफ्तार किया। यदि उपरोक्त दोनों आरोपियों को क्रमशः तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को खालिद मुजाहिद को 16.12.2007 को पकड़ा गया तो दिनांक 22.12.2007 को उनकी आपत्ति जनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तारी संदेहजनक ही मानी जायेगी।

इस केस में मोहम्मद जहीर आलम फलाही द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं- फलाही डी डबल्लूय 22 ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि 16.12.2007 को लगभग 8.30 बजे उसने पुत्र मो. शाहिद ने फोन पर उसे बताया था कि मो. खालिद का अपहरण कर लिया गया है और कोशिश करने के बावजूद भी थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। उसने यह भी कहा हैकि उसने तुरंत मडियाहूँ थाना प्रभारी अलताफ हुसैन को फोन किया और उन्होंने बताया कि वह मडियाहूँ से बाहर हैं अभी आकर पता करता हूँ। उसने यह भी कहा कि उसने दिनांक 16 दिसम्बर 2007 को ही रात में राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली व डी.जी.पी. उ.प्र. लखनऊ को फैक्स किया था उसने यह भी कहा है कि 17 दिसम्बर 2007 को उसने कई अधिकारियों और शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को फैक्स किया था और एस.एस.फी. जौनपुर को रजिस्ट्री की थी। उसने यह भी कहा कि 18/19 दिसम्बर, 2007 की मध्य रात मं एस.टी.एफ. के द्वारा खालिद के घर पर दबिश दी गयी थी और उसके घर वालों को परेशान किया गया था। उसने यह भी कहा कि 19 दिसम्बर की रात की घटना की पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री, गृह सचिव, आई.जी. बनारस वगैरह को दी थी। इस साक्षी से जिरह की गयी है इस साक्षी ने अपनी जिरह के दौरान में कहा है कि वह दिनांक 16.12.2007 को शाम को इलाहाबाद में था और दिनांक 17.12.2207 कोक अपने घर मडियाहूँ सुबह 10.30 बजे तक आ गया था। इस साक्षी के कथन की पुष्टि मो. शाहिद जमाल डी. डब्ल्यू-18 के बयान से भी होती है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को उसके चचेरे भाई मो. खालिद को शाम सवा 6 बजे जबरन कुछ लोग उठा ले गये थे उसने यहभी कहा है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना मडियाहूँ पुहंचा था और थाने पर काफी भीड़ भी गयी थी लेकिन थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी थी उसके बाद उसने 16 दिसम्बर को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार,नई दिल्ली को सूचना दी थी और अपने पिता मो. जहीर आलम फलाही को फोन से सूचना दी थी। उसने यह भी कहा है कि जब खालिद को जबरदस्ती उठाया गया था तो उसे रोकने का प्रयास किया गया था परन्तु टाटा सूमो में आये लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार थे दहशत का माहौल बन गया था। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी, उसमें उसने कहा है कि वह थाने पर स्वयं गया था। उसने यह भी कहा है कि शमीम वकील साहब ने एफ.आई.आर. दर्ज

कराने की तहरीर लिखी थी उस पर उसने हस्ताक्षर बनाये थे, परन्तु एफ.आई.आर थाने पर नहीं ली गयी थी, उसने हाईकोर्ट में भी जो रिट दाखिल की थी उसमें भी (Annex-4)है। इस साक्षी ने यह भी कहा हैकि दिनांक 17.12.2007 को कुछ लोग थाने पर गये थे तो पुलिस वालों ने बताया था कि एस.टी.एफ. के लोग ले गये हैं और यह भी कहा था कि किसी और के पूछने परयह नहीं बतायेंगे। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उसमें भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे उसके कथन को असत्य कहा जा सके।

उपरोक्त दोनों साक्षीगणों की पुष्टि शकील अहमद डी.डब्ल्यू-5 के बयान से भई होती है इस साक्षी ने कहा है कि दिनाकं 16.12.2007 को सवा 6 बजे वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था उसकी दुकान मुन्नू जाट वाले की दुकान के निकट है। उसने यह भी कहा है कि एक सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खडा होकर चाट खा रहा था उसे असलहा के बल पर टाटा सूमो में जबरदस्ती बैठाकर जौनपुर की तरफ ले गये और जब रोकने के प्रया किया तो टाटा सूमो में आये लोक अत्याधुनिक हथियार लहरा रहे थे और आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। उसने यह भी कहा है कि वह भीड़ की शक्ल में थाने पर गये और अपहरण किये जाने की तहररी देनी चाही लेकिन पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। उनसे यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 22.12.2007 को टी.वी., अखबारों के माध्यम से खबर आयी कि खालिद मुजाहिद और तारिक को असलहों आदि के साथ बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया है और खबर सरासर झूठ थी और खां में धूल झोंकने के बराबर थी इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन किये गये और पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है और इस विषय में अखबारों में खबरे भी छपती रही। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उसमें भी कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे उसके शपथ पूर्वक बयान पर शक किया जा सके। उसने अपने जिरह के बयान में कहा है कि 16.12.2007 को घटना के आधे-एक घंटे के बाद भीड़ के साथ वह थाना मडियाहूँ गया था कुछ लोग अंतर गये थे और फिर वापस आ गये थे और यह चर्चा सुनी थी कि एस.टी.एफ. वाले ले गये है. उसने यह भी कहा है कि खालिद से उसका कोई रिश्ता नहीं है। इस साक्षी के बयान से भी फलाही व शाहिद के बयान की पुष्टि होती है।

मो. सईद आलम डी.डब्ल्यू-6 ने भी उपरोक्त दोनों साक्षी गणों के बयान की पुष्टि की है. इस साक्षी ने कहा है कि दिनांक 16.12.2007 को वह अपनी दुकान जो मुन्नू जाट वाले की दुकान के निकट है, पर बैठा था और उसने देखा कि उसकी दुकान पर एक सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खडा होकर चाट खा रहा था और उसे असलहा के बल पर टाटा सूमो में जबरदस्ती बैठाकर जौनपुर की तरफ ले गये। उसने यह भी कहा कि खालिद को जबरदस्ती उठाये जाने पर लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परन्तु टाटा सूमो में आये लोक अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और किसी को भी आगे बढ़ने से गोली मारने की धमकी दे रहे थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि लोग भीड़ की शक्ल में थाने पर गये और खालिद मुजाहिद के अपहरण किये जाने की तहररी देनी चाही थी परन्तु पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को टी.वी., अखबारों के माध्यम से खबर आयी कि खालिद

मुजाहिद और तारिक को असलहा आदि के साथ बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया है जो सरासर झूठ है और आंख में धूल झोंकने के बराबर थी साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन किये गये और खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा है और इस विषय में खबरें अलग अलग अखबारों में छपती रहीं। इस साक्षी ने अपने जिरह के बयान में यह कहा है कि वह खालिद को जानता है और उसके मोहल्ले का है। उसने यह भी कहा है कि सड़क के पश्चिम उसकी दुकान है और पूरब में मुन्नू चाट वाले की दुकान है। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उससे भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि जिससे कहा जा सके कि वह झूठ बोल रहा है अथवा उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास न हो अथवा उसने घटना न देखी हो।

इस केस में शकील अहमद डी डब्ल्यू-7 को प्रस्तुत किया गया है इस साक्षी ने भी उपरोक्त साक्षीगणों के बयान क पुष्टि करते हुए कहा है कि 16.12.2007 को सवा 6 बजे बाजार में वह अपनी दुकान पर बैठा था और उसकी दुकान भी मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और उसने देखा कि एक सफेद रंग की टाटा सूमो गाड़ी आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था असलहों के बल पर जबरदस्ती टाटा सूमो में भरकर जौनपुर की तरफ ले गये।उनसे यह भी कहा है कि कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था परुन्तु टाटा सूमो में आये लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों को लहराते हुए किसी के भई आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी थी दहशत का माहौल बन गया था उसने यह भी कहा कि वह अन्य लोगों के साथ थाने गया था व खालिद मुजाहिद के अपहरण की तहरीर देनी चाही थी परन्तु पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से मना कर दिया था। उसने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह पर धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन ने जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है और इस विषयम खबरें भी विभिन्न अखबारों में छपी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा हैकि उपरोक्त घटना के बाद दिनांक 22.12.2007 को टीवी और अखबारों के माध्यम से खबर आयी कि खालिद मुजाहिद व तारिक को असलहों आदि के साथ बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया है यह खबर सरासर झूठ थी और खां में धल झोंकने के बराबर थी इस साक्षी ने अपनी जिरह के बयान में कहा है कि वह थाने के बाहर ही था अन्दर नहीं गया था इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उसमें भी कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे यह कहा जासके कि उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान से पास न हो अथ्वा उसने खालिद का अपहरण होते न देखा हो अथवा वह थाने न गया हो। इस साक्षी के बयाने से भी उपरोक्त साक्षी गण के बयान की पुष्टि होती है।

इस केस में जुल्फिकार डी.डब्लयू-10 को प्रस्तुत किया गया है कि इस साक्षी ने भी अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास है उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान क पास एक सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकि, खालिद मुजाहिद को जबरदस्ती उठाने से रोकने का प्रयास किया था किन्तु टाटा से आये लोग अत्याधुनिक हथियारों से लेस थे और आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। काफी लोग इकट्ठा हो गये थे भीड़ शक्ल में थाने पर गये थे तहरीर देनी चाही लेकिन पुलिस

इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से यह जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खालिद के अपहरण के विषय में खामोश क्यो है रिपोर्ट क्यों नही लिखी जा रही है। इस विषय में विभिन्न अखबारों में खबर छपती रही। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 22.12.2007 को टी.वी., अखबार के माध्यम से यह खबर आया की खालिद मुजाहिद और तारिक को बाराबंकी से अलसहों के आधि के साथ गिरफ्तार किया गया है जो सरासर झूठी थी और आंख में धूल झोंकने के बराबर थी। इस साक्षी ने अपने जिरह के बयान में कहा हैकि मुन्नू चाट वाला घटना वाले दन मुन्नु अपनी चाट की दुकान पर अकेला था उसने यह भई कहा है किखालिद जिस समय पकड़ा गया उस समय वह कुर्ता पैजामा पहने था। इस साक्षी से जो जिरह की गयी है उससे भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि जिससे उसके कथनों को असत्य कहा जा सके। इस साक्षी के बयान से उपरोक्त साक्षी गणों के बयान की पुष्टि होती है और यह साबित होता है आरोपी खालिद मुजाहिद को दिनांक 16.12.2007 को शाम सवा 6 बजे उसके गृह मडियाहूँ थाना महिडाहूं जनपद जौनपुर से टाटा सूमों से आये व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया गया।

इस केस में फकरे आलम रायनी डी.डब्ल्यू 11 ने भी उपरोक्त साक्षी गणों के कथनों की पुष्टि करते हुए कहा है कि 16.12.2007 को शाम सवा 6 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसकी दुकान भी मुन्नु चाट वाले की दुकान केक निकट है उसने देखा कि चाट वाले की दुकान के निकट सफेद रंग की एक टाटा सूमो गाड़ी आकर रूकी वहां खालिद मुजाहिद खड़े होकर चाट खा रहे थे उसे अपहरण करके जबरदस्ती टाटा सूमो में डालकर असलहों के बल पर जौनपुर की तरफ ले गये। उसने यह भई कहा है कि उन लोगों को रोकने का प्रया किया लेकिन टाटा सूमो से आये लोग अत्याधुनिक हथियारों से लेस थे आगे बढ़ने पर गोली चलाने की धमकी दी थी। उसने यह भी कहा है कि भीड़ की शक्ल में काफी लोग थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे लेकिन पुलिस इलाका ने रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया था। उसने यह भी कहा है कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा वह रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है और इस विषय में विभिन्न अखबारों में खबर छपी थी। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी समें भी कोई ऐसा तथ्य प्रकट नही होता है जिससे कहा जा के कि इस साक्षी की मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास उसकी दुकान नहीं है, अथवा उसने घटना न देखी हो। इस साक्षी के बयान से भी उपरोक्त साक्षीगणों के बयान की पुष्टि होती है।

इस केस में शकील अहमद डी डब्ल्यू 12 को भी प्रस्तुत किया गया। इस साक्षी ने भी अपने बयान में कहा है कि 16.12.2007 को वह सवा 6 बजे अपनी दुकान पर था उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है और वहां उसने एक सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी देखी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था और उसे जबरदस्ती टाटा सूमों में डालकर जौनपुर की तरफ चले गये। उसने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था किन्तु टाटा से आये व्यक्तियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे आगे बढ़ने पर गोली चलाने की धमकी दे रहे थे दहशत का माहौल बन गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि भीड़ शक्ल में लोग थाने पर गये थे और तहरीर देनी चाही, पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। साक्षी

ने यह भी कहा कि घटना के बाद जनता ने जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके खालिद मुजाहिद के विषय में पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि वह खामोश क्यों है और घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है इस विषय पर विभिन्न अखबारों में खबरें भी छपी है। इस साक्षी से जो जिरह की गयी है उससे भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि जिससे उसके कथन को असत्य कहा जा सके अथवा यह कहा जा सके कि उसने घटना न देखी हो या उसकी दुकान मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास नहो। इस साक्षी के बयान से भी उपरोक्त साक्षीगणों के बयान की पुष्टि होती है।

इस केस में हाजी इकराम उल्लाह डी डब्ल्यू 13 को भी प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 की शाम साव 6 बजे वह अपनी दुकान पर था उसने देखा कि मुन्नू चाट वाले की दुकान वाले के निकट एक सफेद रंग की टाटा सूमो गाडी आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था। उसने असलहों के बल पर जबरदस्ती टाटा सूमो में डालकर जौनपुर की तरफ चले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने खालिद को जबरदस्ती उठायेजाने का विरोध किया था परन्तु टाटा सूमो से ये व्यक्ति अत्याधुनिक हथियारों से लेस थे और धमीक दे रहे थे कोई आगे आया गोली चला दी जायेगी। उसने कहा कि दहशत का माहौल था किसी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि लोग भीड़ की शक्ल में थाने पर गये थे तहरीर देनी चाही तो पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन कियागाय। खालिद मुजाहित के विषय में पुलिस प्रशासन के जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा है। इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी है कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे उसके मौके पर उपस्थित व उसके द्वरा घटना देखने पर शक किया जा सके। इस तरह इस साक्षी के बयान से भी उपरोक्त साक्षीगणों के बयान की पुष्टि होती है।

इस केस में इम्तियाज अहमद डी डब्ल्यू 19 को भी प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 की शाम साव 6 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था उसकी दुकान भी मुन्नू चाट वाले की दुकान के निकट है। उसने देखा कि एक सफेद रंग की टाटा सूमो मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास आकर रूकी जहां खालिद मुजाहिद खड़ा होकर चाट खा रहा था और उसे जबरदस्ती टाटा सूमो में डालकर जौनपुर की तरफ ले गये। वहां उपस्थित लोगों ने रोकना चाहा लेकिन टाटा सूमो से आये लोग अत्याधुनिक हथियारों से लेस थे और आगे आने पर गोली चलाने की धमकी दे रहे थे और वहां पर दहशत का मौहाल बन गया था और वहां काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी थी उसने यह भी कहा कि लोग भीड़ की शक्ल में थाने पर गये और तहरीर देनी चाही परन्तु पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उपरोक्त घटना के बाद जनता द्वारा जगह-जगह धरना प्रदर्शन करके पुलिस प्रशासन से जानना चाहा कि खालिद मुजाहिद के अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है। इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी है उसमें कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे यह कहा जा सके उसने घटना नहीं देखी। इस तरह इस साक्षी के बयान से भी उपरोक्त साक्षीगणों के बयान की पुष्टि होती है।

इस केस में अनीसुर्रहमान डी डब्ल्यू 20 को भी प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 की शाम साव 6 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था उसकी दुकान भी मुन्नू चाट वाले की दुकान के पास है। उसने मुन्नू चाट वाले की दुकान पर एक सफेद रंग की टाटा सूमो आकर रूकी देखी जिसमें से कुछ लोग निकले और असलहों के बल पर खालिद मुजाहिद को टाटा सूमो में डालकर जौनपुर की तरफ ले गये। उसने यहभी कहा कि कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की परन्तु टाटा सूमो से आये लोग अत्याधुनिक हथियारों से लेस थे आगे आने पर गोली चलाने की धमकी दे रहे थे। लोग भीड़ की शक्ल में थाने पर गये तहरीर देनी चाही परन्तु पुलिस इलाका ने तहरीर लेने से इंकार कर दिया। जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया गया पुलिस प्रशासन से यह जानना चाहा कि पुलिस प्रशासन खामोश क्यों है और खालिद मुजाहिद के अपहरण की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है। इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी है उसमें उसने कहा है कि घटना वाले दिन उसके दांत में दर्द था और मेडिकल की दुकान पर दवा लेने गया था। दवा खरीदी थी वह रंगोली ड्रेसेज के पास खड़ा था जहां से यह घटना देखी थी। उसने खालिद को टाटा सूमो में लादते हुए देखा था। दूसरे दिन न्यूज पेपर में भी घटना की खबर छपी थी। वह थाने के भीतर नहीं गया था बाहर खड़ा रहा था भीड़ के वापस लौटने पर बताया था कि एफ.आई.आर नहीं लिखी गयी। इस साक्षी ने कहा है कि उसने 14.02.2008 को धरना प्रदर्शन करना चाहा था लेकिन पुलिस वालों ने नहीं करने दिया था और सबसे पहले धरना प्रदर्शन मडियाहूँ में मस्जिद के पास हुआ था और यह भी पुलिस द्वारा की गयी फर्जी गिरफ्तारी के विरूद्ध था। इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी उससे ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे उसकी मौके पर उपस्थिति को असत्य कहा जा सके या उसके बयान पर शक किया जा सके। इस तरह उपरोक्त साक्षी के बयान से भी अन्य पूर्व वर्णित साक्षीगणों के बयान की पुष्टि होती है।

इस केस में मो. आरिफ डी.डब्ल्यू 23 को प्रस्तुत किया गया है जो अमर उजाला के संवाददाता है इस साक्षी ने कहा कि दिनांक 17.12.2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 22.12.2007, 23.12.2007 एवं 27.12.2007 को अमर उजाला में उसकी रिपोर्ट के आधार पर खालिद के संबंध में खबरें प्रकाशित हुई हैं। उसने यह भी कहा है कि 17.12.2007 को छपी खबर कि "नगर में तीन दिनों से एस.टी.एफ का दस्ता भ्रमण करता दिखा था" खालिद के परिवार वालों की सूचना पर छापी थी। उसने यह भी कहा है कि दिनाकं 21.12.2007 को छपी खबर "मडियाहूँ से जुड़े हैं आतंकवादियों के तार" खालिद के चाचा का लोगों से चर्चा कर जानकारी हुई थी। इसमें लिखी खबर "अब लखनऊ पुलिस व एस.टी.एफ. की नजर लखनऊ बम विस्फोट सिलसिले में मडियाहूँ कस्बे पर है" का पुलिस सूत्र से थी। यह कि दिनांक 21.12.2007 को "पुलिस के मुताबिक....काफी चर्चा के बीच में" उसने स्वयं रिपोर्टिंग की थी। दिनांक 22.12.2007 को छपी खबर " आतंकियों के संपर्क में था मौलाना खालिद "उसकी रिपोर्ट पर छपी थी जिस पर खालिद की फोटो लगी है और यह खबर पुलिस की चर्चा से उसे मिली थी। यह कि दिनांक 23.12.2007 को प्रकाशित खबर " मौलाना खालिद को आतंकी मानने से किया इंकार" कस्बा वासियों व अल्पसंख्यकों के बताने पर खबर छापी थी और इस रिपोर्ट में उनके नाम भी दिये हैं। दिनांक 23.12.2007 को छपी खबर " क्वालिस सवारों ने उठाया खालिद को" खालिद के चाचा के बताने पर रिपोर्ट छापी थी। इसी क्रम में छपी खबर " खालिद की गिरफ्तारी के बाद चेती पुलिस" का सूत्र

जिले की पुलिस अधिकारियों की बैठक के आधार पर रिपोर्ट की थी। इसी क्रम में छपी खबर " मजहबी शिक्षा से जुड़ी थी खालिद की दो पुश्तें " खालिद के घर वालों की रिपोर्ट पर खबर छापी थी। इसी क्रम में " चार दिन से तलाश थी एस.टी.एस को"प्रकाशित खबर मोहल्ले वालों की चर्चा पर छापी थी। इस साक्षी ने अपने जिरह के बयान में कहा है कि दिनांक 16.12.2007 कोक खालिद के उठाये जाने की रिपोर्टिंग उसने की थी वह रिपोर्टिंग उसने खालिद के चाचा व परिवार वालों की सूचना पर रिपोर्ट की थी. इस तरह इस साक्षी ने घटित होने वाली घटनाओं व एकत्रित की गयी सूचनाओं के आधार पर 22.12.2007 से पूर्व व उसके उपरान्त अमर उजाला दैनिक अखबार में खबर छापी है।

जहीर आलम फलाही डी.डब्ल्यू 22 द्वारा दाखिल दिनांक 17.12.2007 के अमर उजाला की निम्म खबर

"**एस.टी.फ. ने चाट खा रहे युवक को उठाया**"

स्पेशल टॉस्क फोर्स एस.टी.एफ. ने रविवार की शाम नगर से एक युवक को उठाल लिया उसे किसी मामले में पूछताछ के लइए किसी अज्ञात स्थान पर ले गये हैं। तीन दिनों से एस.टी.एफ. का दस्ता उसकी तलाश में नगर में भ्रमण करता था।

नगर के महतवाना मोहल्ले का वर्ग विशेष का एक युवक रविवार की शाम करीब 6.45 बजे पवन टाकीज के पास एक दुकान पर चाट खा रहा था तभी क्वालिस और टाटा सूमो में पर सवार होकर पहुंचे एस.टी.एफ. के दस्ते ने उसे कवर कर लिया और वाहन में बैठाकर उसे लेकर चला गया। उसे किस मामले में उठाया गया उसे लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। नगर में तीन दिनों से एस.टी.एफ. का दस्ता भ्रमण करता दिख रहा था।

उपरोक्त समाचार जो अमर उजाला दैनिक अखबार में दिनांक 17.12.2007 को छपा है उससे भी इस तथ्य को बल मिलता है कि इस तरह क घटना घटित हुई थी जिसे 16.12.2007 की शाम को सवा 6 बजे लगभग खालिद मुजाहिद को पवन टाकीज के पास से एस.टी.एफ. के दस्ते ने ज खालिद चाट खा रहा था,तब उठाया।

एक अन्य समाचार जो अमर उजाला दैनिक अखबार में 20.12.2007 को छपा है जिसमें निम्न तथ्य प्रकट में आये हैं

"मडियाहूँ जौनपुर स्टेशन टास्क फोर्स ने बीती रात महतवाना मोहल्ले में एक घर पर दबिश दी इसी घर के एक युवक को एस.टी.एफ. बीते रविवार को उठा लिया ता आरोप है कि एस.टी.एफ. के जवानों ने पूरे घर को खंगाला और धार्मिक पुस्तक भी कब्जे में ले ली। युवक के चाचा को कोतवाली ले जाकर तीन घंटे पूछताछ की सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद धमकी देकर छोड़ा। नगर के महतवाना मोहल्ला निवासी मोहम्मद खालिद नामक युवक को बीते रविवार की शाम सदरगंज मेन रोड से क्वालिस और टाटा सूमो सवाल लोगों ने उठा लिया था उसे अज्ञात स्थान पर रखा गया है "

खालिद के चाचा जहीर आलम ने उच्चाधिकारियों को भेजे प्रार्थना में लिखा है मंगलवार की रात करीब 12.30 बजे रात तीन वाहनों पर सवार होकर 15 लोग उसके घर पहुंचे, गेट पीटने के साथ ही आवाज लगाने लगे। जहीर आलम के अनुसार वह कमरा खोलकर बाहर आया उन लोगों ने बताया कि वह मडियाहूँ कोतवाली से

आये हैं और खालिद के बारे में बातचीत करना चाहते हैं. यह लोग घर के सभी कमरों में गये खास तौर से खालिद का कमरा पूछा और धार्मिक और उर्दू की कुछ अन्य पुस्तक भी उठा ले गये। थाना मडियाहूँ की जीडी रपट नंबर 37 पर क्षेत्राधिकारी चौक लखनऊ का थाना मडियाहूँ थाना जौनपुर जाना अंकित है तथा अपराध संख्या 547/2007 धारा 115/120 बी/121/122/124ए/307 आई.पी.सी. व 16/18/20/25 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम व धारा 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विवेचना के क्रम में थाना मडियाहूँ जाना अंकित है व उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी महतवाना थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर की तलाश में दबिश दिया जाना भी अंकित है। उपरोक्त तथ्य से अमर उजाला दैनिक अखबार दिनांक 20.12.2007 में इस खबर की पुष्टि होती है कि थाना पुलिस, चौक थाना, लखनऊ व अन्य व्यक्ति दिनाकं 18/19 दिसम्बर 2007 की रात में खालिद मुजाहिद के घर भी गये थे और इस घटना से पूर्व दिनांक 16.12.2007 को ही खालिद मुजाहिद के अपहरण की घटना घटित हो चुकी थी और दिनांक 17.12.2007, 19.12.2007 को फैक्स द्वारा रास्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मडियाहूँ, पुलिस महानिदेशक लखनऊ, जिलाधिकारी जौनपुर को फैक्स किये गये व सूचित किया गया कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग शाम साढ़े 6 बजे फतेह मोहम्मद बिल्डिंग के पास मोहल्ला सदरगंज, मडियाहूँ चाटी की दुकान के पास से उसके भतीजे मोहम्मद खालिद पुत्र स्व.जमीर अहमद को जबरदस्ती उठा ले गये जो एस.टी.एफ. के लोग थे। यह तथ्य जहीर आलम फलाही डी.डब्ल्यू 22 द्वार दाखिल फैक्स की फोटो कॉपी प्रदर्श-5 लगा है। प्रदर्श 13 से जाहिर है। क्षेत्राधिकारी मडियाहूँ द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 30.08.2008 प्रदर्श-4 से भी यह जाहिर है कि दिनांक 17.12.2007, 19.12.2007 को फैक्स प्रार्थना पत्र उसके कार्यालय के ओ.वी. नंबर 532, 534 पर थाना मडियाहूँ भेजा गया था जो थाना मडियाहूं पर ओ.वी. नं.823 व 824 पर अंकित है। इस तरह जब क्षेत्राधिकारी चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा 18/19 दिसम्बर, 2007 की रात को जब खालिद के घर की जामा तलाशी ली उस समय उनको खालिद का दिनांक 16.12.2207 को गिरफ्तार होना मोहम्मद जहीर आलम फलाही द्वारा व अन्य मोहम्मद खालिद के परिवार के सदस्यों द्वारा न बताये जाने का कोई औचित्य नहीं था और इसके अरिरिक्त मो. खालिद की टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 16.12.2207 को उठाये जाने की सूचना भी अमर उजाला के अखबार में दिनांक 17.12.2207 में भी छपा होना व 18.12.2007 में छापा गया है जैसा कि जहीर आलम फलाही डी डब्ल्यू-22 द्वारा अखबार की कटिंग प्रदर्श-134/2/1 और 134/2/2 से जाहिर है।

इसके अतिरिक्त फलाही डी.डब्ल्यू 22 ने हिन्दुस्तान अखबार की फोटो पी प्रदर्श-2/3 दिनांकित 21.12.2007 भी दाखिल की है। जिसमें लिखा है कि 'मडियाहूं का खालिद तीन बार जा चुका है पाक ' और यह भी लिखा है कि 'आजमगढ़ के हकीम तारिक के घर से मिली धार्मिक पुस्तक, मोबाइल व नोटबुक। उसी दिन के अखबार में प्रदर्श 2/4 में यह भी छापा गया है कि 'काफी दिन से खुफिया निगाह में था खालिद'। अमर उजाला की जौनपरु की खबर में यह छपा है कि 'मडियाहूँ से जुडे आतंकवादियों के तार'। दैनिक जागरण दिनाकं 21.12.2007 में छपा है कि 'एस.टी.एफ. मडियाहूँ में तलाश रही वारदात की जड़ें'। इसमें यह भी लिखा है कि विगत 4-5 दिनों पूर्व सदरगंज मोहल्ले से ठेले पर चाट खा रहे महतवाना मोहल्ला निवासी खालिद को एस.टी.एफ. उठा ले गयी थी अब तक वह हिरासत में है। मगंलवार को देर रात स्थानीय पुलिस को लेकर

खालिद के घर पहुंची औरउसके चाचा जहीर आलम फलाही से एक कागजात पर दस्तखत करवा लिया तथा हिदायत दिया कि वह मडियाहूँ छोड़कर नहीं जायेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने खालिद को कई मामलों में अपराधी बताया। उपरोक्त खबर से भी यह जाहिर होता है कि खालिद को 22.12.2007 से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था जैसा कि फलाही व स्वयं मो. खालिद का कथन है और उपरोक्त तथ्यों से उनके कथन की पुष्टि होती है।

दिनांक 22.12.2007 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी निम्न खबर 'दो महीने पहले ही हुआ था खालिद का विवाह'में यह भी उल्लेख किया गया है कि चाचा जहीर को आशंका थी कि कहीं मार न दिया जाये खालिद को। दैनिक जागरण ने दिनांक 22.12.2007 के अखबार में यह भी छपा है कि मौलाना खालिद पर 6 माह से थी आई.बी. की नजर, उसमें यह भी छपा है कि 'एस.टी.एफ. द्वारा उठाये गये खालिद के परिजन हलकान'। अमर उजाला के संस्करण 22.12.2007 में यह भी लिखा है कि 'आतंकवादियों के संपर्क में था मौलाना खालिद' और इस अखबार में यह भी लिखा है कि 16 दिसम्बर 2007 को कस्बे की चाट की दुकान से एस.टी.एफ. ने ही उठाया था। पुलिस की माने तो खालिद आतंकियों के संपर्क में था इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस फिलहाल इसी ओर संकेत दे रहे हैं मौलाना खालिद को उठाने से पहले पुलिस को पता था कि महतवाना मोहल्ले में एक कश्मीरी नागरिक आया था। यह बात मौलाना खालिद के चाचा जहीर आलम भी स्वीकार करते हैं यह भी कहते है कि पाकिस्तानी नागर जब आया था,तब वह घर पर नहीं थे उसने यह भी कहा कि सामाजिक लिहाज से ही उसे कश्मीरी नागरिक को घर में रखने पर आपत्ति दर्ज करायी थी। उन्हें नहीं पता कि कश्मीरी नागरिक कौन था इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए रिकॉर्ड की गयी बातचीत के आधार पर ही एस.टी.एफ. ने मौलाना खालिद को उठाया था यह भी पता चला है कि मौलाना खालिद हिरासत में लिये जाने से पहले बंबई गया था बंबई से जिस दिन लौटा उसी दिन क्वालिस सवारों ने उठा लिया। फिर भी मोहम्मद खालिद को हिरासत में लिये जाने की अधिकृत स्वीकृति किसी ने नहीं की है। मडियाहूं कस्बे के महतवाना मोहल्ला निवासी मौलाना खालिद पिछले पांच वर्षों से घर के बगल में ही लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं। उपरोक्त अखबारों में छपी खबर से भी इस बात की पुष्टि होती है कि खालिद को दिनांक 22.12.2007 से पूर्व ही उसके घर से उठाया गया ता।

दिनांक 23 दिसम्बर 2007 को अमर उजाला, जौनपुर संस्करण प्रदर्श 2/13 में भी क्वालिस सवारों ने उठाया खालिद को समाचार छपा है। दिनांक 17.12.2007 को हिन्दुस्तान अखबार में छपा है कि इलाहाबाद के मदरसा कांड के बाद से खुफिया नजर थी खालिद पर और दिनांक 20.12.2007 को मो. जहीर आलम फलाही ने संपादक हिन्दुस्तान को पत्र लिखा है कि खालिद के संबंध में छपी खबर गलत है खालिद उसका भतीजा है उसका मदरसा कांड से कोई संबंध नहीं और यह झूठी खबर आपने समाचार पत्र में छापकर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचायी है।अखबार की फोटो कॉपी प्रदर्श-7 दाखिल ही गयी है। उपरोक्त तथ्यों से भी यह जाहिर होता है कि मो. खालिद को दिनांक 22.12.2007 को एस.टी.एफ. द्वारा बाराबंकी रेलवे स्टेशन के

निकट आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तारी दिखाने से पूर्व कहीं उसको दिनांक 16.12.2007 को मडियाहूँ से गिरफ्तार तो नहीं किया गाय था।

इस केस में खालिद मुजाहिद को भी डी.डब्ल्यू-25 प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि दिनांक 16.12.2007 को शाम सवा 5 बजे अपने घर से निकलकर नील वापस करने के लिए बाजार के लिए निकला था रास्ते में अफरोज भाई विस्कुट वाले की दुकान पड़ती है वहां पर वह रुक गया था और वहीं पर अनवर अबु से मुलाकात हुई थी उसने यह भी कहा है अनवर अबु की दुकान पवन टाकीज के सामने है। उसने कहां वहां पहुंचा सामान लिया और उसके बाद छोटू भाई की गुम्टी के पास आया और उसी के बदल में उसके भआई कल्लू मृतक की दुकान है उवहीं उसने नील वापस किया और नील वापस करने के बाद वह मुन्नू चाट वाले की दुकान पर गया तभी मुन्नू की मां ने बुला लिया उसकी पोती की नजर लग गयी उसे झाड़ दो। मुन्नू की मां के पास पहुंचा था वह बच्ची की नजर नहीं झाड़ पाया वहीं पास में गाडी आकर खड़ी हुई और उसमें से कुछ लोग निकले र उसे गाड़ी में बिठा लिया। उसने यह भी कहा है कि मुन्नू चाट वाले की दुकान के पीछे 6-7 फीट दूरी पर मुन्नू की मां बैठी हुई थी वहीं सु उसे उठाया था और गाड़ी मौके पर रूकी नहीं थी तुरंत चल दी थी और यह भी कहा है कि रास्ते में उसे गाड़ी से उतारा था उसकी आंख पर पट्टी बंदी इस कारण नहीं बता सकता कि कहां उतारा था और उसी वक्त मोबाइल पर फोन आया था तो उसने कहा था कि यदि लखनऊ ले जाना होगा तो सी.ओ. साहब आपको आना होगा। फोन के बाद लगभग 10 मिनट तक रूके सी.ओ.साहब की गाड़ी आयी उसने बाद उसे आगे ले गये। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने लखनऊ लाकर किसी जगह पर रखा गया था लेकिन उसे यह पता नहीं कहां पर रखा गया था। उसने यह भी कहा कि वहां पर करीब 25 लोग मौजूद थे और बारी-बारी उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके कपड़े उतारकर मारा-पीटा जाता, बाल नोचे जाते और उसे तरह-तरह से परेशान किया जाता था और कहा जाता था वह कबूल कर ले कि कचेहरी ब्लास्ट उसने ही किया है उसने कहा था कि जब उसने कचेहरी ब्लास्ट नहीं किया है तो उसकी जिम्मेदारी अपने सर कैसे ले, तो उसे प्रताड़ित करने वाले ने कहा कि तुम जिम्मेदारी लो वरना तुम्हारी मां और बीवी को उठा लायेंगे और जान से मार देंगे। उसने यह भी कहा कि उसने बाद उसे दो लोगों ने बैठकर उसे सारी बात बतायी, जिसकी रिकॉर्डिंग की गयी। आंख पर पट्टी बांध कर उसे कुछ चीजें पकड़ायी गयी उसे नहीं मालूम कि वह कौन सी चीजें थी और उसके बाद दिनांक 22.12.2007 को उसकी गिरफ्तारी दिखाई।

उसके बाद उसे किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ले गये जहां पर सी.ओ. फैजाबाद राजेश पाण्डे ने सारी बातें रिकॉर्ड की। उसन यह भी कहा कि उसके बाद उसे बाराबंकी जेल ले गये जहां पर जेल के सिपाहियों और बंदियों ने उसे काफी मारा पीटा और इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनाकं 16.12.2007 को उसे लखनऊ ले कर आये थे कुछ लोगों ने उसे मारा-पीटा था और प्रताड़ित काय था और यह भी कहा कि दिनांक 24.12.2007 को 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था और रिमांड के दौरान भी प्रताड़ित किया गया था। इस साक्षी ने यह कहा कि जिस दिन उसे उठाया गया था उस दिन उसके पास नील और साबुन था जिसे उसने रास्ते में ही फेंक दिया था व उसका मोबाइल और पैसे अपने कब्जे में ले लिये थे इस साक्षी ने यह भी

कहा कि एक बैटरी पर बांये हाथ की उंगलियों के निशान लिये थे जो उससे चिपक रही थी व प्लास्टिक के टुकड़े पर निशान लिया था जिस पर कुछ लगा हुआ था एक किताब पर दोनों हाथों उंगली नीचे और अंगूठा ऊपर पकड़ा कर निशान लिये गये थे और यहीं पर अमिताभ यश ने कहा थ कि सबूत बनाना, सजा दिलाना उनका काम है और सबूत ऐसे बनायेंगे कि फांसी तक चढ़ा देंगे। इस साक्षी ने यह भी कहा उससे सज्जादुर्रहमान तथा तारिक कासमी के बारे में पूछा गया एक फोटो लेकर आये थे उसके बारे में पूछा गया था वह रामपुर का रहने वाला उसका दोस्त था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि राजेश पाण्डेय ने उसे दो बार सरकारी गवाह बनने के लिए कहा था। इस साक्षी से जो जिरह की गयी है उसमे उसने कहा है कि मोबाइल नं. 9889569370 व मोबाइल नं. 9889810588 दोनों ही उसके नहीं थे बल्कि उसका मोबाइल नंबर 9451259363 था जिसका वह प्रयोग करता था उसे जानकारी नहीं कि उसने मोबाइल पर मोबाइल नं. 9906753203 से दिनांक 08.06.2007 को कॉल आयी जो कि कश्मीर के आतंकवादी हेजाजी का नंबर बताया है। वह किसी हेजाजी को नहीं जानता है उसने कहा कि वह तारिक कासमी को जानता है वह उनसे वालिद की दवा उनके दवाखाने से लाता था तथा कुछ दवाएं वह बेचने के लिए लाता था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसकी माता को ट्यूमर था उसने माता को दिखाया नहीं था सिर्फ अल्ट्रा साउंड दिखाकर दवा लाता था। उसने यह भी कहा कि उसका संबंध तारिक कासमी से सन 2001 से था। उसने यह भी कहा कि उसकी शादी में तारिक कासमी नहीं आये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसकी मुलाकात लखनऊ में नहीं हुई और नही उसकी मुलाकात बनारस में करायी गयी, सिवाये उसके उठाने के बाद एस.टी.एफ. ने मुलाकात करायी थी। इस साक्षी ने कहा कि उसको एस.टी.एफ. द्वारा उठाये जाने की बात 16.12.2007 को ही पता चल गयी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने जैसी उठाया गया था उसके हाथ पैर बांध दिये गये थे आंख में पट्टी बांध दी गयी थी मुहं में कपड़ा ठंस दिया गया था। उसने यह भी कहा कि गाड़ी में 6-7 लोग सवार थे एक ड्राइवर था कोई वर्दी में नहीं था। हाथों में शस्त्र लिए थे। उसने यह भी कहा कि जिस वक्त उसे उठाया गया उस वक्त मुन्नू चाट वाला मौजूद था, मुन्नू चाट वाले की दुकान पर बल्ब जल रहा था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने जिन व्यक्तियों ने उठाया था उनमें से एक व्यक्ति के मुंह पर चेचक के दाग थे और उस आदमी को वह आज भी पहचान सकता है। इस साक्षी ने यह भी कहा जिस मकान में उसे रखा गया था उसकी आंख की पट्टी खुली थी उसे कमरे की जानकारी उसने कहा एक कमरे में अटैच लैटरीन बाथरूम था और वह घर जैसा था। इस साक्षी ने कहा कि जिस वक्त उसे शो करने के लिए मकान से बाहर निकाला गया रास्ते में कोहरा था। इस साक्षी नेय ह भी कहा जहां पर उसे ले गये थे रेलगाड़ियों की आवाज आ रही थी लिकन स्थान बाराबंकी थी जो लोग उसके पास बैठे थे स्थाना की जानकारी उन्हीं के द्वारा सुनी थी जिस दिन 4-5 लोगों के नाम ऊपर बताये उन्हें जाती तौर पर नहीं पहचानता है वह उन लोगों को देखकर पहचान सकता है । इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे और तारिक कासमी को दो अलग-अलग कमरे में रखा गया था दिनाकं 17.12.2007 को उसकी मुलाकात तारिक कासमी से हुई थी उसने यह भी कहा कि वह कभी किश्तवाड़ नहीं गया और न वह अस्त्र चलाना जानता है। उसने यह भी कहा ककि उसे बड़े अब्बू फलाही का स्कूल है जिसका चंदा लेने बंबई जाता था और इस साक्षी ने कहा कि उससे कोई भी नाजायज विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी और जो तथ्य उसने बयान में प्रकट हुए उससे इस साक्षी के कथन को असत्य नहीं कहा जा सकता है। इस साक्षी के बयान से भी यही जाहिर होता है कि उसे दिनांक 16.12.2007 को मुन्नू चाट वाले की दुकान से सवा 6 बजे पकड़ा गया और बाद में उसे लखनऊ रखा गया।

इस केस में मुन्नू चाट वाले सी.डब्ल्यू-12 ने इस बात की पुष्टि की है कि वह शाम को 4 बजे दुकान लगाता है और 8 बजे रात को दुकान बंद कर देता है वह अपनी दुकानदारी में व्यस्त था इस कारण देख नहीं पाया कि खालिद उसकी दुकान पर आया था। उसे बाद में पता चला कि कुछ व्यक्ति किसी को उठा लेगय हैं और दूसरे दिन उसे सुबह पता चला कि एस.टी.एफ.वाले खालिद को उठा ले गये हैं। उसने यह भी कहा कि गाड़ी आतीजाती रहती है जब अखबार छपा तब जाना था उसके बाद उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी उस वक्त भीड़ इक्टठा हो गयी थी उसका माल कुछ बिकने से रह गया था और ग्राहक भी भागने लगे थे। उसने यह भी कहा उसकी भतीजी पूजा बीमार थी और उसकी दुकान उसी सड़क पर है। इस तरह साक्षी के बयान से यह भी प्रकट होता है कि किसी पुलिस बल के लोग खालिद मुजाहिद को उठा कर ले गये। और यह साक्षी चाट का काम करता है जिसका नाम मुन्नू है जो खालिद को उठाते हुए नहीं देख पाया। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह इस बात को कहता है कि उसे दूसरे दिन पता चल गया था कि खालिद को एस.टी.एफ. वाले उठा ले गये हैं और कहा कि एक व्यक्ति को उठा ले जाने से ही उसकी दुकान बंद हो गयी थी। इस साक्षी के बयान से ही खालिद और फलाही के बयान की पुष्टि होती है।
इस तरह उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि किसी पुलिस बल के व्यक्तियों ने खालिद मुजाहिद को दिनांक 16.12.2007 को शाम सवा 6 बजे कस्बा मडियाहूँ जिला जौनपुर से मुन्नू चाट वाले की दुकान के सामने से जबरदस्ती उठाया और उसे लखनऊ ले आये।
अतः मो. खालिद मुजाहिद की दिनांक 22.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकट उसके सहयोगी तारिक कासमी के साथ गिरफ्तारी व उनसे आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी संदेहजनक प्रतीत होती है।

जहां तक हकीम तारिक कासमी की गिरफ्तारी का प्रश्न है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि दिनाकं 22.12.2007 को करीब 6.15 बजे सुबह जब दो व्यक्तियों को पकड़ा गया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम खालिद मुजाहिद और दूसरे ने अपना नाम तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी लेने पर उसे दाहिने हाथ में लिये हुए बैग में जरूरी सामानों के आलावा क सफेद पॉलीथीन में लिपटा हुआ तीन अदद डेटोनेटर स्टील कलर, एक पॉलीथीन की थैली में करीब सवा किलो आर.डी.एक्स., मोबाइल फोन व पॉकेट डायरी में एक सिम रोडवेज बस की टिकट, उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड कैंड बाराणसी की पर्ची स्पेलेंडर नं. 030719 दिनांक 16.12.2007 व जेब में एक चाभी का गुच्छा व 300 रूपये नकद बरामद हुए बताया जा ता है। जबकि इसके विपरीत मो तारिक कासमी का कहना है कि उसने कुछ लोगों ने टाटा सूमो से जबरदस्ती दिनांक 12.12.2007 को उठा लिया था उसके पास मोटर साइकिल नं यू.पी. 50 एन / 2943 स्पेलेंडर थी जो उसके नाम पर नहीं थी यह गाड़ी इरशाद अहमद की थी जिससे उनने खरीदी थी। उसकी गाड़ी का ट्रान्सफर नहीं हुआ था उसे गाड़ी के साथ ही उठाया था। उसने यह

भी कहा कि उसे करीब 12.30 बजे दिन में उठाया गया था। उसे टाटा सूमो गाड़ी ने ओवर टेक करके मरीज दिखाने के लिए रूकवाया। उसने मोटर साइकिल को सड़क के किनारे रोक दिया था। उसने जबरदस्ती उठाकर टाटा सूमो में डाल दिया था और दो लोगों ने उसकी मोटर साइकिल पकड़ ली थी। उसने यह भी कहा कि उसके शोर मचाने पर टाटा सूमो में सवार लोगों ने उसके साथ मार पीट शुरू कर दी। शोर सुनकर भैस चराने वाले खेतों में काम करने वाले टाटा सूमो की तरफ दौड़े थे इस बीच एक रोडवेज बस भी आयी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि टाटा सूमो में सवार लोगों ने गाड़ी तेजी से भगायी थी और बाजार पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने यह भी कहा उसके पूछने पर कहां ले जा रहे हो टाटा सूमो में बैठे लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया था और कहा था कि अभी पता चल जायेगा। वह जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा उसे कलमा पढ़ने से रोक दिया और बहुत जिद करने पर बताया कि वह एस.टी.एफ. के लोग हैं। उसने यह भी कहा कि उसने उन लोगों से कहा थाने पर ले चले और वहीं जोपूछताछ करनी हो वह करें, तो टीम के लीडर बी.के.सिंह ने कहा पूछताछ तो करना था अब तुम्हे एनकाउंटर करने का हुक्म है। उनके पास कई मोबाइल सेट थे तभी बी.के.सिंह के मोबाइल पर फोन आया। वह भी बार-बार फोन कर रहे थे। उसने कहा उसके बाद वह लोग उसे बनारस के सुनसान इलाके में ले गये जो हवाई जहाजों का इलाका नदेसर लग रहा था। वहां उसे एक मकान में रखा गया जिसमें दो कमरे एक किचन था वहीं रखा। इस साक्षी ने यह भी कहा कि शाम तक बी.के.सिं ने बीरेन्द्र नामक अस्त्र धारक, टाटा सूमो के ड्राइवर जसवंत सिंह के साथ टाटा सूमो में बैठकर उसे लखनऊ ले आये। वहां उसे दो कमरे एक दालाना एक शौचालय वाले एक मकान में रखा और उसका परिचय लेने के बाद उसे आतंकवादी बताया। उसे कहा वह देश का वफादार और सीधा-साधा मेडिकल प्रैक्टिशनर है। यह भी कहा कि उन्होंने पूछा तुम दारूल उलूम देवबंद में पढ़े हो तो उसने कहा हां, इस पर उन्होंने गाली देते हुए कहा वहां पढ़ने के बावजूद तुम अपने आपको आतंकवादी नहीं मानते। उसने कहा दारूप उलूम देवबंद में आतंकवाद का सबक नहीं पढ़ाया जाता बल्कि वहां पर पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया जाता है जिस पर एक व्यक्ति ने कहा इसे तैयार करो उसके बाद उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि सुबह डी.आई.जी साहब आये और ऐसे ऐसे सवाल किये जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा विदेश यात्रा के बारे में पूछा गया था उसने कहा कि सन् 2004 में हज करने तथा सन् 2005 में उमराह करने गया था। उसने यह भी कहा कि पूछताछ करने वालों ने उससे जेहाद के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि इस्लामी कानून पर अमल करना और इस्लाम को बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करना जेहाद कहते हैं तो इस पर उन्होंने कहा इस्लाम को फैलाने और काफिरों के कत्ल को जेहाद करते हैं उसने कहा इस्लाम में कत्ल की इजाजत नहीं है, इस्लाम की राह में रूकावट पैदा किये जाने पर मुस्लिम विद्वानों और मुफ्तियों के फैसले पर जिहाद फर्ज हो जाता है। उसने यह भी कहा कि उसे एक एक ग्रुप 4-4 घंटे टार्चर करता था एक ग्रुप के जाने के बाद दूसरे ग्रुप को गालियां देता और उसके लिए चाय मसाला व उसे बहला फुसला कर उससे वह कहलावा चाहाता जो उसने कभी नहीं किया। इस साक्षी ने यह भी कहा एक बार एक ग्रुप ने सी.ओ.एस.आनंद को बुलाया और सी.ओ.आनंद ने कहा इसके तैयार न होने पर इसकी मां और बीवी को उठा लाओ और इसके सामने बेइज्जत करो। उसे करंट लगाया जाता, नंगा करके पीटा जाता था। उसने यह भी कहा कि सी.ओ. आनंद ने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसे इंस्पेक्टर शर्मा, दरोगा शुक्ला और ओ.पी.पाण्डे

द्वारा कही गयी कहानी को उसे रटाया जाने लगा। उसने यह भी कहा कि दिल्ली गुजरात हैदराबाद पुलिस के लोग भी आये थे। गुजरात वाला कहता तुम गुजरात गये हो तुम्हारे लोग गुजरात में भी रहते हैं उसका मोबाइल नं तलाशते रहे। दिल्ली वाले ने कहा कि तुम दिल्ली आते जाते रहे हो। एक टाइप कागज दिखाकर कहते आतंतवादियों की आख्या में तुम्हारा नंबर मिला है। उसने कहा फोन नं. उसके पैड पर व अखबारों में दिये गये इश्तहार में दिया गया है, जो किसी को भी मिल सकता है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि सज्जाद के बारे में पूछने पर उसने कहा खालिद उसका दोस्त है और उसका मरीज भी रहा है इसलिए जानता है इस आरोपी ने यह भी कहा कि आखिर में रचे गये षडयंत्र के अनुसार एक गाडी में बैठाकर एक काफिला सुबह 4 बजे उसे ऐसी जगह ले गये जहां ट्रेन की आवाज आ रही थी जिससे लग रहा था कि रेलवे स्टेशन नजदीक है। उसके बाद सुबह करीब 6 या सात बजे एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां पर पांच मिनट के लिए उतारने के बाद उसी गाड़ी में बैठाने के बाद सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया जहां पर हाथ पैरों के निशान लिये गये। उस आरोपी ने यह भी कहा एस. आनंद,ओ.पी.पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, नीरज पाण्डेय बराबर उनके साथ बने रहे और बराबर रटा हुआ बयान देने के लिए डराते रहे। इस आरोपी ने कहा कि राजेश पाण्डेय जो बराबर एस.टी.एफ. ऑफिस लखनऊ उसके पास आते रहते थे सादे कागजों पर हाथ पैर के निशान लिये और रटी हुई कहानी को टेप किया और फिर उसे एस.ओ.जी. बाराबंकी के हवाले कर दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 12 दिसम्बर 2007 को जिस समय उसे उठाया गया उस समय उसकी अंदर की जेब में 11000 रूपये, बैग जेब में तकरीबन 700 रूपये, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कॉर्ड, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कागज, इंश्योरेंस और प्रदूषण कागज, दवा की खरीददारी का ऑर्डर व ट्रेवल्स का एक बिल उसके पास था तथा उसकी निचली जेब में मोबाइल और एक मदनी डायरी जिस पर घर का हिसाब किताब और कुछ पुरानी दवा लिखी हुई थी। जिसे एस.टी.एफ. ने ले लिया था। इस साक्षी ने अपने जिरह के बयान में भी अपने उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हुए कहा है कि उसे दिनांक 12.12.2007 को मोटर साइकिल यूपी.50एन/2943 के साथ पकड़ा गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को उसने मरीज देखने के बहाने से मोटर साइकिल से रूकवाया था। उस समय वह शंकरपुर रानी की सराय चेक पोस्ट से कुछ आगे सराय मीर की तरफ जा रहा था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि एस.टी.एफ. में पकड़ने वालों में नीरज पाण्डेय के अलावा औरकिसी को नहीं पहचानता था। उसने यह भी कहा है कि टाटा सूमो में एक दारोगा बी.के.सिंह बैठे थे उनका नाम कार्यालय में आने पर पता चला था जो एस.टी.एफ. के लोग थे। उसने यह भी कहा कि उसे पहले कुछ समय बनारस में एक छोटे घर में रखा था और शाम तक उसी घर में रूका था। उसने यह भी कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को ही उसी टाटा सूमो से उसे लखनऊ लेकर आये थे और उसमें उसके साथ बी.के.सिंह कान्स.बीरेन्द्र तथा दो कान्स और थे जिनका नाम नहीं जानता, ड्राइवर जसवंत था। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा बनारस में जिस कमरे में रखना गया था उसमें से निकलने पर बांयी तरफ बाथरूम था और जिसमें उसे ऱका था उसमें एक चौकी थी दो फोल्डिंग पड़ी ती। दूसरे कमरे में नहीं गया उसने चौकी देखी ती। उसने यह भी कहा- उस कमरे में पहुंचने से पहले वहां 3-4 लोग मौजूद थे उसमें एक बीरेन्द्र था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसकी मोटर साइकिल लेकर वह लोग उस मकान पर बाद में आये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को रात में 10 बजे बनारस से लखनऊ पहुंच गये थे। उसने

यह भी कहा कि लखनऊ में जिस मकान में रखा गया था उसमें दो कमरे एक किचेन, एक लैटरीन बाथरूम तथा एक अटैच लैटरीन बाथरूम था। उसने यह भी कहा उसे गोमती नगर में रखा गया था बाद में पता चला कि वह मकान श्री प्रकाश शुक्ला का है था जिसका इनकाउंटर हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि गोमती नगर वाले मकान में जो लोग पूछताछ करने के लिए आये थे वे सभी साधारण ड्रेस में थे हाव-भाव से ऑफिसर्स लग रहे थे।

इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 17.12.2007 को पहली बार उसका सामना खालिद मुजाहिद से कराया था और उस समय दोपहर का समय था। मैंने खालिद को पहचान लिया था उसने मुझे पहचान लिया था. उसने यह कहा कि खालिद मुजाहिद उससे अपनी मां की दवा लेने आता था। इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी उससे इस कथन का अविश्वास नहीं किया जा सकता कि उसे 12.12.2007 को मय मोटर साइकिल के टाटा सूमो से एस.टी.एफ. वालों ने उठाया। उसे कुछ समय बनारस रखा और उसके बाद शाम को लखनऊ ले आये। खालिद मुजाहिद डी डब्ल्यू-25 ने भी अपने जिरह में बयान में पृष्ठ 18 पर कहा है कि उसे तथा तारिक को अलग अलग कमरे में रखा गया था और 17.12.2207 को उसकी मुलाकात तारिक कासमी से हुई थी। इससे खालिद के उपरोक्त बयान से भी तारिक के बयान की पुष्टि होती है कि उसका और खालिद का आमना सामना एक ही दिन दिनांक 17.12.2007 को लखनऊ में हुआ था।
इसके अतिरिक्त कथित गिरफ्तारी के समय हकीम तारिक कासमी से मोटर साइकिल की चाभी बरामद होना बताया जाता है। तारिक का कहना है कि मोटर साइकिल 16.12.2007 को ही उसके कब्जे से ली ली ती और से फर्जी तौर से बनारस कैंड रेलवे स्टेशन स्टैंड पर 16.12.2007 को जमा दिखाया गया। यदि स आरोपी को दिनांक 22.12.2007 को गिरफ्तार किया गाय तो सकी मोटर साइकिल 6 दिन पहले कैंट रेलवे स्टेशन पर जमा करने का कोई औचित्य नहीं था और इस रह बिना मोटर साइकिल केक इधर-उधर घूमता रहे उसका भी कोई औचित्य नहीं। उपरोक्त तथय्य से भी आरोपी तारिक कासमी के कथन को बल मिलना प्रतीत होता है उसे 12.12.2007 को उठाया गया और उसकी मोटर साइकिल दिनांक 16.12.2007 को कैंट रेलवे स्टेशन स्टैंड पर रखा होना दिखाया गया है।
इससे अतिरिक्त इस आरोपी तारिक कासमी ने अपने बयान में बनारस में रखने के स्थान का पूर्ण विवरण दिया है और लखनऊ में जिस मकान में उसे 22.12.2007 से पूर्व रखा गया उस मकान का भी उससे विस्तृत विवरण बताया है। उसके साथ घटित घटनाओं का भी विस्तृत विवरण दिया है । उससे किस तरह से पूछताछ की जाती थी और प्रताड़ित किया जाता था उसका भी विवरण दिया है और उसकी पुष्टि की है। उपरोक्त तथ्यों पर जो भी जिरह की गयी है ससे भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता जिससे उसके बयान को असत्य कहा जा सके।
अतः उपरोक्त तथ्यों से भी तारिक कासमी के कथन को पूर्ण बल मिलता है कि उसको दिनांक 12.12.2007 को मय मोटर साइसिल पकड़ा गया औरउसे उसके उपरान्त बनार ले गये और उसके उपरान्त उसे लखनऊ में रखा गया और पूछताछ की गयी।

इसके अतिरिक्त तारिक शमीम डी डब्ल्यू 1 ने अपने बयान में कहा है कि वह नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकारिणी का महासचिव है इससे पूर्व वह सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी था। उनसे कहा हैकि दिनांक 12 दिसम्बर 2007 को हकीम तारिक रोजाना की तरह रानी की सराय चेक पोस्ट से सराय मीर धार्मिक इजतेमा में चाते समय चेक पोस्ट के समीप लगभग 1 किलोमीटर लखनऊ बलिया मार्ग स्थित ग्राम महमूदपुर से अपहरण कर लिया गया। जिसकी खबर उसे अखबारों से तथा विश्वस्त सूत्रों के जरिए उसे मिली थी। इस साक्षी ने कहा है कि दिनांक 14.12.2007 को स्थानीय थाना रानी की सराय में गुमशुदगी की रिपोर्ट तारिक कासमी के दादा अजहर अली की ओर से दर्ज करायी थी। उसने यह भी कहा है कि दिनांक 13.12.2007 को मोहम्मद इरशाद खां अध्यक्ष नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी व पूर्व विधायक तथा उसने एस.एस.पी. और डी.एम आजमगढ़ से मिलकर हमीम तारिक के संबंध में जानकारी चाही व तहरीर भी दी। इस साक्षी ने कहा कि एस.एस.पी. और डी.एम का जवाब संतोषजनक न होने के कारण दिनांक 16.12.2007 को उसने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री के ज्ञापन दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि कोई सुनवाई न होने के कारण दनांक 17.12.2007 को उसने कस्बा मीर में धरना दिया था। उस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 15.12.2007 से 17.12.2007 के बीच हमीम तारिक क मोबाइल 9450047342 जो उसके साथ था कभी ऑन हो जाता था तो कभी ऑफ हो जाता था और इस बावत उसने एस.एस.पी. आजमगढ़ से निवेदन किया थ कि मोबाइल को सर्विलांस के जरिए ट्रेस कराया जाए परन्तु एस.एस.पी ने इस संबंध में उसे खामोश रहने का आदेश दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 16/17.12.2007 को मोहम्मद अरशद खाना ने हकीम तारिक के परिवारके साथ लखनऊ में चीफ जस्टिस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हाईकोर्ट, गृह सचिव उ.प्र. तथा डी.जी.पी. उ.प्र. को इस घटना की सूचना रजिस्ट्री द्वारा देकर बरामदगी की गुहार लगायी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 18.12.2007 को कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में फिर धरना देकर ज्ञापन दिया था व हकीम तारिक के दादा अजहर अली ने डी.एम. व एस.एस.पी. को हकीम के अपहरण किये जाने की तहरीर द्वारा देकर बरामद किये जाने की गुहार की थी। दिनांक 18.12.2007 को हकीम के दादा अजहर अली द्वारा सूचना अधिकारी आजमगढ़ से तारिक कासमी के बारे में यह लिखित सूचना मांगी थि कि क्या तारिक को पुलिस के किसी विभाग द्वारा किसी जांच के लिए ले जाया गया है परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसने यह भी कहा कि दिनांक 18/19.12.2007 रात 12 बजे स्थानीय पुलिस के साथ करीब 30 लोग सादा ड्रेस में तारिक के घर आये और परिवार के सदस्यों व महिलाओं से तारिक का कमरा पूछा वहां से 247 किताबें व दो मोबाइल सेट ले गये। दादा व पिता से सादे कागज पर यह कहकर दस्तखत करवाये कि इससे तारिक को ढंढने में मदद मिलेगी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 20.12.2007 को कलेक्ट्रेट पर फिर धरना दिया गया परन्तु प्रशासन ने इस बार ज्ञापन नहीं लिया और पूर्व विधायक मो. अरशद खान ने हकीम के परिजनों को चीफ सेक्रेटरी तथा होम सेक्रेटरी के समक्ष पेश करके हकीम तारिक कासमी की बरामदगी की गुहार लगायी परन्तु कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिला। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी चरण पाल सिंह ने मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को इस आशय का ज्ञापन प्राप्त कराया कि यदि हकीम तारिक को दिनांक 22.12.2007 तक पुलिस बरामद नहीं करती है तो पुलिस की इस उदासीनता के खिलाफ वह

अपहरण स्थल पर 23.12.2007 को आत्मदाह कर लेंगे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि इस चेतवानी के एक दिन बाद 22.12.2007 को सुबह पुलिस व एस.टी.एफ. ने हकीम तारिक और खालिद मुजाहिद को जिसे एस.टी.एफ. ने 16.12.2007 को कस्बा मडियाहूँ से उठाया था गोलाबारूद के साथ पकड़ा दिखाया। जबकि दिनांक 12.12.2007 ने 21.12.2007 तक लगातार धरना व आन्दोलन के जरिए जिला प्रशासन व सचिवालय से लेकर गवर्नर हाउस तक फरियाद कीगयी पर किसी अथॉरिटी न हकीम तारिक को पुलिस कस्टडी में होने की बात स्वीकार नहीं की और आत्मदाह की चेतावनी के तुरंत बाद उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी है उसमें उसने उपरोक्त तथ्यों के प्रतिकूल कोईतथ्य प्रकट नहीं होता। इस साक्षी ने अपने जिरह के बयान में कहा है कि उसे तारिक के अपहरण की सूचना दिनांक 13.12.2007 को मिल गयी थी। यह भी कहा कि 15.12.2007 को उसके अध्यक्ष अरशद खान ने एक प्रार्थनापत्र एस.एस.पी. व डी.एम. को उसकी मौजूदगी में दिया था। इस उपरोक्त साक्षी के बयान व तथ्यों से भी तारिक कासमी के कथन को बल मिलता है कि उसे दिनांक 12.12.2007 को कुछ व्यक्तियों ने बल पूर्वक उठाया।

इस केस में अभियोजन यह स्वीकार करता है कि 18/19.12.2007 की रात हकीम तारिक के घर दबिश दी गयी थी। उपरोक्त तिथि से पूर्व दिनांक 12.12.2007 को तारिक कासमी का एस.टी.एफ. द्वारा उठाया जाना भी कहा जाता है। दिनांक 14.12.2007 को अजहर अली डी.डब्ल्यू 1 द्वारा थाना रानी की सराय में प्रथम सूचना रिपोर्ट डी.डब्ल्यू-1/प्रदर्श 2 दर्ज करायी गयी है जिसमें थाने को यह सूचित किया गया कि उसका पोता मौलाना तारिक पुत्र रियाज अहमद दिनांक 12.12.2007 को लगभग सवा 12 बजे दिन में अपनी मोटर साइकिल यूपी.50/2943 से सराय मीर में इजतेमा में गया था परन्तु वहां नहीं पहुंच पाया और न ही घर पर वापस आया। उसका मोबाइल नंबर 9450047342 से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसनी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्रवाई की जाये। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति ए/3/4 जी.डी. के साथ दाखिल किया गाय है इससे भी साबित है कि कथित दबिश से पूर्व अजहर अली ने थाने पर तारिक कासमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और पुलिस की दबिश के समय उपरोक्त तथ्य पुलिस के संज्ञान में निश्चय ही लाया गया होगा। एस.टी.एफ. के द्वारा उसके मोबाइल 9450047342 को सर्विलांस पर भी डालकर उसका पता लगाया जा सकता था और उसको बरामद किया जा सकता था पर ऐसा नहीं किया गया और न ही उपरोक्त रिपोर्ट के बारे में ही कोई कार्रवाई करना बताया गया है। अतः उपरोक्त तथ्य से भी पुष्टि होती हैकि तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को अपहरण किया गया।

तारिक शमीम डी.डब्ल्यू 1 हिन्दुस्तान दैनिक अखबार के दिनांक 17.12.2007 को फोटो कॉपी डी. डब्ल्यू-1/प्रदर्श 4 दाखिल की है जिसमें लिखा है- "तारिक अपहरण कांड के खिलाफ नेलोपा का धरना"। दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 17.12.2007 की फोटो कॉपी में छपे समाचार अपहरण जनता सड़क पर डॉक्टर मो. तारिक के अपहरण के विरूद्ध रविवार को जनता सड़क पर उतर गई और रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया और धरने मेंकई दलों के लोग शामिल हुए और पुलिस को कोसते हुए कहा कि घटना का जल्द पर्दाफाश अगर नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। वक्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह गँभीर होती तो अपराधी इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करते। अखबार में यह भी छपा है कि संजरपुर में दिनांक 12.12.2007 की रानी की सराय थाना क्षेत्र के सम्मोपुर गांव के निवासी मो. तारिक अपने सोनवारा मोड़ स्थित क्लीनिक से सरायमीर

क्षेत्र के सेरवांगांव जाने की बात कहकर मोटर साइकिल से निकले थे लेकिन उसके बाद उनको कोई पता नीहं चला बाद में पारिवारिक जनों से पता चला कि उनका अपहरण हो गया है। उसकी जानकारी पुलिस को दी लेकिन पुलिस सुराग लगाने में नाकाम रही। उपरोक्त तथ्य से भी डॉक्टर तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को अपहरण होना प्रतीत होता है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ व जिलाधिकारी को दिनांक 20.12.2007 को ज्ञापन दिया है जिसमें निम्नलिखित मांगे हैं-

1. यदि मौलाना तारिक को बदमाश पकड़ कर ले गये हैं उनका मोबाइल 5 दिन से बार-बार ऑन ऑफ हो रहा परन्तु पुलिस की सर्विलांस क्यों नहीं पकड़ पा रही है।
2. घटना के 5 दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाहीनहीं की और न ही पीड़ित के घर आकर परिजनों से कोई पूछताछ की।
3. घटना के चश्मदीद गवाहों की बातों को शुरू में पुलिस ने क्यों नकार दिया।
4. घटना के 6 दिन बाद अचानक रात को 12.30 बजे लगभग 30 की संख्या में सादे ड्रेस और वर्दी में पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर छापा मारकर उसकी 243 किताबें व मेडिकल से संबंधित किताबें, दो मोबाइल तथा पिता व दादा के सादे कागज पर दस्तखत करा कर यह कहकर ले गये इससे मो. तारिक की तलाश करने में मदद मिलेगी। इसकी कोई रसीद भी नहीं दी।
5. पुलिस की इस कार्यवाही से साफ पता चलता है पुलिस की नियत ठीक नहीं है।

अतः मौलाना हकीम मो. तारिक की सकुशल वापसी की उम्मीद करते हैं।

डी.डब्ल्यू-1/प्रदर्श-5 से भी यह प्रतीत होता है कि दिनांक 12.12.2007 के उपरान्त व 22.12.2007 से पूर्व मौलाना तारिक कासमी की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस प्रशासन व अन्य को अवगत कराया गया परन्तु उसको बरामद नहीं किया गाय। उपरोक्त तथ्य से भी यह प्रतीत होता है कि तारिक कासमी 12.12.2007 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। डी.डब्ल्यू 1 / प्रदर्श 6 में ज्ञापन की कॉपी संलग्न की है जो महामहिम राज्यपाल को संबोधित है जो निम्न प्रकार है-

(स्कैन मैटर)

उपरोक्त आत्मदाह की धमकी व ज्ञापन के उपरान्त दिनांक 22.12.2007 को मो तारिक को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है व आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी दिखाई है वह संदिग्ध ही प्रतीत होता है।

तारिक शमीम डी डब्ल्यू-1 की तरफ से दैनिक जागरण में 21.12.2007 को छपी खबर की अखबार की फोटो कॉपी दाखिल की गयी है जिसमें लिखा है कि तारिक की वापसी के विरुद्ध नेलोपा ने दिया धरना और दूसरा समाचार फोटो सहित सर्वदलीय धरने में संबंधित फोटो सहित यह छपा है कि हकीम तारिक अपहरण कांड में नेलोपा ने दिया कचहरी में धरना। इस साक्षी नेय डी.डब्ल्यू-प्रदर्श /7/2 दाखिल की गयी “हकीम तारिक को जमीन निगल गयी या आसमान”

(स्कैन मैटर)
"मोलाना हकीम तारिक कासमी का सुराग न लगने से परिजनों का बुरा हाल", "पत्नी के मोबाइल पर अपहर्ताओं ने किया फोन", "कान में तेल डालकर बैठी है पुलिस", "लापता डॉक्टर का पता नहीं"।

उपरोक्त तथ्य से जाहिर है कि तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को ही गिरफ्तार किया गया उसके बाद धरना प्रदर्शन हुए और उसके उपरान्त दिनांक 21 व 23 दिसम्बर 2007 के हिन्दुस्तान अखबार के डी.डब्ल्यू-1/प्रदर्श-7/4-5 में छपा है "हकीम तारिक की गिरफ्तारी के विरोध में सरायमीर में प्रदर्शन", "तारिक के पक्ष में सभा, नारको टेस्ट की मांग", "मौलाना की रिहाई की मांग को लेकर धरना", उपरोक्त 29 फरवरी 2008 में यह भी लिखा है कि "मौलाना तारिक व खालिद के साथ एस.टी.एफ. का भी हो नारको टेस्ट", दिसम्बर 2007 को एक अखबार में यह भी छपा है कि "बेगुनाहों को जेल भेज रही है एस.टी.एफ."। उपरोक्त साक्ष्य से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हकीम तारिक को 12.12.2007 को गिरफ्तार किया गया था।

इसके अतिरिक्त इस केस में मोहम्मद हारून डी.डब्ल्यू 2 को भी प्रस्तुत किया गया है जिसने कहा कि दिनांक 12.12.2007 को लगभग 12 बजे वह आजमगढ़ के लिए जा रहा था चेक पोस्ट से पहले महमूदपुर गांव के पास एक टाटा सूमो खड़ी थी जिसमें कुछ लोग हकीम तारिक को जबरदस्ती बैठा रहे थे। उसने व उसके गांव के साथी सर्फुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन और बहुत सी सवारियां गाड़ी में बैठी थी। उन्होंने रूक कर उन लोगों से पूछा कि आप लोग हकीम तारिक के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहें तो उन्हों बताया कि हकीम जी घर से नाराज होकर जा रहे हैं और वे लोग उनको घर लेकर जायेंगे। उसने यह भी कहा कि हकीम जी को टाटा सूमो की पिछली सीट पर बैठाकर वह लोग चले गये और दो लोग उनकी मोटर साइकिल लेकर चेकपोस्ट की तरफ चले गये जो वहां से वह लोग बनारस की तरफ चले गये। उसने यह भी कहा है कि इस घटना के बाद जनता काफी आक्रोशित हो गयी और धरना प्रदर्शन करने लगी और कहाकि हकीम का अपहरण हो गया है। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उसमें भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता कि उसने घटना न देखी ह। इस साक्षी के बयान से भी तारिक कासमी के कथन को बल मिलता है कि उसे 12.12.2007 को 12 बजे दिन में एस.टी.एफ. द्वारा उठाया गया हो।

इस केस में सुर्फुद्दीन डी डब्ल्यू 3 को भी प्रस्तुत किया गया है इस साक्षी ने यह कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को लगभग 12 बजे दिन वह आजमगढ़ के लिए जा रहा था और जब वह चेक पोस्ट से पहले महमूदपुर गांव पहुंचा तो एक टाटा सूमो खड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ लोग हकीम तारिक को टाटा सूमो में विठा रहे थे वह तथा उसके गांव के लोग सवारी गाड़ी में थे उसके गांव के लोगों में मो. हारून व अन्य लोग सवारी गाड़ी में थे. उसने यह भी कहा कि दो लोग मोटर साइकिल के पास थे उसने उन लोगों से पूछा कि वह किस बात की भीड़ है तो उन्होंने कहा हकीम तारिक घर से नाराज होकर जा रहा था और उन लोगों ने उसे घर पहुंचाने के लिए ले जा रहे हैं। हकीम तारिक को टाटा सूमो में पिछली सीट पर बैठा कर लेकर चले गये और दो लोग उसकी मोटर साइकिल लेकर चेकपोस्ट की तरफ चले गये और वहां से वह बनारस की तरफ

चले गये।उसन यहभी कहा है कि उसे बाद में पता चला कि हकीम जी का अपहरण हो गया है और जनता धरना प्रदर्शन कर रही है। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उसमें भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता जिससे उसकी बात को असत्य कहा जा सके।

इसकेस में शौकत अली डी.डब्ल्यू-4 को भी प्रस्तुत किया गया है इस साक्षी ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 12.12.2007 को आजमगढ़ दवा लेने के लिए जा रहा था और जैसे ही वह चेक पोस्ट से पहले महमूदपुर गांव के सामने पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग हकीम तारिक को जबरदस्ती टाटा सूमो में बैठा रहे थे और दो लोग हकीम तारिक की मोटर साइकिल के पास खड़े थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है उसने अपनी मोटर साइकिल रोककर पूछा कि यह क्या हो रहा है। वह किसी को क्यों जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जा रहा है तो मोटर साइकिल के पास खड़े व्यक्ति ने कहा कि हकीम जी घर से नाराज होकर जा रहे थे। वह उनके रिश्तेदार हैं और वह उन्हें उनके घर वापस ले जा रहे हैं। यह कि और इसी दौरान हकीम तारिक टाटा सूमो में बैठाकर वह लोग चले गये और मोटर साइकिल के पास खड़े लोग मोटर साइकिल लेकर चेकपोस्ट की तरफ चले गये। वह चेक पोस्ट तक मोटर साइकिल के पीछे था और देखा कि मोटर साइकिल सवार चेकपोस्ट से बनारस की तरफ चले गये। उसने यह भी कहा कि काफी हल्ला मचा कि हकीम तारिक का अपहरण हो गया इस साक्षी से जो भी जिरह की गयी उसमें उसने यह कहा है कि जब दवा लेने के लिए आजमगढ़ जा रहा था तब यह घटना देखी। हकीम तारिक का दवाखाना सराय मीर में है। इस साक्षी के बयान में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे उसके कथन को असत्य कहा जा सके।
इस केस में मोलवी असलम डी.डब्ल्यू-8 ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को 12 बजे दिन में तबलीगी जमात के इत्तेमा में ग्राम सेरूआ जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफेद टाटा सूमो में सवार लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि थाना रानी की सराय में घटना के बारे में सूचित किया गया था परन्तु पुलिस ने हीलाहवाली करते हुए गुमशुदगी दर्ज किया था। इस साक्षी नेय यह भई कहा कि दिनांक 18/19.12.2007 रात को पुलिस वाले दो तीन गाड़ी में सवार होकर आये थे और तारिक के गऱ में घुस गये थे और कछ पुस्तकें उठा ले गये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने लिखित में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, चीफ जस्टिस माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, चीफ सेक्रेटरी गृह मंत्रालय लखनऊ व डीजीपी उत्तर प्रदेश को प्रार्थना पत्र को रजिस्ट्री द्वारा भेजा था। इस साक्षी ने कहा कि तारिक कासमी उसके सगे दामाद हैं। उसने यह भी कहा कि तारिक जब पकड़ा गया तो वह मौके पर नहीं था। उसकी बच्ची आयशा ने बताया था। इस साक्षी से जो भी जिरह की है उसमें भी कोई ऐसा तथ्य प्रकट नहीं होता जिससे उसके बयान को गलत कहा जा सके।

इस केस में अब्दुल शमीम डी.डब्ल्यू 9 को प्रस्तुत किया गया है इस साक्षी ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को समय लगभग 12 बजे दिन वह अपने गांव के मो. अरशद पुत्र इरशाद अहमद के साथ मोटर साइकिल से सेरवा इस्तेमा मेंजा रहा था जैसे ही वह ईश्वरपुर व महमूदपुर गांव के बीच पहुंचा तो देखा कि हकीम मो.तारिक की मोटर साइकिल किनारे खड़ी थी और दो लोग जबरदस्तती क सफेद टाटा सूमो में हकीम तारिक को बिठा रहे थे और जब तक वह अपनी मोटर साइकिल से उतरा तब तक वह तारिक को

गाड़ी में बैठाकर कुछ आगे बढ़ गये और उसी में से दो व्यक्तियों ने हकीम तारिक की मोटर साइकिल लेकर बनारस रोड पर चले गये। इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है उसमें उसने कहा कि दिनांक 12.12.2007 को मो. तारिक स्कूल नहीं गये थे। इजतेमा की तारीख पहले से नियत थी इस साक्षी से भी जो जिरह की गयी है समें कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे इस साक्षी के बयान को गलत कहा जा सके।

इस केस में अरशद डी.डब्ल्यू 14 को भी प्रस्तुत किया गया है इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को समय लगभग 12 बजे दिन वह अपने गांव के अब्दुल्लाह पुत्र शमीम अहमद को अपनी मोटर साइकिल पर बैठा सेंवरा इस्तेमा के लिए जा रहा था और जैसी ही वह ईश्वर पुर-मुहम्मद पुर गांव के बीच पुहंचा तो देखा कि हकीम तारिक की मोटर साइकिल किनारे खड़ी देखी और दो लोग जबरदस्ती सफेद टाटा सूमो गाड़ी में हकीम तारिक को विठा रहे थे। जब तक वह अपनी मोटर साइकिल से उतरा तब तक वह लोग हकीम तारिक को गाड़ी में विठा कर आगे चले गये और उसमें से दो व्यक्ति हकीम तारिक को मोटर साइकिल बनारस रोड पर चले गये। इस साक्षी ने भी अपनी जिरह के बयान में कहा है कि वह 5-7 मिनट मौके पर रूका था उसके मौके पर पहुंचने से पहले 3-4 मिनट मोटर साइकिल रूकी थी। उसके परिचित नहीं थे गांव के 6-7 लोग वहां पर खड़े थे। इस साक्षी से भी जो जिरह की गई है उसमें भी कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे उसके बयान को गलत कहा जा सके।

इस केस में अब्दुर्रहमान उर्फ नन्हू डी डब्ल्यू 15 ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 12.12.2007 को वह भट्टा मालिक बदरूजजमा फरिहा बाजार से मिलने जा रहा था और जब ग्राम महमूदपुर ईश्वरपुर गांव के बीच जब वह राष्ट्रीय राजमानर्ग आजमगढ़-लखनऊ पर पहुंचा तो एक टाटा सूमो गाडी खड़ी देखी। जिसमें 4-5 लोग सवार थे। जब लोग तारिक को टाटा सूमो में पिछली सीट पर बैठा रहे थे और वहां पर और लोग भी इकट्ठा थे लोगों ने पूछा तो जो दो लोग मोटर साइकिल के पास खड़े थे कह रहे थे हकीम जी नाराज थे उनको घर ले जा रहे हैं। फिर टाटा सूमो आगे बढ़ गयी और 2 लोग मोटर साइकिल लेकर चेकपोस्ट से बनारस की ओर चले गये। इस साक्षी से भी जो जिरह की है उसमें भी कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट नहीं होता है।
उपरोक्त साक्षी के कथन की पुष्टि मो.आजम डी.डब्ल्यू 16 से भी होती है उसने अपने बयान कहा कि मो. तारिक को कुछ लोग टाटा सूमो से उठाकर ले गये और पूछा तो कहा कि हकीम जी घऱ से नाराज थे इसलिए घर ले जा रहे हैं और हकीम की मोटर साइकिल दो लोग बनारस की तरफ लेकर चले गये इस साक्षी के जिरह के बयान से भी कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट नहीं होता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 22.12.2007 को जब कथित आरोपी तारिक कासमी को गिरफ्तार किया गया तब उसने कब्जे से एक मोबाइल नोकिया ईएमईआई नंबर 353632015901419 व जिसमें सिम नंबर 8991554111111135003 लगा हुआ पाया था व मदनी डायरी थी। इस डायरी में एक सिम नंबर 89918911000114894814-आइडिया भी बरामद हुआ था। सिरसिज सौरभ सी डब्ल्यू 45 ने अपने बयान में यह कहा है कि ईएमईआई नंबर 35363201590141 जिसमें सिम प्रयोग किया गया उसका नंबर 9450047342, 22.12.2007 इस्तेमान होना बताया है इस तरह मो. तारिक की कथित गिरफ्तारी व

बरामदगी दिनांक 22.12.2007 के समय मोबाइल नंबर 9450047342 था जिसका ईएमईआई नंबर 35363201590141 **था। तारिक कासमी का कहना है कि उसे 12.12.2007 को लगभग 12.30 बजे दिन जब वह अपनी मोटर साइकिल से इजतेमा के लिए जा रहा था तब एस.टी.एफ. ने महमूदपुर चेक पोस्ट से उठाया।**

इस केस में राजेश कुमार श्रीवास्तव सी.डब्ल्यू 43 को प्रस्तुत किया है और उसने अपने बयान में पैरा 42 में कहा है कि मो. तारिक के पास मोबाइल नंबर 9450047342 था। इस केस में तारिक के उपरोक्त ईएमईआई व मोबाइल की सी.डी.आर दाखिल की गयी है। जो सी डब्ल्यू-45 / प्रदर्श 24-92 है। सरसिज सौरभ सी डब्ल्यू-45 द्वारा दाखिल की गयी वह सी.डी.आर. दिनांक 01.08.2007 से 22.12.2007 तक किये गये कॉल डिटेल्स, एस.एम.एस विवरण है। तारिक ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसे 12.12.2007 को शंकरपुर रानी की सराय चेक पोस्ट से कुछ आगे सराय मीर की तरफ पहुंचने पर सफेद रंग की टाटा सूमो ने उसे उठा लिया और उसे मारा पीटा और उसे बनारस ले गये। बनारस से उसे उसी रात टाटा सूमो से लखनऊ ले आये थे। इस सी.डी.आर के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि तारिक के मोबाइल ईएमईआई नंबर 35363201590141 **पर दिनांक 12.12.2007 को अंतिम बार लगभग 12.23 मिनट पर कॉल की गयी है उस समय टॉवर लोकेशन स्थित सराय रानी यूपी ईस्ट दिखाया है। उसके उपरांत स मोबाइल की स्थिति 13.12.2007 को शाम को 7 बजकर 10 मिनट विश्वास खंड लखनऊ उसके उपरान्त विजय खंड लखनऊ, तेलीबाग यूपी ईस्ट व पुनः 17.12.2007 को विश्वास खंड, नाका हिण्डोला, 18.12.2007 को नाका हिण्डोला, 19.12.2007 को विधान सभा मार्ग , गनेशगंज लखनऊ, नाका हिण्डोला, 20.12.2007 को विजय खंड, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, टीडीएम ऑफिस यू.पी.ईस्ट लखनऊ दिखाया है। इस तरह तारिक कासमी के पास जो मोबाइल है उसकी दिनांक 12.12.2007रानी की सराय के उपरान्त उसकी स्थिति लखनऊ में दिखायी है और तारिक काभी यही कहना हहै कि उसे 12.12.2007 को उसके गृह निवास रानी की सराय से उठाया गया उसके बाद उसे लखनऊ लाया गया। 21.12.2007 तक लखनऊ में रखा गया 22.12.2007 को फर्जी बरामदगी दिखायी गयी। इस तरह उपरोक्त तथ्य से भी आरोपी तारिक कासमी का उसके गृह निवास रानी की सराय से दिनांक 12.12.2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकट 6.20 बजे सुबह उसे गिरफ्तार करना उससे आपत्ति जनक वस्तुएं बरामद होना संदेहजनक ही प्रतीत होता है।**

इसी तरह खालिद मुजाहिद को जब 22.12.2007 को गिरफ्तार होना बताया जाता है, उस समय उसके कब्जे से भी एक अदद नोकिया मोबाइल फोन IMEI **नं 355655007210646 मय सिम कार्ड नंबर 8991890110011026004-4** IDEA **तथा पोलीथीन में ही सिम कार्ड नं. 8991890110011026005-1** IDEA **बरामद होना बताया जाता है। आयोग साक्षी सरसिज सौरभ सी डब्ल्यू 45 ने अपने कथन में कहा है कि वह उपरोक्त ईएमईआई की बातचीत का विवरण 01.08.2007 से 31.12.2007 तक का लाये हैं जिसमें रिकॉर्ड केवल 16.12.2007 तक का मिला है। राजेश कुमार श्रीवास्तव सी डब्ल्यू 43 ने अपने जिरह के बयान में पृष्ठ 17 पर यह कहा है कि बाराबंकी में खालिद से बरामद मोबाइल** IMEI **नं 355655007210646 व सी.डी.आर. जो दिनांक 30.05.2007 से 23.12.2007 तक तथा बीएसएनएल के नेटवर्क पर सी.डी.आर जो दिनांक 09.08.2007 से 16.12.2007 तक दाखिल की गयी है। मो. खालिद का कहना है कि उसे दिनांक**

16.12.2007 को उसके गृह निवास महियाहूँ से एस.टी.एफ. द्वारा शाम सवा 6बजे उठाया गया और वहां उसे जौनपुर में सुनसान जगह पर उतारा गया और फिर सी.ओ. के निर्देश पर उसे लखनऊ ले जाया गया जहां उसके साथ मारपीट की गयी और बाद में दिनाकं 22.12.2007 को सुबह 6 बजे बाराबंकी ले जाकर आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ बरामदगी व गिरफ्तारी दिखायी। इस केस में उपरोक्त मोबाइल से 01.08.2007 से 16.12.2007 तक की स्थिति दर्शाती है। इस मोबाइल से दिनांक 16.12.2007 को अंतिम बार 5 बजकर 7 मिनट पर बात की गयीहै और सके उपरान्त इस ईएमईआई से बात करना नहीं दर्शाया गया है। यदि आरोपी खालिद को दिनांक 16.12.2007 को गिरफ्तार न किया गया होता तो उसके इस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया होता और उसकी कॉल डीटेल्स में आगेका विवरण अवश्य होता। उपरोक्त तथ्य से भी मो. खालिद के कथन को बल मिलता है कि उसे दिनांक 16.12.2007 को एस.टी.एफ. द्वारा उठाया गया।

अभियोजन की तरफ से यह कहा गया है कि कथित दोनों आरोपी के नाजायज संबंध हेजाजी आंतकवादी से थे और वे उसके मोबाइल नंबर 9906753203 से बात करते थे और उन्ही के इशारे पर घटना कचेहरी बम ब्लास्ट व अन्य स्थानों पर विस्फोट की वारदात की है। राजेश कुमार श्रीवास्तव सी.डब्ल्यू 43 ने अपने शपथ पत्र के पैरा 18 में कहा है कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि लखनऊ, फैजाबाद, बनारस बम विस्फोट धमाकों के मुख्य सूत्रधार बशीर अहमद @ हेजाजी पुत्र मीर अहमद निवासी कुछाल थाना छत्रू जनपद किशतवाड़ जम्मू कश्मीर के साथ थे जो मुठभेड़ में दिनांक 25.01.2008 को मारा गया। चिरंजीव नाथ सिन्हा पी.डब्ल्यू 32 ने अपने शपथ पत्र के पैरा 4 में कहा है कि आतंकवादी संगठन के कुछ सक्रिय सदस्य जौनपुर, आजमगढ़ वाराणसी सहारनपुर में सक्रिय हैं व मुखबिर की सूचना से यह भी जानकारी हुई कि जनपद जौनपुर के मडियाहूँ व आजमगढ़ के रानी की सराय में कश्मीरी व बांग्लादेशी नागरिकों का काफी आना जाना रहा है व दिनांक 23.11.2007 को लखनऊ कचेहरी में घटित बम ब्लास्ट की घटना के कारण भी चिरंजीव नाथ सिन्हा एस.टी.एफ. के संपर्क में रहे और खालिद ने उन्हें बताया था कि उसकी मुलाकात अब्दुल रकीब असम का रहना वा था से हुई ती और उसने 2003 में जम्मू कश्मीर के किशतवाड़ ले गया था जहां हूजी के कैंप में 15 दिन का प्रशिक्षण लिया था। राजेश श्रीवास्तव ने इस केस में 13.11.2007 को मोबाइल नंबर 9906753203 से बात होना व दिनांक 08.062007 की 12 बजे दिन होना बताया है। व तारिक व खालिद की बातचीत मोबाइल नंबर 9451253363 से होना बताया है। इस जांच का यह विषय नहीं हैकि उपरोक्त दोनों कथित आरोपियों का कोई कचेहरी लखनऊ, फैजाबाद, बनारस में हुए बम धमाके में संलिप्तता थी अथवा नहीं। और न ही इस जांच की यह विषय है कि कथित आरोपियों का कोई संबंध किसी अन्य आतंकवादी से रहा है अथवा नहीं। इस जांच की अधिसूचना दिनांक 14.03.2008 के अनुसार मु.अ.सं. 1891/2007 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में मो. खालिद मुजाहिद पुत्र जमीर मुजाहिद निवासी 37, महतवाना मोहल्ला, थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर एवं मो. तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम सम्मोपुर, थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ की अपराध में संलिप्तता के तथ्यों एवं उत्तर दायित्वों की ही जांच गी जानी है। इस आयोग को अन्य किसी तथ्य की जांच के विन्दु पर संदर्भित नहीं हुए हैं।

अभियोजन के साक्षीगण कान्स व एस.टी.एफ. में कार्यरत कर्मचारी द्वारा यह कहा जाता हैकि दिनांक 22.12.2007 को 4.30 बजे एस.टी.एफ. कार्यालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार झा ने यह सूचना दी कि दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घातक शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ के साथ आने वाले हैं और इस सूचना पर मौके पर चार टीमों का गठन किया गया। जिसमें कांस जयप्रकाश गुप्ता पी.डब्ल्यू 10, चालक शिव प्रकाश सिंह पी डब्ल्यू 12, कान्स नीरज पाण्डेय पी डब्ल्यू 13, कान्स वकील खां पी डब्ल्यू 22, उ.नि. विनय कुमार सिंह पीडब्ल्यू 27, ओम प्रकाश पाण्डेय उ.नि. पी डब्ल्यू 31 कान्स ओम नारायण सिंह पी डब्ल्यू 42, व उ.नि. धनंजय मिश्रा पी.डब्ल्यू 43 को प्रथम टीम में व कान्स कृष्ण कुमार त्रिपाठी पी डब्ल्यू 11, उ.नि. सत्य प्रकाश सिंह पी. डब्ल्यू 14, कान्स. राजेश कुमार मिश्रा पी. डब्ल्यू 15, कान्स सत्य प्रकाश सिंह पी. डब्ल्यू 16, कान्स उस्मान खां पी. डब्ल्यू 17,उ.नि. पंकज कुमार द्विवेदी पी. डब्ल्यू 20, उ.नि. संजय कुमार चुतुर्वेदी पी. डब्ल्यू 26, कान्स अमित कुमार सिंह पी. डब्ल्यू 28, हे.कान्स राजकुमार सिंह पी. डब्ल्यू 29, को द्वितीय टी में व भूपेन्द्र पी. डब्ल्यू 1, हे. कांस. सुभाष सिंह पी. डब्ल्यू 7,कांस कमाण्डो ओमबीर सिंह पी. डब्ल्यू 8, एस.ओ. इन्द्रजीत सिंह चौहान पी. डब्ल्यू 19, हे. कान्स नीरज कुमार पी. डब्ल्यू 21, कान्स चालक यशवंत कुमार पी. डब्ल्यू 25, उप.नि. धर्मेन्द्र कुमार शाही पी. डब्ल्यू 30 को तृतीय टीम में व उ.नि. संदीप मिश्रा पी. डब्ल्यू 2, हे. कान्स. बीरेन्द्र कुमार यादव पी. डब्ल्यू 3, कान्स अरविंद अवस्थी पी. डब्ल्यू 4, कान्स चालक कालीचरन पी. डब्ल्यू 5 व कांस शाम्भवी प्रसाद शर्मा पी. डब्ल्यू 18 को चतुर्थ टीम में रखा गया और बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए हिदायत दी गयी। उपरोक्त साक्षी गणों का कहना है कि उन्हें अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किया था।

इस केस में प्रथम टीम जिसका संचालन मनोज कुमार झा ने किया के द्वारा गिरफ्तार किया जाना बताया जाता है व अन्य टीमों को आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद बुलाया गया जाना बताया जाता है। चालक शिव प्रकाश सिंह जो प्रथम टीम का चालक है वह भी दूर खड़ा था बाद में आया था था कमांडो जय प्रकाश गुप्ता, नीरज पाण्डेय पी.डब्ल्यू 13, वकील खां पी.डब्ल्यू 22, विनय कुमार पी डब्ल्यू 27 मौके पर मौजूद होना बताते हैं। मनोज कुमार झा पी डब्ल्यू 23 ने अपने बयान में कहा दिनांक 22.12.2007 को 2.30 बजे रात उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास आने वाले हैं तो उन्होंने चार टीमों का गठन करके बाराबंकी पहुंचे और 6 बजकर 20 मिनट पर आरोपियों को पकड़ लिया। क्षेत्राधिकारी एस आनंद पी.डब्ल्यू 43 व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण का यह कहना है कि उपरोक्त आरोपियों तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद को दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। उनसे जिलेटिन राड, डेटोनेटर और आर.डी.एक्स. बरामदद हुआ।

उपरोक्त साक्षीगण द्वारा निम्न बातों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है-

1. जब दिनांक 12.12.2007 को तारिक कासमी को दोपहर 12 बजे रानी की सराय चेक पोस्ट से उसके सराय मीर धार्मिक इजतेमा में जाते समय चेक पोस्ट के समीप लखनऊ-बलिया मार्ग स्थिति ग्राम महमूदपुर से पकड़ा जाना कहा जाता है व जिसकी खबर भी दैनिक अखबार हिन्दुस्तान, अमर उजाला

व दैनिक जागरण में भिन्न-भिन्न तिथियों में दिनांक 22.12.2007 तक छपी है उन खबरों को सत्यापित कर जांच क्यों नहीं की गयी

2. अजहर अली ने दिनांक 14.12.2007 को तारिक के अपहरण की सूचना थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ को दी जिसको थाने पर प्राप्त भी किया, अपनी मोहर भी लगायी। इस रिपोर्ट परा कार्यवाही नहीं की गयी
3. अजहर अली द्वारा दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तारिक के पास मोबाइल नंबर 9450047342 था जो कभी बंद हो जाता था तो कभी चालू हो जाता था उसकी लोकेशन का क्यों पता नहीं लगाया गया
4. कॉल डीटेल्स में 12.12.2007 को अन्तिम बार 12 बजकर 23 मिनट पर कॉल की गयी है उस समय टॉवर की लोकेशन स्थित सराय रानी यू.पी.ईस्ट दिखाया है। उसके उपरान्त इस मोबाइल की स्थिति 13.12.2007 को शाम को 7 बजकर 10 मिनट विश्वास खंड लखनऊ उसके उपरान्त विजय खंड लखनऊ, तेलीबाग यू.पी. ईस्ट व पुनः 17.12.2007 को विश्वास खंड, नाका हिण्डोला, 18.12.2007 को नाका हिण्डोला, 19.12.2007 को विधान सभा मार्ग, गनेशगंज लखनऊ, नाका हिण्डोला, 20.12.2007 को विजय खंड, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, टीडीएम ऑफिस यू.पी.ईस्ट लखनऊ दिखाया है तो उपरोक्त तथ्यों की जांच क्यों नहीं की गयी
5. नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने दिनांक 15.12.2007 को जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिया गया कि मोहम्मद तारिक की मोटर साइकिल नं. यू.पी.50 एन/2943 के साथ उठा लिया गया व उसके मोबाइल नंबर 9450047342 का स्विच ऑफ है तो इस पर क्यों कार्यवाही नहीं की गयी
6. तारिक कासमी अपहरण कांड के विरोध में नेलोपा का धरना प्रदर्शन दिनांग 16.12.2007 से जारी रहा जिसमें वक्ताओं व श्रोताओं की फोटो भई है जो कि दैनिक अखबार हिन्दुस्तान में 17.12.2007 को छपी है, तो उसके उपरान्त तारिक कासमी के अपहरण की जांच क्यों नहीं की गयी
7. अकारण कोई भी न तो इस तरह रिपोर्ट करेगा और न ही धरना प्रदर्शन करेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों पर कार्यवाही न करने का कोई कारण क्यों नहीं दर्शाया गया है।
8. नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने दिनांक 20.12.2007 को पुनः माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया की मौलाना मो.तारिक कासमी को तत्काल सकुशल वापसी की जाए व उसकी तलाश की जाये।तो इस ज्ञापन पर भी क्यों कार्यवाही नहीं की गयी।
9. नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौ.चरण पाल ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जिसमें कहा है कि तारिक कासमी का दिनांक 12.12.2007 को 12 बजे दिन में टाटा सूमो से जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया है और यदि दिनांक 22.12.2007 को बकरीद के दिन तक मौलाना डॉक्टर मो. तारिक कासमी को बरामद करके पुलिस उनके परिवार को नहीं सौंप देती है तो चौ.चरण पाल दिनांक 22.12.2007 को 2 बजे दिन कोटला मदरसा के सामने आत्मदाह कर लेंगे और इस ज्ञापन के दूसरे दिन ही जिस तरह तारिक कासमी को बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकट से गिरफ्तार

दिखाया गया और उससे आपत्तिजनक वस्तुए बरामद होना दिखाया गया उपरोक्त तथ्य की जांच क्यों नहीं की गयी

10. इसी तरह मोहम्मद खालिद मुजाहिद को जब 16.12.2007 को मन्नू चाट वाले की दुकान के पास कस्बा मडियाहूँ जिला जौनपुर से उठाना बताया जाता है तो इस घटना के बाद की सूचना दूसरी दिन दिनांक 17.12.2007 को अखबारों में छपी है। उपरोक्त सूचना का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की। इसी तरह 20.12.2007 को अखबार में छपा है कि एस.टी.एफ. ने युवक को उठाया उपरोक्त सूचना पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की गयी उसे किस तरह और किसने उठाया और यह सूचना गलत छपी है अथवा सत्य।
11. दिनांक 18.12.2007 को अखबार में यह छपा है कि एस.टी.एफ. ने पूर्वांचल के जौनपुर व इलाहाबाद में छापा मारकर हूजी के दो सदस्यों को हिरासत में लिया व मडियाहूँ में भी छापा मारने वाली बात छापी है। दिनांक 21.12.2007 को यह भी लिखा है कि 'मडियाहूँ का खालिद जा चुका है तीन बार पाक' यदि खालिद पुलिस अभिरक्षा में नहीं था तो इस तरह की खबरें कहां से छपी इस पर भी न कोई संज्ञान लिया गया है और न ही कोई कार्यवाही की गयी है।
12. दैनिक अखबार हिन्दुस्तान ने दिनांक 21.12.2007 को यह भी लिखा है कि 'काफी दिनों से खूफिया निगाह में था खालिद' और यह भी लिखा है कि 16.12.2007 को जब खालिद कस्बा में जब एक चाट की दुकान पर चाट खा रहा था तभी टाटा सूमो में सवार लोग आये और ले गये। जिसकी सूचना चाचा जहीर ने थाना मडियाहूं को दी। उपरोक्त तथ्य जब आम पब्लिक को भी ज्ञात था तो इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और स्थानीय थानाध्यक्ष ने उस पर क्यों कार्यवाही नहीं की कि किस तरह से यह खबर अखबार में छपी और आम पब्लिक में आयी।
13. दैनिक जागरण अखबार ने दिनांक 22.12.2007 में यह छापा है कि एस.टी.एफ द्वारा उठाये गये खालिद को लेकर परिजन हलकान और मौलाना खालिद पर छह माह से आई.बी. की नजर। यदि खालिद को 22.12.2007 से पूर्व अज्ञात व्यक्तियों ने नहीं उठाया तो उपरोक्त समाचार किस तरह से प्रकाश में आया।
14. खालिद के चाचा जहीर आलम फलाही द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मडियाहूँ, पुलिस महानिदेशक लखनऊ, जिला जौनपुर को फैक्स दिये गये व सूचित किया गया कि दिनांक 16.12.2007 को लगभग शाम साढ़े 6 बजे फतेह मुहम्मद बिल्डिंग के पास मुहल्ला सदरगंज मडियाहूँ चाट की दुकान के पास से उनके भतीजे मो.खालिद पुत्र स्व.जमीर अहमद को जबरदस्ती उठा ले गये, जो एस.टी.एफ. के लोग थे। इसका कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। व इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी।

उपरोक्त सभी तथ्यों के कथित आरोपी खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी के दिनांक 22.12.2007 को सुबह 6.20 बजे आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तारी संदेहजनक प्रतीत होती है व अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगणों के बयानों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता।

यह भी कहा गया है कि कथित आरोपी तारिक कासमी को जब दिनांक 22.12.2007 को जब बाराबंकी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया तब उनके कब्जे में एक रोडवेज बस टिकक उत्तर रेलवे साइकिल स्टैंड बनारस पर स्पेलेंडर मोटरसाइकिल जमा कराने की पर्ची व चाभी का गुच्छा बरामद किया। और उपरोक्त तथ्य से उसकी 12.12.2007 की गिरफ्तारी सही नहीं है। प्रथम तो यह कि जो रोडवेज जौनपुर का टिकट दिनांक 16.12.2007 का होना बताया जा रहा है उपरोक्त आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक 22.12.2007 की है। इस तरह कोई भी व्यक्ति सात दिन पहले दिनांक 16.12.2007 का टिकट लेकर नहीं घूमेगा और न उस टिकट का दिनांक 16.12.2007 के बाद कोई महत्व है। यह टिकट किसी अन्य उपयोग में भी नहीं लाया जा सकता है और इसी तरह तारिक कासमी ने शुरू से ही कहा है कि उसकी मोटरसाइकिल दो व्यक्तियों ने उसके दिनांक 12.12.2007 को टाटा सूमो में डालने से पहले ले ली थी। उसने यह भी कहा है कि टाटा सूमो में बैठाकर पहले बनारस ले गये और उसके बाद उसे लखनऊ लाये। उसने यह भी कहा है कि मोटर साइकिल बनारस में ही साइकिल स्टैंड पर दिनांक 16.12.2007 को जमा होना गलत दिखाया है कोई भी व्यक्ति इस तरह अपनी मोटर साइकिल बनारस में साइकिल स्टैंड पर रखकर इधर-उधर नहीं घूमेगा और न ही इस तरह जौनपुर जायेगा और वहां से बस में दिनांक 16.12.2007 को इधर-उधर घूमेगा। उपरोक्त तथ्यों से तारिक कासमी के इस कथन पर कि दिनांक 12.12.2007 को उठा लिया और उसकी मोटर साइकिल दो अज्ञात लोग ले गये पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

कथित आरोपी मो. खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी का यह कथन है कि उसे एस.टी.एफ. के कर्मचारियों व अधिकारियों ने उठाया व उसे प्रताड़ित किया। जहां तक एस.टी.एफ. के कर्मचारियों व अधिकारियों का कथित आरोपी खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी को दिनांक 22.12.2007 से पूर्व उठाये जाने का प्रश्न है, तारिक कासमी के दादा अजहर अली ने इस घटना के तुरंत बाद दिनांक 14.12.2007 को थाना रानी की सराय में रिपोर्ट दर्ज करायी है जो प्रदर्श-ए/3/4 है। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को लगभग 12.15 बजे दिन जब वह मोटर साइकिल नं. यू.पी. 50 एन/ 2943 से सराय मीर में इजतेमा के लिए चला तो वहां पर नहीं पहुंचा। उसका मोबाइल नंबर 9450047342 से संपर्क किया तो जवाब नहीं मिला। उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। इस रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि उसे एस.टी.एफ. के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा उठाया। इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि उसे एस.टी.एफ. के कर्मचारी व अधिकारी ने ही उठाया हो। इसके अतिरिक्त आरोपी तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद एस.टी.एफ. के किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को उनके साथ घटी घटना क्रमशः 12.12.2007 व 16.12.2007 से पूर्व नहीं जानते थे। वे उनके न नाम जानते थे न उन्हें पहचानते थे. मो.खालिद मुजाहिद डी.डब्ल्यू 25 ने अपने बयान के पृष्ठ-14 पर कहा है कि जिस गाड़ी से उसे (दिनांक 16.12.2007) उठा कर लाया गया उसमें 6-7 लोग थे और एक ड्राइवर था। उसने यह भी कहा कि उसमें कोई भी वर्दी में नहीं था। हाथ में शस्त्र लिये थे। उसने अपने बयान में पृष्ठ-16 में यह भी कहा है कि एक व्यक्ति के मुंह पर चेचक के दाग थे उसने उसे पहले पकड़ा था। उसने आगे यह भी कहा है कि उठाये जाने वालों को आज तक जान नहीं पाया। लेकिन चेचक वाले व्यक्ति को पहचान सकता है। इस आरोपी ने अपने बयान में पृष्ठ 18 पर यह भी कहा है कि उसने जिन मार-पीट करने वालों के नाम

बतायें हैं उन्हें वह जाती तौर से नहीं जानता। इस साक्षी ने कहा है कि वहां पर अन्य लोग थे वह उनके नाम बताते थे तथा बोलकर बुलाते थे और जिन लोगों के उसने नाम बतायें हैं सामने आने पर पहचान सकता है। कथित दोनों आरोपियों को अलग-अलग कमरे में रखकर उनसे अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा बारी-बारी से पूछताछ करना कहा जाता है इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि एक पूछने वाले के उपरान्त दूसरा आकर उसका नाम बताता हो या इन कर्मचारियों के सामने ही पूछताछ करने वाले एक-दूसरे का नाम लेकर बुलाते हों और बताते हों। उन्हें किसी खुले स्थान पर भी नहीं रखा गया है जहां पर वह सभी कर्मचारियों को एक दूसरे का नाम लेते हुए देखता हो व सुनता हो अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी सभी के नाम जान गये थे। इस तरह इस आरोपी के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि वह उन व्यक्तियों को नहीं जानता था जिन्होंने उसको उठाया, वह उन व्यक्तियों को भी नहीं जानता था जिन्होंने उसके साथ मारपीट की। अन्य लोगों के वहां बोलने पर उनके नाम उसने परिवाद पत्र में लिखाये हैं। इस आरोपी के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किसी भी एस.टी.एफ. के कर्मचारी व अधिकारी को पहचान कर यह नहीं बताया कि यह वही व्यक्ति है जो उसे उठाने में सम्मिलित था या यह वही व्यक्ति है जिसने उसे प्रताड़ित किया। आयोग के समक्ष एस.टी.एफ. के कर्मचारियों व अधिकारियों की परेड कराया जाना संभव नहीं था। इस तरह यह तो साबित है कि उसे दिनांक 16.12.2007 को लगभग 6.15 बजे शाम को टाटा सूमो गाड़ी से उठाया गया और उसके उपरान्त उसके साथ मारपीट की गयी प्रताड़ित किया गया परन्तु यह साबित नहीं है कि उसे एस.टी.एफ. या अन्य पुलिस दल के किसके कर्मचारी व अधिकारियों ने उठाया व किसने प्रताड़ित किया व किसने उसके साथ मारपीट की हो।

इस तरह तारिक कासमी ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि वह एस.टी.एफ.के किसी कर्मचारी व अधिकारी को दिनांक 12.12.2007 से पूर्व नाम से जानता था या पहचानता था। इस आरोपी ने अपने जिरह के बयान पृष्ठ 1 पर कहा है कि कुछ लोगों ने टाटा सूमो में जबरदस्ती उसे विठा लिया था। इस साक्षी ने भी आयोग के सम्मुख उपस्थिति होकर किसी भी अधिकारी व कर्मचारीगण को देखकर यह नहीं कहा है कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसे दिनांक 12.12.2007 को उठाया हो, उसके साथ मारपीट की हो या उसे प्रताड़ित किया हो।

इस तरह अभियोजन पक्ष, कथित आरोपियों एवं परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य व तर्को के आधार पर उपरोक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि कथित आरोपी तारिक कासमी को दिनांक 12.12.2007 को दोपहर 12 बजे जब वह सराय मीर से अपनी मोटर साइकिल से इजतेमा के लिए जा रहा था तब उसे शंकरपुर चेकपोस्ट थाना रानी की सराय से कुछ व्यक्तियों ने उठाया व टाटा सूमो में डालकर ले गये व उनमें से दो अन्य व्यक्ति उसकी मोटर साइकिल लेकर चले गये। इसी तरह उपरोक्त सभी तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 16.12.2007 को शाम 6.15 बजे कथित आरोपी खालिद मुजाहिद को महतवाना मोहल्ला थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर से टाटा सूमो में सवार व्यक्तियों ने उठे उठा लिया व उसे वहां से ले गये। उपरोक्त दोनों आरोपियों को प्रताड़ित किया, निरुद्ध कर मारा-पीटा गया।

दिनांक 12.12.2007 के उपरान्त व दिनांक 22.12.2007 के पूर्व की घटनाक्रम में एस.टी.एफ. के अतिरिक्त, अन्य पुलिस दल का सम्मलित रहना प्रतीत होता है परन्तु साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि

कथित आरोपियों खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी को जिन व्यक्तियों ने उठाया, निरुद्ध कर प्रताड़ित किया है वे किस दल के व्यक्ति थे, कौन-कौन व्यक्ति थे व उनका क्या कृत्य था। अतः व्यक्तियों को चिन्हित करने के उपरान्त ही उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। परिवाद पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों को चिन्हित किये बिना उनको दोषी ठहराने पर कुछ ऐसे निर्दोष व्यक्ति दंडित हो सकते हैं जिनकी इस घटना में कोई सक्रिय भूमिका न रही हो, सिर्फ विधि संगत आदेशों का ही पालन किया हो और कुछ ऐसे व्यक्ति छूट सकते हैं जिनकी घटना में विधि विरूद्ध सक्रियता रही हो। गलत व विधि विरुद्ध कार्य करने वाले कुछ ही व्यक्ति होते हैं। अतः दिनांक 12.12.2007 के उपरान्त व दिनांक 22.12.2007 से पूर्व, कथित आरोपी खालिद मुजाहिद व तारिक कासमी के साथ घटित घटनाओं में, सम्मिलित अधिकारी व कर्मचारीगण को जब तक चिन्हित नहीं कर लिया जाता है तब तक ऐसे किन्ही अधिकारी व कर्मचारीगण का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है और न उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही की संस्तुति की जा सकती है।

अतः उपरोक्त घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभाकर विधि विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारीगण को चिन्हित कर उसके विरूद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

अंतिम निष्कर्ष

तारिक कासमी पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम सम्मोपुर, थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ व खालिद मुजाहिद पुत्र स्व.जमीर मुजाहिद निवासी 37, महतवाना मोहल्ला, थाना मडियाहूँ जिला जौनपुर की मु.अ.सं. 1891/07थाना कोतवाली जिला बाराबंकी की घटना 22.12.2007 में संलिप्तता संदेहजनक प्रतीत होती है।

उपरोक्त केस जिला न्यायालय, बाराबंकी में विचारधीन है अत- इस स्तर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध दायित्व निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं।

अध्याय 5

सुझाव

इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग निम्न सुझाव देता है-

1. आतंकवादी घटना में पुलिस से अलग विभाग के राज्यपत्रित स्तर के अधिकारी को बरामदगी का गवाहान बनाना चाहिए।
2. कथित आरोपियो से पूछताछ की बीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।
3. विवेचना पुलिस की किसी दूसरी शाखा के राज्यपत्रित अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए।
4. ऐसी घटनाओं के निस्तारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन होना चाहिए।
5. ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को केसों के निस्तारण में निर्धारित कोटा देने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
6. अभियोजन की तरफ से कुशल एवं विशेष दक्ष अधिवक्ता/अभियोजन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करनी चाहिए।

7. **इन केसों के लिए अलग से अभियोजन सेल गठित होना चाहिए जो केसों के जल्द निस्तारण में सहयोग कर योगदान प्रदान करें।**
8. **ऐसे केसों का निस्तारण अतिशीघ्र अधिक से अधिक 2 वर्ष में होने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रत्येक स्तर की कार्यवाही की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। केस समय से निस्तारण न होने पर समीक्षा की जानी चाहिए व सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।**
9. **पीड़ित पक्षों को समुचित मुआवजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए।**
10. **अच्छे कार्य के लिए अधिकारी व कर्मचारीगण को पुरस्कृत किये जाने का भी प्रावधान होना चाहिए।**
11. **निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने पर दायित्वों को निर्धारित कर दंड दिये जाने का भी प्रावधान होना चाहिए।**
12. **ऐसे केसों से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।**

दिनांक 31 अगस्त, 2012

आर.डी.निमेष

(से.नि.जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

अध्यक्ष

एकल सदस्यीय निमेष जांच आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ